



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना (एसवीएलडीआरएस), 2019

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)

2022 की प्रतिवेदन सं. 14

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना
(एसवीएलडीआरएस), 2019

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर – माल एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद
शुल्क और सेवा कर)
2022 की प्रतिवेदन सं.14

..... को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	i
2	कार्यकारी सार	iii - v
3	अध्याय 1 : प्रस्तावना	1
4	अध्याय 2 : लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	7
5	अध्याय 3 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष	11
6	अध्याय 4 : निगरानी और समीक्षा	71
7	परिशिष्ट-1	77

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं और यह सितम्बर 2019 से अक्टूबर 2020 तक केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की विनिर्दिष्ट समिति द्वारा घोषणाओं के सत्यापन को शामिल करता है।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो नवम्बर 2020 से सितम्बर 2021 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई हैं।

लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग, सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हुए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 52 चयनित कमिश्नरियों में यह अध्ययन करने के लिए की गई थी कि क्या सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) ('योजना') की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर्याप्त और पूर्ण थी; मामलों का निपटान और देय करों की उगाही कानून के अनुसार थी; आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त थे और इस 'योजना' से पहले की वीसीईएस योजना के संबंध में स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों से प्राप्त सीख का पालन इस 'योजना' में किया गया था।

इस 'योजना' का मुख्य उद्देश्य विरासत मामलों अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जिसे जीएसटी के तहत समाहित किया गया था, से संबंधित भार को उतारना था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि कुछ कमियां मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रणाली डिजाइन करने/कानूनी प्रावधानों/सीबीआईसी के निर्देशों के पालन, विवादित मामलों के निपटान में अपर्याप्तताओं और कर अपवंचकों को कर के दायरे में रखने से संबंधित हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

क) 15 कमिश्नरियों में विनिर्दिष्ट समितियों को अधतित अभिलेखों की समय पर उपलब्धता के संबंध में सीबीआईसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 3.4.2)

ख) इसमें एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा दोषपूर्ण उद्घोषणाओं को स्वीकार करने, गलत डेटा के सृजन और 'योजना' के प्रावधानों की अनुरूपता में अमान्य डेटा की प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने में विफलता के उदाहरण थे।

(पैराग्राफ 3.5.1 से 3.5.6)

ग) 28 उद्घोषणाओं में ₹ 109.81 करोड़ की अनियमित राहत उन उद्घोषकों को दी गई थी जिन्होंने अपात्र माल के संबंध में राहत मांगी थी।

(पैराग्राफ 3.7.1)

घ) विनिर्दिष्ट समितियों ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत ₹ 7.01 करोड़ के देय कर वाली 21 उद्घोषणाओं को अनियमित रूप से संसाधित किया, हालांकि उद्घोषक 'पूछताछ/जांच/लेखापरीक्षा' के विषयाधीन थे और रिटर्न फाइल किया था।

(पैराग्राफ 3.7.4)

ङ) विनिर्दिष्ट समितियों ने 14 पात्र उद्घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि भी हुई।

(पैराग्राफ 3.8)

च) 'बकाया' के बजाय 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत 17 उद्घोषणाओं के अनियमित संसाधन के परिणामस्वरूप उद्घोषकों को ₹ 5.1 करोड़ की राशि की अतिरिक्त राहत मिली।

(पैराग्राफ 3.9.2.1)

छ) दस उद्घोषणाओं में देय करों के गलत प्रतिफल के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त राहत मिली।

(पैराग्राफ 3.9.3.1)

- ज) ₹ 90.51 करोड़ के देय कर वाली 65 उद्घोषणाओं में, संबंधित मामलों के साथ यथावत जोड़ने के बाद, पूर्व-जमा/जमा के साक्ष्य को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.10)

- झ) 625 मामलों में जीएसटी अवधि को यानी 1 जुलाई 2017 या उसके बाद को कवर करते हुए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गये थे। यह निर्वहन प्रमाण पत्र के गलत जारी किये जाने को दर्शाता है क्योंकि यह 'योजना' के दायरे से बाहर था।

(पैराग्राफ 3.12.3.7)

- ञ) एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 273.53 करोड़ के देय कर वाले 208 मामलों में बहुभागी उद्घोषणाओं को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों को कई बार संसाधित किया गया था।

(पैराग्राफ 3.13.2)

- ट) पूर्व-जमा के रूप में शास्ति/विलंब फीस/ब्याज के समायोजन के संबंध में समान तरह के मामलों के निपटान में विसंगतियां थीं।

(पैराग्राफ 3.14.1)

- ठ) 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' मामलों के एक जोखिम आधारित नमूने के सत्यापन के लिए कोई प्रणालीगत तंत्र नहीं था; इसके अलावा, 264 अप्रदत्त 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' में ₹ 54.22 करोड़ की वसूली के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव था।

(पैराग्राफ 4.1 एवम् 4.2)

सिफारिशें

- 1) विभाग उन मामलों को समयबद्ध तरीके से प्रवृत्त करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है जो 'योजना' के तहत खारिज कर दिए गए थे और साथ ही 28,825 मामले जिनके लिए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका, विशेष रूप से अनुमानित भुगतान योग्य राशि के भुगतान न करने के कारण। विशेष रूप से, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले जहां देयता का निर्वहन नहीं किया गया था, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए शक्तिपूर्ण अनुसरण किया जाना चाहिए। बकाया पुष्ट मांग हैं और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है और यह संभव है कि कई उद्घोषक करदाता के रूप में जीएसटी व्यवस्था में चले गए हों, और इसलिए वसूली की कार्रवाई संभव है।

(पैराग्राफ 3.1 एवम् 4.2)

- 2) विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में गलत समायोजित पूर्व जमाराशियों के पुनर्मिलान के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।

(पैराग्राफ 3.10)

- 3) विभाग को यह सत्यापित करना होगा कि एसवीएलडीआरएस निपटान के लिए उपयोग किए गए गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों का उपयोग पहले से अतीत में नहीं किया गया है, और भविष्य में उनके दुबारा उपयोग को रोकने के लिए उपयोग किये जा चुके एसवीएलडीआरएस चालानों की निगरानी सूची बनानी चाहियें।

(पैराग्राफ 3.11)

4) विभाग एसवीएलडीआरएस पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि

- (क) पहले से जारी किए गए निर्वहन प्रमाण पत्र में विसंगति को ठीक किया गया और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।
- (ख) निर्वहन प्रमाण पत्र जो जारी नहीं किया जा सका था, जबकि निर्धारिती ने सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं और समय पर भुगतान कर दिया था, अब जारी किए गए हैं और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।
- (ग) विभाग को निर्वहन प्रमाण पत्र को भी सही करना चाहिए जहां निर्वहन प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या एससीएन/ओआईओ में उल्लेखित पंजीकरण संख्या से मेल नहीं खाती हैं, और निर्धारिती को अधिसूचित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.12.3.5 से पैराग्राफ 3.12.3.8 और पैराग्राफ 3.6.2)

5) विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी कानूनी मामले, जहाँ निर्धारिती द्वारा निकासी के लिए आवेदन दिए गये हैं और 'योजना' के तहत इन आवेदनों का सफलता पूर्वक निपटारा किया गया है, को विभिन्न कानूनी मंचों की लंबित सूची से हटा दिया गया है। ऐसे लंबित मामलों की सूची का रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि उनकी पूर्ण निकासी सुनिश्चित की जा सके।

(पैराग्राफ 3.12.3.4 एवम् 4.3)

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 ('योजना') की मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की अनुसूची IV में उल्लिखित माल को छोड़कर) और सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को माल और सेवा कर (जीएसटी) में शामिल किया गया था। 31 मार्च 2019 तक, मुकदमेबाजी और बकाया में देय कर राशि की बड़ी राशि अवरुद्ध थी। मुकदमेबाजी मामलों की बड़ी संख्या को निपटाने और कारोबार को एक नई शुरुआत देने के लिए, 2019 के संघ बजट में विरासत¹ के मामलों के समाधान और निपटान के लिए "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" ('*योजना*') नामक एक विवाद² समाधान-सह-सर्वक्षमा³ योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया। '*योजना*' को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे 1 सितंबर 2019 से लागू करने के लिए सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) द्वारा अधिसूचित किया गया था। जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छोड़कर, उद्घोषणाओं को फाइल करने के लिए '*योजना*' 15 जनवरी 2020 तक चालू थी, जिसके लिए उद्घोषणाओं को फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 थी।

करदाताओं द्वारा उद्घोषणाएं प्रस्तुत करने से लेकर विभाग के अंतिम निर्णय के संप्रेषण तक '*योजना*' पूरी तरह से स्वचालित थी। '*योजना*' ने देय कर राशि की 40 से 70 प्रतिशत तक की राहत और चार श्रेणियों अर्थात् मुकदमेबाजी⁴, बकाया⁵, जांच⁶/पूछताछ⁷/लेखापरीक्षा⁸ और स्वैच्छिक प्रकटीकरण⁹ के तहत ब्याज और शास्ति के भुगतान से पूर्ण राहत की अनुमति दी।

सीबीआईसी के एसवीएलडीआरएस पोर्टल¹⁰ में, उद्घोषणाओं से संबंधित प्रबंधन जानकारी रिपोर्टों (एमआईएस रिपोर्टों) को विभिन्न फॉर्मों अर्थात् एसवीएलडीआरएस-1¹¹, एसवीएलडीआरएस

¹ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामले

² विवाद समाधान घटक का उद्देश्य विभिन्न स्तरों अर्थात् विभाग, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) और उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय पर मुकदमेबाजी में रूके हुए विरासत के मामलों को समाप्त करना था।

³ सर्वक्षमा घटक ने उन करदाताओं को एक अवसर दिया जो देय कर राशि का भुगतान करने के लिए अपनी कर देयता का सही ढंग से चुकौती करने में विफल रहे हैं।

⁴ आदेश के विरुद्ध मुकदमेबाजी/अधिनिर्णयन/दायर अपील/लंबित के तहत मामले

⁵ विभाग के पक्ष में मांगों की पुष्टि के कारण निर्धारिती से वसूली योग्य कोई भी राशि

⁶ अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत की गई कोई भी जांच

⁷ अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत की गई कोई भी पूछताछ

⁸ पूछताछ या अन्वेषण के अलावा, अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत की गई कोई भी संवीक्षा, सत्यापन और जांच

⁹ ऐसे मामले जहां करदाताओं ने स्वेच्छा से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की देय राशि के संबंध में अपनी कर देयता का खुलासा किया और देय कर राशि की कोई राहत स्वीकार्य नहीं थी

¹⁰ <https://myappstore.cbic.gov.in/logon/LogonPoint/tmindx.html>

¹¹ इस प्रतिवेदन में आवेदन रसीद संख्या (एआरएन) और तारीख, पंजीकरण संख्या, करदाता का नाम, क्षेत्राधिकार, श्रेणी/उप-श्रेणी, शामिल अवधि, कुल शुल्क, देय राशि, करदाता द्वारा दी गई राशि, उद्घोषणा की स्थिति आदि जैसी जानकारी शामिल थी।

जीवन चक्र¹² और एसवीएलडीआरएस भुगतान¹³ आदि में अनुरक्षित किया गया था। 3 मार्च 2021 तक पैन इंडिया एसवीएलडीआरएस-1 एमआईएस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न श्रेणियों में लंबित विरासती मामलों की कुल संख्या के प्रति विभाग द्वारा कुल 1,89,648 उद्घोषणाएं प्राप्त हुई थीं; कुल प्राप्त उद्घोषणाओं में से, 29,167 उद्घोषणाएं अस्वीकार कर दी गई थी।

1.2 कानूनी प्रावधान

1.2.1 'योजना'

'योजना' को धारा 120 से 135 के तहत वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय V में शामिल किया गया है। 'योजना' के प्रमुख प्रावधानों का सार निम्नलिखित है:

धारा 121: 'योजना' के लिए प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषाएं

- "उद्घोषक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो उद्घोषणाएं करने के लिए पात्र है और धारा 125 के तहत ऐसी उद्घोषणाओं को फाइल करता है;
- "देय राशि" से अभिप्राय विनिर्दिष्ट समिति द्वारा निर्धारित उद्घोषक द्वारा अंतिम देय राशि है
- "निर्वहन प्रमाण पत्र" से अभिप्राय धारा 129 के तहत विनिर्दिष्ट समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र है।

धारा 123: देय कर राशि

'योजना' के प्रयोजन के लिए, "देय कर राशि" से अभिप्राय है-

- क) 30 जून 2019 को लंबित एक आदेश से उत्पन्न एकल अपील की विवादित राशि और एक आदेश से उत्पन्न एक अपील से ज्यादा के मामले में, फिर जिसे उद्घोषक द्वारा अपनी अपील में विवादित किया जा रहा है और विभागीय अपील में विवादित की जा रही शुल्क राशि है।
- ख) 30 जून 2019 को या उससे पहले कारण बताओ नोटिस¹⁴ (एससीएन) की राशि
- ग) किसी पूछताछ या जांच या लेखापरीक्षा के तहत लंबित राशि
- घ) जहां राशि उद्घोषक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रकटीकृत की गई है; वहां उद्घोषणा में बताई गई कुल शुल्क राशि और
- ङ) जहां उद्घोषक से संबंधित बकाया में एक राशि देय है, बकाया राशि।

धारा 124: उपलब्ध कर राहत

विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्ध कर राहत **तालिका-1** में दर्शाई गई है।

¹² एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 में उपलब्ध जानकारी के अलावा, इस फॉर्म में विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न विवरणों की स्थिति, भुगतान की तारीख आदि जैसी जानकारी दिखाई गई थी।

¹³ भुगतान विवरण इस फॉर्म में उपलब्ध हैं

¹⁴ विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 ए और वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के तहत जारी किए गए नोटिस जो उद्धृत या भुगतान न किए गए या कम उद्धृत किए गए हैं या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से प्रतिदाय किए गए शुल्कों/कर से संबंधित है।

तालिका-1

क्र.सं .	आवेदन की श्रेणी	विवरण	₹ 50 लाख या उससे कम की देय कर राशि	₹ 50 लाख से ज्यादा की देय कर राशि	शास्ति/ब्याज/ विलंब फीस
1	2	3	4	5	
1	मुकदमेबाजी	30 जून 2019 को लंबित एससीएन/एक या अधिक अपील	70 प्रतिशत	50 प्रतिशत	पूर्ण छूट
2	बकाया	बकाया में एक राशि से संबंधित देय कर राशि	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	पूर्ण छूट
3	जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा	जांच/पूछताछ/लेखापरीक्षा से संबंधित कर राशि जो कि 30 जून 2019 या उससे पहले निर्धारित की गई	70 प्रतिशत	50 प्रतिशत	पूर्ण छूट
4	स्वैच्छिक प्रकटीकरण	स्वेच्छा से प्रकटीकृत की गई कर देयता	शून्य		पूर्ण छूट

धारा 126: विनिर्दिष्ट समिति का गठन और कार्य

प्रत्येक कमिश्नरी में गठित विनिर्दिष्ट समितियां 1 सितंबर 2019 से 31 मई 2020 तक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में करदाताओं के लिए 31 जनवरी 2021 तक उद्घोषणा (फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1) में प्रस्तुत विवरणों की यथार्थता का सत्यापन करेंगी।

धारा 130: 'योजना' की प्रतिबंधताएं

'योजना' के तहत भुगतान की गई राशि (i) इनपुट कर क्रेडिट खाते से भुगतान नहीं होना चाहिए, (ii) किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय योग्य राशि नहीं होनी चाहिए और (iii) इनपुट कर क्रेडिट के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा, यदि पूर्व-जमा देय भुगतान से अधिक है, तो प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

1.2.2 'योजना' नियमावली

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली (एसवीएलडीआरएस नियमावली), 2019 को उद्घोषणाओं और इसकी स्वीकृति के फॉर्म और तरीके का निर्धारण, विनिर्दिष्ट समितियों का गठन, उद्घोषणाओं के सत्यापन और निर्धारित फॉर्म में विवरण जारी करना, देय कर राशि का भुगतान और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करना, अधिसूचित किया गया था (21 अगस्त 2019)। एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के मुख्य प्रावधानों का सार निम्न प्रकार है:

नियम 3: उद्घोषणाओं के फॉर्म

(1) धारा 125 के तहत उद्घोषणा को उद्घोषक द्वारा फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में <https://cbic-gst.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

नियम 4: उद्घोषणाओं की स्वतः रूप से पावती देना

उद्घोषणाओं की प्राप्ति पर, सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट संदर्भ संख्या वाली एक पावती स्वतः रूप से सृजित की जाएगी।

नियम 6: विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा सत्यापन

शुल्क की एक राशि के 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले के अलावा, धारा 125 के तहत की गई उद्घोषणा को उद्घोषक द्वारा प्रस्तुत विवरणों के साथ-साथ विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर विनिर्दिष्ट समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

नियम 7: भुगतान करने का फॉर्म और तरीका


प्रत्येक उद्घोषक द्वारा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा जारी फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 के अनुसार राशि का, इसके जारी होने की तिथि से 30 जून 2020 तक या इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिये।

1.3 'योजना' क्रियाविधि/प्रक्रिया

सीबीआईसी ने अगस्त 2019 से नवंबर 2020 तक की अवधि के दौरान विभिन्न परिपत्रों/निर्देशों/एडवाइजरी के माध्यम से इस 'योजना' से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किए थे।

प्रावधानों में परिकल्पित प्रक्रिया को **चार्ट 1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1



प्रमुख शर्तें-

- निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, ऐसी उद्घोषणा में शामिल की गई अवधि के लिए किसी भी कार्यवाही में कोई मामला फिर से खोला नहीं जाएगा।

- इस 'योजना' के तहत भुगतान की गई राशि का भुगतान इनपुट कर क्रेडिट के खाते के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए/किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय योग्य नहीं होना चाहिए/इनपुट कर क्रेडिट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- यदि 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' का विवरण निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के एक वर्ष की अवधि के भीतर गलत पाया जाता है, तो लागू अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

1.4 एसवीएलडीआरएस पोर्टल

'योजना' उदघोषणाओं को ऑनलाइन फाइल करने और अंतिम निर्णय के संप्रेषण के लिए एक समर्पित एसवीएलडीआरएस पोर्टल (cbic-gst.gov.in) के साथ पूरी तरह से स्वचालित थी। डीजी (सिस्टम्स) ने इस 'योजना' को लागू करने के लिए प्रदान की जा रही ऑनलाइन सुविधा के लिए एक उपयोगकर्ता नियमपुस्तक जारी की थी। यह निर्णय लेने में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ किया गया था।

एक एकीकृत एसवीएलडीआरएस एप्लीकेशन विकसित करने के लिए, मैसर्स विप्रो लिमिटेड ने 23 जुलाई 2019 को 'योजना' का एसआरएस¹⁵ और कार्यप्रवाह दस्तावेज प्रस्तुत किया और विक्रेता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न एसआरएस संस्करणों के बाद 14 अगस्त 2019 को अंतिम एसआरएस को अनुमोदित किया गया। एप्लीकेशन के प्रस्तुतीकरण परिनियोजन की 31 अगस्त 2019 पर सहमति हुई थी तथा वास्तविक परिनियोजन 60 दिनों की देरी के बाद 30 अक्टूबर 2019 को पूरा हुआ था।

इस आवश्यकता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त कार्य (सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी आईटी एप्लीकेशन के लिए मूल संविदा का भाग न होने पर) के रूप में अनुमोदित किया गया था, जो विक्रेता द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन अनुरोधों के रूप में था। डीजी (सिस्टम्स) ने एकीकृत एसवीएलडीआरएस एप्लीकेशन के विकास पर कुल राशि ₹ 1.13 करोड़ का व्यय किया।

¹⁵ सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश

अध्याय 2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 हमने यह विषय क्यों चुना

'योजना' केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विरासत मामलों के लिए एक 'विवाद समाधान-सह-सर्वक्षमा योजना' थी, जिसके तहत विभाग को ₹ 90,387.03 करोड़ की कुल राशि वाली 1.89 लाख उद्घोषणाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें ₹ 59,193.13 करोड़ राशि के विवादित शुल्क/कर ₹ 28,880.08 करोड़ की शास्ति, ₹ 318.26 करोड़ की विलंब फीस और ₹ 1,995.56 करोड़ के स्वैच्छिक प्रकटीकरण शामिल थे। 'योजना' ने विवादित शुल्क/कर राशि पर 40-70 प्रतिशत राहत और शास्ति/विलंब शुल्क पर 100 प्रतिशत राहत की अनुमति दी। इस परिदृश्य में, यह महसूस किया गया कि एक निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से इस 'योजना' के कार्यान्वयन का एक स्वतंत्र निर्धारण आवश्यक था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- i) 'योजना' के कार्यान्वयन के लिए डिज़ाइन की गई समग्र प्रक्रिया पर्याप्त और पूर्ण थी;
- ii) विभाग ने कानून के अनुसार मामलों के निपटान और देय कर राशि की वसूली सुनिश्चित की थी;
- iii) आंतरिक नियंत्रण तंत्र 'योजना' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे; और
- iv) विभाग ने पूर्व प्रशासित स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013, (वीसीईएस) से प्राप्त सीखों को स्वीकृत लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित इस विषय पर कार्यान्वित किया।

2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी की वेबसाइट <https://myappstore.cbic.gov.in> से जीएसटी एप्लीकेशन के अन्तर्गत एसवीएलडीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध 'एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 पर अखिल भारत विस्तृत रिपोर्ट' को डाउनलोड किया। 'एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 पर विस्तृत रिपोर्ट' में, लेखापरीक्षा में 'योजना' के तहत फाइल की गई कुल 1,89,648 उद्घोषणाएं पाई गईं। 107 कमिश्नरियों में 1,89,648 उद्घोषणाओं में से, लेखापरीक्षा ने इस निष्पादन लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन के माध्यम से 52 कमिश्नरियों (50 प्रतिशत) (परिशिष्ट I) में 20,063 उद्घोषणाओं (10.57 प्रतिशत) का चयन किया। कुल संख्या के प्रति लेखापरीक्षा नमूने का श्रेणी-वार विवरण तालिका-II में दर्शाया गया है।

तालिका-II

श्रेणी	उद्घोषणाओं की संख्या			लेखापरीक्षा जांच के लिए चयनित उद्घोषणाओं की संख्या		
	₹ 50 लाख से ज्यादा देय कर राशि	₹ 50 लाख या उससे कम देय कर राशि	कुल	₹ 50 लाख से ज्यादा देय कर राशि	₹ 50 लाख या उससे कम देय कर राशि	कुल
1	2	3	4(2+3)	5	6	7 (5+6)
मुकदमेबाजी	8,743	51,383	60,126	4,244	5,840	10,084
बकाया	1,865	64,908	66,773	843	4,362	5,205
जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा	1,521	8,193	9,714	772	1,014	1,786
स्वैच्छिक प्रकटीकरण	510	23,358	23,868	269	1,203	1,472
अस्वीकृत	2,687	26,480	29,167	668	848	1,516
कुल	15,326	1,74,322	1,89,648	6,796	13,267	20,063

स्रोत: अखिल भारतीय विस्तृत रिपोर्ट एसवीएलडीआरएस फार्म-1

2.4 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

यह निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा सत्यापित नमूना उद्घोषणाओं की जांच के साथ नवंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच की गई थी। हमने 6 नवंबर 2020 को मंत्रालय के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेंस में इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 24 दिसंबर 2021 को मंत्रालय को जारी की गई थी। मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस 12 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने 16 मार्च 2022 को मसौदा रिपोर्ट पर अपने उत्तर प्रस्तुत किए। हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के लिए सीबीआईसी और इसकी अधीनस्थ संरचनाओं द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

2.5 दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, ₹ 1,500.71 करोड़ के देय कर राशि वाली, 6 कमिश्नरियों¹⁶ के संबंध में, 461 फाइलों (2.30 प्रतिशत) को बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका-III में दर्शाया गया है-

तालिका-III

कुल कमिश्नरी	कुल उद्घोषणाएँ	चयनित कमिश्नरी	चयनित उद्घोषणाएँ	विवरण प्रस्तुत किए गए परन्तु फ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई	विवरण आंशिक रूप से उपलब्ध कराए गए	न ही फ़ाइल और न ही विवरण प्रस्तुत किए गए
107	1,89,648	52	20,063	42	244	175

¹⁶ कोलकत्ता उत्तर, कोलकत्ता दक्षिण, लखनऊ, चंडीगढ़, लुधियाना और फरीदाबाद

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने 43 मामलों में गैर-प्रस्तुतीकरण को स्वीकार किया (मार्च 2022)। 315 मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि क्योंकि 'योजना' ऑनलाइन थी, इसलिए भौतिक फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। 13 मामलों के संबंध में, यह बताया गया कि अभिलेख एसवीएलडीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फाइलों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा उद्घोषणा में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित नहीं कर सकी। शेष 90 मामलों, जहां विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे, के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2022)।

अध्याय 3: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1 सांख्यिकीय विश्लेषण

अखिल भारतीय एमआईएस रिपोर्ट एसवीएलडीआरएस-1 से, हमने पाया कि सरकार ने 1,89,648¹⁷ आवेदन प्राप्त किए, जिनमें से 29,167 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया और शेष 1,60,481 आवेदनों को स्वीकार किया। इन 1,60,481 स्वीकृत आवेदनों में से, 28,825 विवादित मामले पूर्णता (मामले जहां निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे) प्राप्त नहीं कर सके। शेष 1,31,656 मामलों में, निर्वहन प्रमाण पत्र ₹ 42,353 करोड़ (देय कर राशि) के प्रति निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। सरकार ने देय कर राशि की ₹ 18,139 करोड़ के पूर्व-जमा जोकि 'योजना' के शुरू होने से पहले प्राप्त किए गए थे को समायोजित करने के बाद, ₹ 9,492 करोड़ (एसवीएलडीआरएस 1 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार) वसूल किए और इन विवादों को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शेष ₹ 14,696 करोड़ देय कर राशि को छोड़ दिया। विवरण **तालिका-IV** में दिए गए हैं।

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 में बताया गया कि 'योजना' को विरासत करों अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर जिन्हें जीएसटी के तहत समाहित किया गया है, से संबंधित भार को उतराने के लिए और कारोबार को एक नई शुरुआत की अनुमति देने और जीएसटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था।

¹⁷ मुकदमेबाजी-60,126, बकाया-66,773, जांच-9,714, स्वैच्छिक प्रकटीकरण-23,868, अस्वीकार्य-29,167

(रु करोड़ में)

तालिका-IV

श्रेणी	कुल मामले (कुल धन मूल्य)	अस्वीकृत मामले (अस्वीकृत धन मूल्य)	संसाधित मामले (संसाधित मामले धन मूल्य)	मामले अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर सके (धन मूल्य मामले अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर सके)	निर्वहन प्रमाण पत्र जारी (निर्वहन प्रमाण पत्र जारी कर बकाया)	भुगतान (एसवीएलडीआरए स 1 के अनुसार)	पूर्व जमा	छोड़ा गया राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुकदमेबाजी	70,107 (42,720)	9,981 (5,368)	60,126 (37,352)	8,634 (5,732)	51,492 (31,620)	6,167	14,186	11,267
बकाया	78,764 (8,936)	11,991 (1,330)	66,773 (7,606)	12,025 (1,970)	54,748 (5,636)	1,741	1,512	2,383
जांच	13,390 (7,537)	3,676 (2,460)	9,714 (5,077)	1,681 (1,005)	8,033 (4,073)	586	2,441	1,046
सैद्धिक प्रकटीकरण	27,387 (1,996)	3,519 (313)	23,868 (1,683)	6,485 (658)	17,383 (1,024)	998	0	0
कुल	1,89,648 (61,189)	29,167 (9,471)	1,60,481 (51,718)	28,825 (9,365)	1,31,656 (42,353)	9,492	18,139	14,696

स्रोत: अखिल भारतीय विस्तृत रिपोर्ट एसवीएलडीआरएस फार्म-1

अखिल भारतीय मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) से, हमने तीन श्रेणियों अर्थात् 'मुकदमेबाजी', 'बकाया' और 'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' के तहत उपलब्धियों का 31 मार्च 2019 तक अखिल भारतीय मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) में इन तीन श्रेणियों में विरासत मामलों की कुल संख्या और इन श्रेणियों के तहत फाइल उद्घोषणाओं की तुलना करके पता लगाने का प्रयास किया। विवरण नीचे **तालिका-V** में दिया गया है-

तालिका-V

(₹ करोड़ में)

'योजना' का लक्ष्य और उपलब्धि						
श्रेणी	एमपीआर के अनुसार 31 मार्च 2019 तक लंबित विरासत मामले		एसवीएलडीआरएस के तहत फाइल की गई उद्घोषणाओं की कुल संख्या			
	संख्या	राशि	संख्या	शास्ति/विलंब फीस सहित राशि	पूर्व-जमा की राशि	एसवीएलडीआरएस के तहत शामिल कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
मुकदमेबाजी	1,18,575	3,76,207	70,107	66,843	14,186	81,029
बकाया	66,036	49,353	78,764	14,011	1,512	15,523
जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा	1,260	35,870	13,390	7,537	2,441	9,978
कुल	2,05,871	4,61,430	1,62,261	88,391	18,139	1,06,530

स्रोत: अखिल भारतीय मासिक निष्पादन रिपोर्ट एवम् विस्तृत रिपोर्ट एसवीएलडीआरएस फार्म-1

उपरोक्त तालिका से, हमने पाया कि 31 मार्च 2019 तक, 'योजना' की शुरुआत में लंबित ₹ 4,61,430 करोड़ की कुल विवादित राशि वाले कुल 2,05,871 मामलों में से, ₹ 1,06,530 करोड़ (विलंब फीस/शास्ति सहित) की कुल विवादित राशि वाले 1,62,261 मामलों में, उद्घोषकों ने 'योजना' के लिए आवेदन किया था।

इस प्रकार, 21.18 प्रतिशत (मामलों के संबंध में) और 76.91 प्रतिशत (राशि के संबंध में) 'योजना' से बाहर रहे।

देय कर राशि की श्रेणी वार वसूली तालिका VI में नीचे वर्णित की गई है-

तालिका-VI

श्रेणी	प्राप्त उद्घोषणाओं की संख्या	अस्वीकृत उद्घोषणाओं की संख्या	करदाताओं द्वारा दायित्व को पूरा न करने के कारण पूर्णता प्राप्त न करने वाले मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	देय कर राशि के निपटान का तरीका
1	2	3	4	5	6
मुकदमेबाजी	70,107	9,981	8,634	51,492	कुल: ₹ 31,620 करोड़ पूर्व-जमा समायोजित: ₹ 14,186 करोड़ वसूली: ₹ 6,167 करोड़ छोड़े गए: ₹ 11,267 करोड़
बकाया	78,764	11,991	12,025	54,748	कुल: ₹ 5,636 करोड़ पूर्व-जमा समायोजित: ₹ 1,512 करोड़ वसूली: ₹ 1,741 करोड़ छोड़े गए: ₹ 2,383 करोड़
जांच/पूछताछ /लेखापरीक्षा	13,390	3,676	1,681	8,033	कुल: ₹ 4,073 करोड़ पूर्व-जमा समायोजित: ₹ 2,441 करोड़ वसूली: ₹ 586 करोड़ छोड़े गए: ₹ 1,046 करोड़
स्वैच्छिक प्रकटीकरण	27,387	3,519	6,485	7,383	कुल: ₹ 1,024 करोड़ पूर्व जमा समायोजित: शून्य वसूली: ₹ 998 करोड़ छोड़े गए: लागू ब्याज और शास्ति
कुल	1,89,648	29,167	28,825	1,31,656	

स्रोत: अखिल भारतीय विस्तृत रिपोर्ट एसवीएलडीआरएस फार्म-1

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 10,004 गैर-संसाधित स्वैच्छिक उद्घोषणाएं थीं, जिनमें करदाताओं द्वारा ₹ 971 करोड़ देय कर राशि प्रकट की थी परन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया था, विभाग को वसूली प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि ये मामले देय कर राशि की वसूली के लिए अभी तक भी मुकदमेबाजी के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि 'योजना' का मुख्य उद्देश्य विरासत करों के पिछले विवादों को परिसमाप्त करना था, जिन्हें माल एवं सेवा कर (विवाद समाधान) के तहत समाहित किया गया था और अनुपालन न करने वाले

करदाताओं/कर अपवंचकों को कर के दायरे (सर्वक्षमा) में लाना था। 'योजना' का लक्ष्य विरासत करों से करदाताओं के बड़े हिस्से को मुक्त करना था ताकि अधिकारियों के साथ-साथ वे जीएसटी कानून पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा छोटे करदाताओं को आकर्षित करने के लिए, आकर्षक राहत की पेशकश की गई थी।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि यद्यपि शामिल राजस्व लंबित राजस्व का केवल 13 प्रतिशत था, 31 मार्च, 2019 तक लंबित मुकदमेबाजी मामलों के 78.81 प्रतिशत मामलों ने 'योजना' को चुना है जिससे 'योजना' का एक मूल उद्देश्य पूरा होता है।

3.2 लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों का सार

'योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कुल मामलों और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने के प्रति पाई गई कमियों की मात्रा तालिका-VII में दर्शाई गई है।

निष्कर्षों की प्रकृति	पैरा का संदर्भ	लेखापरीक्षा संसृति	लेखापरीक्षा नमूना	नमूना मामलों में पाई गई कमियां	
		मामले	मामले	मामले	देय कर राशि
वीसीईएस पर की गई कार्रवाई में कमियां	3.3	27,387	1,454	14	2.42
डीसी की स्थापना से संबंधित निष्कर्ष	3.4.1 से 3.4.3	107 कमिश्नरी	52 कमिश्नरी	33 कमिश्नरी	-----
अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित की गई कमियां	3.5.1 से 3.5.6	1,89,648	-----	97,727	34,212.26
प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमियां क) अपात्र मामलों को संसाधित करना ख) पात्र मामलों की अस्वीकृति ग) गलत संसाधन और गलत निर्धारण	3.7.1 से 3.9.3, 3.10	1,89,648	19,603	212	368.03
विवरणों/निर्वहन प्रमाण पत्र में कमियां	3.12.1 से 3.12.3	1,89,648	19,603	5,698	5,255.57
समान मामलों के निदान में असंगति	3.14.1	1,65,780	18,147	44	370.48

3.3 स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013 (वीसीईएस) पर की गई कार्रवाई में कमियां

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, वीसीईएस पर मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट संख्या 16 द्वारा सीएजी की सिफारिशों के अनुसार, विभागीय जांच और सतर्कता विंग के माध्यम से अपवंचकों को कर के दायरे में लाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाना था, ताकि उन चूककर्ताओं को एक मजबूत संदेश दिया जा सके, जो योजना के बावजूद सही नहीं पाए गए थे, यह एक प्रभावी निवारक प्रभाव है और नियमित करदाताओं के मनोबल को भी बढ़ाता है।

23,868 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं में से, हमने 1,454 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि पांच कमिश्नरियों¹⁸ के तहत ₹ 2.42 करोड़ की देय कर राशि वाले 14 मामलों में, उन व्यक्तियों, जिन्होंने वीसीईएस के तहत लाभ प्राप्त किया था, ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत 'योजना' के लिए भी आवेदन दिया था। इस प्रकार, इन करदाताओं को एक बार फिर समय पर कर भुगतान न करने पर ब्याज/शास्ति/विलंब फीस के लिए 'योजना' के तहत लाभ प्राप्त हुआ। हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि आपत्ति सीधे तौर पर 'योजना के प्रावधानों' से संबंधित नहीं है। यह वीसीईएस कर अपवंचकों को कर के दायरे में रखने में विभाग की कथित विफलता के बारे में है। इसमें कोई नीतिगत मुद्दा शामिल नहीं है क्योंकि ऐसे अपवंचकों को कर के दायरे में रखने का उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकार संरचनाओं के पास था। हालांकि, ऐसे कर अपवंचकों को 'योजना' से बाहर रखना भी वांछनीय नहीं था; मंत्रालय ने उल्लेखित किया कि निर्धारिती द्वारा घोषित संपूर्ण देय कर राशि पर 'योजना' के तहत किसी भी कर राहत को दिए बिना विचार किया गया है।

हालांकि, तथ्य यह रहा कि कुछ मामलों में, विभाग वीसीईएस कर अपवंचक परिवारियों को कर दायरे में रखने में विफल रहा, जिसके कारण दोनों योजनाओं में ब्याज/शास्ति/विलंब फीस से राहत प्राप्त हुई, तथापि वीसीईएस में करदाताओं को एक बार सर्वक्षमा की पेशकश की गई थी।

3.4 विनिर्दिष्ट समितियों की स्थापना से संबंधित निष्कर्ष

'योजना' को सफल बनाने के लिए, सीबीआईसी परिपत्र संख्या 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न कार्रवाईयां परिकल्पित की गई थी, जिसमें व्यापार और पात्र करदाताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए गहन आउट-रीच कार्यक्रम करना, उद्घोषणाओं (एसवीएलडीआरएस-1) के सत्यापन के लिए दो विनिर्दिष्ट समितियों का गठन, विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था और 'योजना' के शुरू होने से पहले विनिर्दिष्ट समितियों को पात्र करदाताओं के अद्यतित और पूर्ण अभिलेखों की समय पर उपलब्धता शामिल है।

हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि ये कार्रवाई एक उपयुक्त व्यवस्था बनाने के लिए किस हद तक की गई थी और विभाग की ओर से कुछ कमियां पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है-

3.4.1 कुछ कमिश्नरियों में विनिर्दिष्ट समितियों के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया

सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019- सीएक्स 8, दिनांक 27 अगस्त 2019 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना जोनल प्रधान मुख्य कमिश्नरों/मुख्य कमिश्नरों और प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, डीजीजीआई (डीजीजीआई, दिल्ली के मामले में) का उत्तरदायित्व है कि विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्य उचित रूप से प्रशिक्षित है और 'योजना' तथा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में अच्छे से निपुण है। तदनुसार, विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों का उचित प्रशिक्षण एनएसीआईएन¹⁹ में किया जाना था।

¹⁸ गुवाहाटी, लुधियाना, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु पश्चिम और बेंगलुरु दक्षिण

¹⁹ राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी

कुल 107 कमिश्नरियों में से हमने 52 कमिश्नरियों का चयन किया था और चयनित 52 कमिश्नरियों से एनएसीआईएन में प्रशिक्षण कराने के संबंध में जानकारी मांगी थी (नवंबर 2020-अप्रैल 2021) और पाया कि 42 कमिश्नरियों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था; तथापि, आठ (15.38 प्रतिशत) कमिश्नरियों²⁰ में विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों के लिए ऐसा कोई भी प्रशिक्षण डीजी (एनएसीआईएन) में नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि चार कमिश्नरियों²¹ में एसवीएलडीआरएस समिति के सदस्य 'योजना' में अच्छे से निपुण थे और आंतरिक परिचर्चाएँ की गई थी ताकि 'योजना' के प्रत्येक प्रावधान की स्पष्ट समझ सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय ने आगे बताया कि सुगम अभिगम के लिए सीबीआईसी की वैबसाइट पर विस्तृत प्रयोक्ता नियमपुस्तक अपलोड की गई थी। इस संदर्भ में विभाग द्वारा किसी आशंका से बचने के लिए बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए थे। संबंधित अधिकारियों को 'योजना' के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन के लिए सही मार्ग पर चलने हेतु मागदर्शन में सहायता करने के लिए नियमित परिपत्र और दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अतः प्रशिक्षण का प्रयोजन उपर्युक्त उपायों से पूर्णतः पूरा किया गया।

तथ्य यह रहा कि डीजी (एनएसीआईएन) द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण कुछ कमिश्नरियों में निष्पादित नहीं किया गया था और रंगारेड्डी एवं चंडीगढ़ कमिश्नरी से डीजी (एनएसीआईएन) में प्रशिक्षण आयोजित करने से संबंधित सूचना अभी तक प्रतीक्षित थी (मार्च 2022)।

3.4.2 कुछ कमिश्नरियों में विनिर्दिष्ट समितियों को अद्यतित एवं पूर्ण अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए थे

सीबीआईसी परिपत्र सं.1071/4/2019-सीएक्स, दिनांक 27 अगस्त 2019 के अनुसार 'योजना' के अंतर्गत पात्र मामलों के अद्यतित और पूर्ण अभिलेख 31 अगस्त 2019 तक विनिर्दिष्ट समितियों को उपलब्ध कराए जाने थे।

कुल 107 कमिश्नरियों में से हमने 52 कमिश्नरियों का चयन किया और विनिर्दिष्ट समितियों के पास अद्यतित और पूर्ण अभिलेखों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी मांगी थी (नवंबर 2020-अप्रैल 2021) और पाया कि 37 कमिश्नरियों में अद्यतित और पूर्ण अभिलेखों को विनिर्दिष्ट समितियों को उपलब्ध कराया गया था। तथापि, 15 (28.84 प्रतिशत) कमिश्नरियों²² में अद्यतित और पूर्ण अभिलेखों को विनिर्दिष्ट समितियों को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

²⁰ डिब्रूगढ़, पालघर, अहमदाबाद उत्तर, गांधीनगर, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ और जमशेदपुर

²¹ अहमदाबाद उत्तर, कोच्चि, लखनऊ और जमशेदपुर

²² कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, गुवाहाटी, इम्फाल, गुंटूर, लुधियाना, पंचकुला, फरीदाबाद, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली उत्तर, दिल्ली पूर्व, इंदौर, रायपुर और कोच्चि

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 11 कमिश्नरियों²³ के संबंध में तर्क दिया (मार्च 2022) कि 'योजना' के अंतर्गत सभी पात्र मामलों के अद्यतित और पूर्ण अभिलेखों को संबंधित डिविजनों/अनुभागों से सत्यापन रिपोर्ट मंगाकर विनिर्दिष्ट समितियों को उपलब्ध कराया गया था और विनिर्दिष्ट समितियों ने इन रिपोर्टों/अभिलेखों की संवीक्षा/सत्यापन के बाद उद्घोषणाओं को संसाधित किया था। हमारा तर्क है कि विनिर्दिष्ट समितियों को 31 अगस्त 2019 तक अद्यतित और पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे यद्यपि ये क्षेत्रीय संरचनाओं के पास आसानी से उपलब्ध थे।

3.4.3 कुछ कमिश्नरियों में उद्घोषणा के सत्यापन हेतु जांचसूची परिभाषित नहीं की गई

मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वीसीईएस पर मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन सं. 16 के माध्यम से की गई सिफारिश के अनुसार उद्घोषकों द्वारा फाइल की गई उद्घोषणा के सत्यापन हेतु जांचसूचियां परिभाषित की जानी थी।

हमने 52 कमिश्नरियों से उपर्युक्त जानकारी मांगी थी और पाया कि उन्नीस कमिश्नरियों²⁴ (36.52 प्रतिशत) में जांचसूचियां परिभाषित नहीं की गई थी और 33 कमिश्नरियों में जांचसूचियां परिभाषित थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि विभिन्न विनिर्दिष्ट समितियों के मध्य एकरूपता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और विस्तृत एप्लिकेशन फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 अधिसूचित किया गया था जिसमें उद्घोषणाओं को संसाधित करने के लिए सत्यापन हेतु अपेक्षित विवरण शामिल थे। तदनुसार, किसी पृथक जांचसूची को आवश्यक नहीं समझा गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 33 कमिश्नरियों में उद्घोषकों द्वारा फाइल की गई घोषणा की सत्यता के सत्यापन हेतु पृथक जांचसूची परिभाषित की गई थी। इसके अलावा, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 जांचसूची नहीं थी; यह उद्घोषकों द्वारा फाइल की गई मात्र एक उद्घोषणा थी।

3.5 अखिल भारतीय एमआईएस रिपोर्ट विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित कमियां

हमने देखा कि 'योजना' की विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट को चार प्रारूपों में सीबीआईसी के आल-इन-वन (एआईओ) एसवीएलडीआरएस पोर्टल से सृजित किया गया था जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है-

- **एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट:** इस एमआईएस रिपोर्ट में एआरएन और तारीख, पंजीकरण संख्या, करदाता का नाम, क्षेत्राधिकार, श्रेणी/उपश्रेणी, शामिल अवधि, कुल शुल्क, देय राशि, करदाता द्वारा दी गई राशि, उद्घोषणा की स्थिति²⁵ आदि जैसी जानकारी शामिल थी।

²³ जोधपुर, जमशेदपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, गुंटूर, बेंगलुरु दक्षिण, कोच्चि, जयपुर, रंगारेड्डी, बेंगलुरु पूर्व और दिल्ली पूर्व

²⁴ कानपुर, नोएडा, गुंटूर, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई आउटर, कोयंबटूर, कोझिकोड, लखनऊ, चंडीगढ़, पंचकुला, मुंबई सेंट्रल, मुंबई पूर्व, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोच्चि और गांधीनगर

²⁵ अस्वीकृत, एसवीएलडीआरएस-1, 2, 3 और 4 जारी किया गया, व्यक्तिगत सुनवाई के साथ सहमति/असहमति आदि

- **एसवीएलडीआरएस जीवन चक्र एमआईएस रिपोर्ट:** एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न विवरणों की स्थिति²⁶, भुगतान की तारीख आदि जैसी जानकारी दर्शायी गई थी।
- **एसवीएलडीआरएस भुगतान एमआईएस रिपोर्ट:** इस रिपोर्ट में एआरएन, पंजीकरण संख्या, करदाता का नाम, करदाता का प्रकार, क्षेत्राधिकार, श्रेणी, एसवीएलडीआरएस-3 संख्या, चालान संख्या, भुगतान की तारीख और भुगतान की राशि शामिल है।
- **एसवीएलडीआरएस भुगतान-खाता शीर्ष-वार एमआईएस रिपोर्ट:** इस रिपोर्ट में एसवीएलडीआरएस 1, एसवीएलडीआरएस-3 और भुगतान की श्रेणी-वार और लेखांकन शीर्ष-वार जानकारी शामिल है।

हमने उपरोक्त एमआईएस रिपोर्टों का विश्लेषण किया और 'योजना' के प्रावधानों के अनुरूप गलत डेटा के सृजन और डेटा के वैधीकरण नहीं होने/प्रतिबंधित होने के दृष्टांत पाए गए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है-

3.5.1 निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने में गलत डेटा का सृजन

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 यह प्रावधान करती है कि निर्वहन प्रमाण पत्र तब जारी किया जा सकता है, जब करदाता ने एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाई गई देय राशि का भुगतान कर दिया हो। अतः, जहां देय राशि थी और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वहां 'भुगतान की गई राशि' 'शून्य' नहीं होनी चाहिए।

तथापि, अखिल भारतीय "एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट" जिसमें 1,89,648 उद्घोषणाएं शामिल थीं, के विश्लेषण से पता चला कि 76,801 उद्घोषणाओं (40.5 प्रतिशत) में डेटा में भुगतान की गई राशि को 'शून्य' दर्शाया गया था, जबकि ₹ 9,274.17 करोड़ की कुल राशि को देय दर्शाया गया था जिसके लिए निर्वहन प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इस प्रकार, एमआईएस रिपोर्ट के डेटा में निर्वहन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने को दर्शाया गया है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि उद्घोषक द्वारा देय राशि²⁷ का भुगतान नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि सिस्टम से प्राप्त किए गए एसवीएलडीआरएस-1 पर विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट में दर्शाई गई कोई भी विसंगति विशुद्ध रूप से एक एसवीएलडीआरएस पोर्टल की त्रुटि है और किसी भी मामले में, एसवीएलडीआरएस-3 के अनुसार भुगतान के बिना और एसवीएलडीआरएस की प्रणाली से जोड़े बिना निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

3.5.2 विस्तृत एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट में समान एआरएन की अनुमति

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 4 के अनुसार उद्घोषणा की प्राप्ति पर एक विशिष्ट एआरएन वाली स्वतः पावती सृजित की जानी थी।

²⁶ दिनांक और समय

²⁷ नमूना जांच किए गए मामलों की लेखापरीक्षा से पता चला कि भुगतान प्राप्त हुआ था, और यह एक एसवीएलडीआरएस पोर्टल त्रुटि थी

तथापि, अखिल भारतीय “ब्यौरेवार एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट” में दर्शाया गया कि कुल 1,89,648 मामलों में से ₹ 58.61 करोड़ की देय कर राशि वाले 40 मामलों में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने प्रतिरूप एआरएन सृजित किए थे और ₹ 7.89 करोड़ की देय कर राशि वाले तीन मामलों में एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने तीन प्रतिरूप एआरएन सृजित किए थे।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने यह स्वीकार किया (मार्च 2022) कि 14 मामलों में विस्तृत एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 रिपोर्ट ने एसवीएलडीआरएस पोर्टल में तकनीकी त्रुटि के कारण प्रतिरूप एआरएन दर्शाया था। तथापि, मामले एकल उद्घोषणा के लिए ही संसाधित किए गए थे और तदनुसार निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। नौ मामलों में, मंत्रालय ने कहा कि कोई प्रतिरूप एआरएन सृजित नहीं किए गए थे परंतु, “विस्तृत एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट” में प्रतिरूप एआरएन दर्शाने का कारण नहीं बताया। शेष 20 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.5.3 जीएसटी अवधि से संबंधित उद्घोषणाओं को गलत तरीके से अनुमति देना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 122 के अनुसार, ‘योजना’ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V और इसके तहत बनाए गए नियमों पर लागू थी। इसके अतिरिक्त, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अनुसार, कोई व्यक्ति ‘योजना’ के तहत उद्घोषणाएं कर सकता है, बशर्ते कि उसने किसी भी पूछताछ या जांच या लेखापरीक्षा के अधीन होने के बाद कोई स्वैच्छिक प्रकटीकरण नहीं किया हो; अथवा; अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत रिटर्न फाइल किया हो, जिसमें उसने देय के रूप में शुल्क की राशि दर्शाई की हो परन्तु भुगतान नहीं किया हो। इस प्रकार, ‘योजना’ के तहत स्वैच्छिक उद्घोषणाओं में जीएसटी के लागू होने, अर्थात् 1 जुलाई 2017 से पहले की कर अवधि होनी चाहिए क्योंकि विरासत अवधि 30 जून 2017 को समाप्त होती है और ‘योजना’ केवल विरासत अवधि के मामलों से संबंधित है।

तथापि, अखिल भारतीय “एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट” में दर्शाया गया कि कुल 27,387 स्वैच्छिक उद्घोषणाओं में से, ₹ 56.70 करोड़ की देय कर राशि वाली 669 उद्घोषणाओं (2.44 प्रतिशत) में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद की कर अवधि के लिए स्वैच्छिक उद्घोषणाएं स्वीकार की। इस प्रकार, एसवीएलडीआरएस पोर्टल विरासत अवधि की अंतिम समय-सीमा के साथ तादात्म्य नहीं थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल पूर्णतः ‘योजना’ के तादात्म्य नहीं था क्योंकि एसवीएलडीआरएस पोर्टल को अत्यधिक कम समय में डिज़ाइन किया गया था और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इसमें कुछ अप्रत्याशित तकनीकी त्रुटियां रह गई थीं। महानिदेशक सिस्टम्स ने इसके लिए समय-समय पर उपयुक्त समाधान प्रस्तुत किए थे। तथापि, तथ्य यह रहा कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने उद्घोषक को 1 जुलाई 2017 या उसके बाद की अवधि का उल्लेख करने की अनुमति दी, जबकि इसमें शामिल वास्तविक अवधि 30 जून 2017 तक थी।

3.5.4 एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने शून्य देय राशि वाली स्वैच्छिक उद्घोषणाओं की अनुमति दी

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 (डी) के अनुसार, जहां उद्घोषक द्वारा राशि का स्वेच्छा से प्रकटीकरण किया गया हो, वहां उद्घोषणा में दी गई शुल्क की कुल राशि को 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी में देय कर राशि के रूप में माना जाना था। इस प्रकार, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के अंतर्गत देय कर राशि में कभी भी 'शून्य' राशि नहीं हो सकती।

तथापि, अखिल भारतीय "एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 डेटा" में दर्शाया गया कि 27,387 स्वैच्छिक उद्घोषणाओं में से, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने 2,080 उद्घोषणाएं (7.60 प्रतिशत) स्वीकार की जिनमें देय कर राशि शून्य थी, जिसमें से 1519 उद्घोषणाओं को अस्वीकृत कर दिया गया, विभाग ने 504 उद्घोषणाओं के लिए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए, और शेष 57 संसाधित उद्घोषणाओं के लिए विभाग द्वारा निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। इससे यह पता चला कि 'योजना' के संपूर्णतः स्वचालित होने के बावजूद, एसवीएलडीआरएस पोर्टल में त्रुटिपूर्ण उद्घोषणाओं की फाइलिंग तथा स्वीकृति को रोकने के लिए आवश्यक जांच-बिंदुओं को अंतर्निहित नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) जाने पर, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि ऐसे मामलों को अस्वीकृत किए जाने के अतिरिक्त, वो उद्घोषणाएं जिनको शास्ति/विलंब शुल्क/ब्याज से राहत के लिए 'योजना' के तहत फाइल किया गया था, उनको 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के स्थान पर 'बकाया' श्रेणी के तहत फाइल किया जाना चाहिए था। सर्वक्षमा 'योजना' की प्रकृति को देखते हुए, विनिर्दिष्ट समिति ने कार्यविधिक चूकों को माफ किया और कथित उद्घोषणा को 'बकाया' श्रेणी के तहत संसाधित किया। इसके अतिरिक्त, एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा 'शून्य' देय राशि के साथ उद्घोषणाएं स्वीकार की गईं जो 'योजना' के पूर्णतः स्वचालित होने के बावजूद 'योजना' के अनुसार प्रतीत नहीं होती है। चूंकि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने आवेदकों द्वारा फाइल की गई उद्घोषणाओं में शून्य देय कर राशि स्वीकार की है, इसलिए विभाग ने आवेदनों को संसाधित किया और आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों को तार्किक निष्कर्ष देने के लिए औपचारिकता के रूप में क्लोजर रिपोर्ट जारी करके आवेदनों को बंद कर दिया है।

तथ्य यह रहा कि यदि एसवीएलडीआरएस पोर्टल में आवश्यक वैधीकरण जांच-बिंदु सम्मिलित किए गए होते तो यह ऐसी जानकारी/डेटा को चिन्हित कर सकता था जो 'योजना' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे और इसके साथ-साथ विभिन्न विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा ऐसे समान मामलों पर उठाए गए कदमों में विसंगतियों से बचा सकता था।

3.5.5 उद्घोषणाओं में देय राशि की गलत गणना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124 'योजना' के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कर राहत की राशि का प्रावधान करती है और सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 में देय राशि की स्वचालित गणना प्रदान करती है, अर्थात् देय कर राशि में से कर राहत घटाकर प्राप्त राशि। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध राहत की मात्रा तालिका VIII में दर्शाई गई है।

तालिका-VIII

क्र.सं.	उद्घोषणा की श्रेणी	₹ 50 लाख या उससे कम की देय कर राशि	₹ 50 लाख से अधिक की देय कर राशि
		राहत की मात्रा	
1	मुकदमेबाजी	70 %	50 %
2	बकाया	60 %	40 %
3	पूछताछ/जांच/लेखापरीक्षा	70 %	50 %
4	स्वैच्छिक प्रकटीकरण	देय कर राशि पर संपूर्ण ब्याज और शास्ति	

हमने अखिल भारतीय एसवीएलडीआरएस-1 विस्तृत रिपोर्ट (1,89,648 मामले) का विश्लेषण किया और पाया कि 1,60,481 मामलों (अर्थात् 29,167 अस्वीकृत मामलों को छोड़कर) में से ₹ 10,595.19 करोड़ की देय कर राशि वाले 17,938 मामलों (11.18 प्रतिशत) में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने देय कर राशि की श्रेणियों और मात्रा के संबंध में देय राशि की गलत गणना की थी। इस प्रकार, राहत का स्वचालन 'योजना' के प्रावधानों के साथ संपूर्णतः संरेखित नहीं था जिसके कारण ₹ 3,796.11 करोड़ की असंगति (देय राशि) हुई, अर्थात्, ₹ 2,695.42 करोड़ और ₹ 1,100.69 करोड़ की कुल राशि की गणना क्रमशः अधिक और कम की गई थी।

इसके अतिरिक्त, 17,383 मामलों में से, जहां 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की श्रेणी के तहत निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ₹ 32.49 करोड़ की देय कर राशि (देय राशि) वाले 165 मामलों में, हमने पाया कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 5.66 करोड़ की देय राशि की गलत गणना की, जिसके कारण ₹ 26.83 करोड़ की देय राशि की कम गणना हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का विरोध करते हुए कहा (मार्च 2022) कि अभिलेखों का सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि कई मामलों में उद्घोषक ने फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में श्रेणी, शामिल कुल देय कर राशि, पूर्व-जमा आदि का गलत विवरण दर्ज कराया था। इन उद्घोषणाओं तथा प्रासंगिक अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, इन विसंगतियों को पाया गया। तदनुसार, एसवीएलडीआरएस पोर्टल में उद्घोषणा को संसाधित करते समय कुल देय कर राशि, राहत, पूर्व-जमा आदि के सही आंकड़े दर्ज करना आवश्यक था, जिसके कारण निवल देय राशि में अंतर आ सकता है। तथापि, निर्वहन प्रमाण पत्र भुगतान करने के बाद और सही राशि के लिए जारी किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समाधान नहीं करता है क्योंकि लेखापरीक्षा ने यह इंगित किया था कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने उद्घोषकों द्वारा एसवीएलडीआरएस-1 में प्रदान किए गए इनपुटों के अनुसार देय राशि की गलत गणना की थी, यह नहीं कि विनिर्दिष्ट समिति ने देय राशि का सही सत्यापन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि पांच मामलों में जहां एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 0.052 करोड़ की देय राशि की गलत गणना की थी, करदाताओं ने संपूर्ण राशि का भुगतान किया था जबकि वास्तविक देय राशि शून्य थी। परिणामस्वरूप उद्घोषकों ने 'योजना' के तहत देय राशि से अधिक दायित्व का निर्वहन किया था। हमने दो मामलों की ओर भी इंगित किया {पैरा 3.9.3.3(II)} जहां एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 0.17 करोड़ की देय राशि की अधिक गणना की थी जो बाद में उद्घोषकों द्वारा भुगतान की गई

थी। इससे यह पता चला कि कुछ मामलों में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने देय राशि की गलत गणना की थी।

3.5.6 वैधता अवधि से बाद के चालान

सीबीआईसी एडवाइज़री संख्या 02 दिनांक 3 अप्रैल 2020 में यह निर्धारित किया गया है कि करदाता एसवीएलडीआरएस मॉड्यूल से चालान बनाकर 30 जून 2020 तक अपने एसवीएलडीआरएस-3/परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 देय कर राशि के प्रति चालान बनाकर भुगतान करने में सक्षम होंगे और इसलिए एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा सृजित चालान की वैधता 30 जून 2020 तक होगी।

तथापि, अखिल भारतीय "एसवीएलडीआरएस भुगतान डेटा" के विश्लेषण से यह पता चला कि कुल 14,235 मामलों, जहां भुगतान कर दिया गया था, में से 199 मामलों (1.40 प्रतिशत) में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 9.18 करोड़ की देय राशि वाले भुगतान चालान सृजित किए, जिनकी वैधता अवधि 30 जून 2020 (अर्थात 1 जुलाई 2020 को) के बाद की थी। इस प्रकार, एसवीएलडीआरएस पोर्टल संपूर्णतः 'योजना' के प्रावधानों के साथ तादात्म्य नहीं था और 30 जून 2020 के बाद कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने 60 मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि यह एसवीएलडीआरएस पोर्टल प्रणाली की एक त्रुटि थी और 37 मामलों में, मंत्रालय ने अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि विलंब केवल एक दिन का था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा सृजित चालान की वैधता 30 जून 2020 तक की होनी चाहिए। हमने पाया कि 34 मामलों में, निर्वहन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे क्योंकि भुगतान देय तिथि के बाद किया गया था और नौ मामलों में, जारी किए गए निर्वहन प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, उद्घोषकों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यदि एसवीएलडीआरएस पोर्टल 'योजना' के प्रावधानों के अनुसार होता, तो ऐसे अदालती मामलों से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, इन सभी मामलों में अखिल भारतीय भुगतान एमआईएस रिपोर्ट ने तिथि पर ध्यान दिए बिना 00.00 बजे भुगतान की स्वीकृति दर्शाई थी। इससे यह पता चला कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल पूर्णतः 'योजना' के साथ तादात्म्य नहीं था।

एसवीएलडीआरएस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर कमियां

3.6 सामान्य

3.6.1 कमिशनरियों को त्रुटिपूर्ण आबंटन

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के तहत उल्लिखित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 कमिशनरियों का चयन निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी एडवाइज़री सं. 01/2019 दिनांक 30 अगस्त 2019 के अनुसार उद्घोषणाओं के सत्यापन के लिए उद्घोषणाओं को कमिशनरियों की विनिर्दिष्ट समितियों को स्वतः सौंपा जाना था।

कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से हमने 19,601 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि कोलकाता दक्षिण और मुम्बई केंद्रीय कमिश्नरियों में ₹ 17.51 करोड़ की देय कर राशि वाली तीन उद्घोषणाएं गलत कमिश्नरियों में फाइल की गई थी और इन आवेदनों को गलत कमिश्नरियों में संसाधित और अंतिम रूप दिया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि दो मामलों के संबंध में विनिर्दिष्ट समिति ने hqadmin.prime@icegate.gov.in को आवेदनों के रीमैप के लिए अनुरोध किया। तथापि, रीमैपिंग नहीं की जा सकी और अंततः इस कमिश्नरी द्वारा मामलों को संसाधित किया गया क्योंकि कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं था। एक मामले में, विनिर्दिष्ट समिति ने मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार कमिश्नरी को एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा हस्तांतरित करने का प्रयास किया था, तथापि तकनीकी त्रुटि के कारण मामला, कमिश्नरी में संसाधित किया गया।

3.6.2 उद्घोषकों की प्रमाणिकता के उचित सत्यापन का अभाव

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 का नियम 6(1) यह निर्धारित करता है कि धारा 125 के तहत की गई उद्घोषणा का सत्यापन विनिर्दिष्ट समिति द्वारा उद्घोषक द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, करदाता द्वारा उद्घोषणा में प्रदान की गई पंजीकरण संख्या की प्रमाणिकता विनिर्दिष्ट समिति द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।

कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से हमने 16,672 उद्घोषणाओं²⁸ की जांच की और पाया कि कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण कमिश्नरियों में ₹ 10.89 करोड़ की देय कर राशि और ₹ 4.93 करोड़ की देय राशि से जुड़ी 11 उद्घोषणाओं में उद्घोषणा की पंजीकरण संख्या की प्रमाणिकता, उद्घोषणाओं को अन्य करदाताओं के लिए संसाधित किए जाने के कारण, उचित तरीके से सत्यापित नहीं की गई थी। उद्घोषणा को एक पंजीकरण संख्या के लिए फाइल किया गया था परंतु एससीएन/ओआईओ को अन्य पंजीकरण संख्या के प्रति जारी किया गया था और विनिर्दिष्ट समिति ने एससीएन/ओआईओ जारी की गई पंजीकरण संख्या के प्रति मामले को संसाधित करने की बजाय उद्घोषणाओं में उल्लिखित पंजीकरण संख्या के प्रति मामले को संसाधित किया। इसके कारण ₹ 2.36 करोड़ की शास्ति के साथ ₹ 7.31 करोड़ की अस्वीकार्य राहत की अनुमति हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस फॉर्म (फॉर्म 3 एवं फॉर्म 4) का पंजीकरण भाग एसवीएलडीआरएस-1 से स्वतः भर दिया जाता है और विनिर्दिष्ट समिति द्वारा इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, परन्तु आठ मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि दो मामलों में निर्धारिती का नाम बदल दिया गया था जो 30 नवंबर 2011 को भारत सरकार-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएन/ओआईओ अन्य करदाताओं (पंजीकरण संख्या) को जारी किया गया था

²⁸ अस्वीकृत और स्वैच्छिक उद्घोषणाओं के अतिरिक्त {19,603 (कुल नमूना) -1,477-1,454}

और उद्घोषणा किसी अन्य पंजीकरण संख्या के साथ फाइल की गई थी। छह मामलों के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि 'योजना' पैन आधारित अनुप्रयोग है और उद्घोषक अपने पैन का प्रयोग करके उद्घोषणा प्रस्तुत करते हैं; एसवीएलडीआरएस पोर्टल पैन के आधार पर अस्थायी रूप से एक नई पंजीकरण संख्या सृजित करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समान मामलों पर मंत्रालय ने उपर्युक्त तीन मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त, एससीएन/ओआईओ अन्य करदाताओं (पंजीकरण संख्या) को जारी किया गया था परंतु उद्घोषणा अन्य पंजीकरण संख्या के साथ फाइल की गई थी।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

➤ कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी के अंतर्गत पंजीकरण संख्या एएसीएल0486ईएसटी001 वाले एक उद्घोषक ने ₹ 4.57 करोड़ की बकाया राशि के लिए ओआईओ सं. 10/सीओएमएमआर/एसटी-11/कोल/2019-20 दिनांक 18 जून 2019 के प्रति 'बकाया' श्रेणी के तहत एआरएन एलडी0110190000298 के द्वारा एक उद्घोषणा फाइल (01 अक्टूबर 2019) की थी। हमने पाया कि ओआईओ और संबंधित एससीएन पंजीकरण संख्या एएसीएल0486ईएसटी001 के प्रति जारी किए गए थे। तथापि, उद्घोषणा पंजीकरण संख्या एएसीएल0486ईएलडी001 के संबंध में फाइल की गई थी और तत्पश्चात उद्घोषणा को पंजीकरण संख्या एएसीएल0486ईएलडी001 के प्रति निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करके (26 नवंबर 2019) संसाधित किया गया था। इस प्रकार, गलत पंजीकरण संख्या के प्रति उद्घोषणाओं को संसाधित करने के कारण ₹ 1.83 करोड़ की राहत की अस्वीकार्य अनुमति दी गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि 'योजना' पैन आधारित अनुप्रयोग था और उद्घोषकों द्वारा उनके पैन का प्रयोग करके उद्घोषणाओं को प्रस्तुत किया गया था; एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने पैन के आधार पर अस्थायी रूप से एक नई पंजीकरण संख्या सृजित की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएन/ओआईओ अन्य करदाता (पंजीकरण संख्या) को जारी किया गया था और उद्घोषणा अन्य पंजीकरण संख्या के साथ फाइल की गई थी।

3.7 अपात्र मामलों को लाभ प्रदान करना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125 और एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 का नियम 3(2) 'योजना' के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता की शर्तों को निर्धारित करते हैं। तथापि, हमने पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने कुछ अपात्र उद्घोषणाओं को संसाधित किया और अपात्र उद्घोषकों को अनुचित लाभ प्रदान किया। मामलों का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

3.7.1 अपात्र माल के लिए उद्घोषकों को लाभ प्रदान करना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125(1)(एच) के अनुसार जो व्यक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की चौथी अनुसूची²⁹ में निर्धारित उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में उद्घोषणा

²⁹ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में वह माल शामिल था जो जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद भी उत्पाद शुल्क योग्य हैं। इस अनुसूची में तम्बाकू उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद आदि जैसा माल शामिल हैं

करने के इच्छुक हैं, वे 'योजना' के तहत उद्घोषणा करने के पात्र नहीं थे। अतः 'योजना' के तहत फाइल की गई एसी कोई भी उद्घोषणा 'योजना' के तहत राहत पाने की पात्र नहीं थी जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की चौथी अनुसूची में सम्मिलित मदों के लिए राहत मांगी गई थी और जो उत्पाद शुल्क योग्य थीं।

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने 11 कमिश्नरियों³⁰ में ₹ 155.68 करोड़ की देय कर राशि वाली 28 उद्घोषणाओं को संसाधित किया, जिसमें वह माल³¹ शामिल था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उत्पाद शुल्क योग्य माल के रूप में उल्लिखित था। इस उल्लंघन के कारण शास्ति सहित ₹ 109.81 करोड़ की अधिक राहत प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने 23 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया (मार्च 2022) और कहा कि वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2019 की धारा 125(1)(एच) यह निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में उद्घोषणा करना चाहते हैं, वे 'योजना' के तहत उद्घोषणा करने के पात्र नहीं होंगे। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 84 के संशोधन के बाद, संसद के पास केवल भारत में विनिर्मित और उत्पादित माल अर्थात् कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमानन-टरबाइन ईंधन और तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू करने का अधिकार है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं उत्कृष्ट मिट्टी के तेल (एसकेओ) के लिए राहत हेतु फाइल किए गए आवेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125(1)(एच) के अनुसार उत्पाद अर्थात् एसकेओ को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और इसलिए 'योजना' के लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्घोषक ने उद्घोषणा को अस्वीकृत करने के विरुद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की (20 नवंबर 2020)। प्रतिवादी के रूप में भारतीय संघ ने कहा कि एसकेओ वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 के अनुसार चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है।

इसके अतिरिक्त, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 8 दिसंबर 2020 के आदेश में यह दोहराया गया कि अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित सभी माल उत्पाद शुल्क योग्य माल ही रहेंगे जब तक कि किसी संशोधन द्वारा माल को अनुसूची से हटाया नहीं जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 174 ने संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 84 में सम्मिलित माल के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को निरस्त नहीं किया है। इस प्रकार, अधिनियम की चौथी अनुसूची में उल्लिखित अपात्र उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को

³⁰ कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, डिब्रूगढ़, गुंटूर, विशाखापत्तनम, दमन, वडोदरा-II, रायगढ़, कोच्चि, बेलापुर और चेन्नई उत्तर

³¹ लुब्रिकेटिंग तेल, उत्कृष्ट केरोसिन तेल, नाफथा, चबाने वाला तंबाकू, हल्का डीजल तेल, एलपीजी, कच्चा तेल

'योजना' का लाभ दिया गया। मंत्रालय दी गई अधिक राहत के लिए उचित कानूनी/वसूली कार्रवाई कर सकता है।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

➤ कोच्चि कमिश्नरी में ₹ 26.31 करोड़ की देय कर राशि के लिए एक उद्घोषणा फाइल की गई थी (23 दिसंबर 2019)। हमने देखा कि 23 सितंबर 2005 को जारी किए गए एससीएन के अनुसार, उद्घोषणा तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और एसकेओ से संबंधित थी। हालांकि ये उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत थे, विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा को संसाधित किया और उद्घोषक ने ₹ 13.16 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप शुल्क के लिए ₹ 13.16 करोड़ की राहत प्रदान की गई, जो नहीं दी जानी चाहिए थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (मार्च 2022) और कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 84 के संशोधन के बाद, संसद के पास केवल भारत में विनिर्मित और उत्पादित माल अर्थात् कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू करने का अधिकार है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एलपीजी और एसकेओ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं हैं जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 (प्रभारी धारा) और धारा 2(एफ) के साथ पठित धारा 2(डी) में परिभाषित किया गया है परंतु वर्तमान में अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में शुल्क के दर के अभाव में कोई शुल्क उद्घोषणा नहीं है। इस प्रकार, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल का उल्लेख नहीं होने से तात्पर्य है कि अभी कोई उत्पाद शुल्क उद्घोषणा नहीं है परंतु भविष्य में विभाग आवश्यकता पड़ने पर उचित दर पर उत्पाद शुल्क उद्घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एक मामले में मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया था जहां 'योजना' के तहत एसकेओ के लिए राहत पाने हेतु उद्घोषणा फाइल की गई थी।

3.7.2 प्रतिदाय हेतु एससीएन के मामलों को लाभ प्रदान करना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125(1)(डी) यह निर्धारित करती है कि उन व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्ति 'योजना' के तहत उद्घोषणा का पात्र होंगे जिनको किसी त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एससीएन जारी किया गया है।

'मुकदमेंबाजी' श्रेणी के तहत कुल 60,126 उद्घोषणाओं में से हमने 9,902 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन के कारण शिलांग कमिश्नरी में ₹ 0.37 करोड़ की देय कर राशि वाली एक उद्घोषणा को विनिर्दिष्ट समिति द्वारा संसाधित किया गया था, जहां एक त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एससीएन जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.26 करोड़ की अधिक राहत और 'योजना' का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि पूर्वोक्त में औद्योगिक विकास और गतिविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न

औद्योगिक प्रोत्साहन जैसे कि पूर्वोत्तर छूट योजना की घोषणा की। छूट योजना के तहत प्रतिदाय, प्रारूपी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदाय नहीं है जैसा कि टीआरयू द्वारा फाइल सं. 354/8/98-टीआरयू³² (भाग II) दिनांक 6 अक्टूबर 1999 के द्वारा कहा गया था कि इसे धारा 11बी (जो उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत सभी प्रतिदाय को शासित करता है) के अंतर्गत प्रतिदाय नहीं माना जाना चाहिए। 'प्रतिदाय' शब्द केवल योजना को कार्यान्वित करने की क्रियाविधि से संबंधित है। क्रियाविधि के अंतर्गत, निर्धारित अपने प्रतिदाय दावों को चालू लेखा (पीएलए) आदि द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के विवरण के साथ प्रस्तुत करता है और क्षेत्राधिकार डीसी/एसी विवरण का सत्यापन करने के बाद प्रतिदाय प्रदान करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी के अंतर्गत प्रतिदाय और क्षेत्र आधारित छूट के तहत अनुमत प्रतिदाय के बीच में अंतर किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों को त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय के लिए/क्षेत्र आधारित छूट से संबंधित प्रतिदाय के लिए एससीएन जारी किया गया था, वे 'योजना' के लिए पात्र थे। यद्यपि, 'योजना' के अंतर्गत प्रावधानों में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया था। यह उन सभी करदाताओं को बाहर रखता है जिन्हें त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय या योजना से प्रतिदाय के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एससीएन जारी किया गया था। 'योजना' के प्रयोजन के लिए, 'प्रतिदाय' का अर्थ होता है सरकारी राजकोष से लौटाई गई राशि और यदि इसका प्रदान किया जाना किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण था, तो इसका अर्थ है कि इसको सरकारी राजकोष में ही होना चाहिए था। एससीएन विशिष्ट रूप से अनुचित क्रेडिट के प्रतिदाय का उल्लेख करता है। किसी विशेष प्रकार के त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय जैसे कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125(1)(डी) के तहत क्षेत्र आधारित छूट को बाहर रखने का कोई अपवाद नहीं था।

3.7.3 लाभ प्रदान करना जहां देय कर राशि को 30 जून 2019 को या उससे पहले परिमाणित नहीं किया गया था

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125(1)(ई) के अनुसार, उन व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी व्यक्ति 'योजना' के तहत उद्घोषणा करने के पात्र हैं, जो किसी पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा के अधीन हों और कथित पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा में शामिल शुल्क राशि को 30 जून 2019 को या उससे पहले परिमाणित नहीं किया गया है।

'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के अंतर्गत कुल 9,714 उद्घोषणाओं में से, हमने 1,746 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि विनिर्दिष्ट समिति ने आठ कमिश्नरियों³³ में 'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत ₹ 14.48 करोड़ की देय कर राशि से जुड़ी 12 उद्घोषणाओं को संसाधित किया जहां उद्घोषक पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा के अधीन था और कथित पूछताछ या जांच या लेखापरीक्षा में शामिल शुल्क की राशि को 30 जून 2019 को या उससे पहले परिमाणित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.31 करोड़ की राहत प्रदान की गई जो नहीं दी जानी चाहिए थी।

³² कर अनुसंधान इकाई

³³ दमन, फरीदाबाद, लुधियाना, नोएडा, बेंगलुरु दक्षिण, जयपुर, लखनऊ और जमशेदपुर

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने दो मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) किया और शेष आठ मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि देय कर राशि को 30 जून 2019 से पहले परिमाणित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देय कर राशि को 30 जून 2019 के बाद परिमाणित किया गया था। दो मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है-

➤ फरीदाबाद कमिश्नरी में, एक उद्घोषक ने 'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत ₹ 3.62 करोड़ की देय कर राशि वाली एक उद्घोषणा फाइल (19 दिसंबर 2019) की। विनिर्दिष्ट समिति ने मामले को संसाधित किया और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी (26 दिसंबर 2019) किया।

हमने देखा कि विभाग द्वारा निर्धारित के परिसर पर कर अपवंचन हेतु 13 सितंबर 2018 को तहकीकात की गई थी और 17 सितंबर 2019 को शुल्क को परिमाणित किया था। चूंकि शामिल की गई शुल्क की राशि 30 जून 2019 को या उससे पहले परिमाणित नहीं की गई थी, अतः उद्घोषक 'योजना' के तहत उद्घोषणा करने के लिए पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ की अधिक राहत प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.7.4 पूछताछ/जांच/लेखापरीक्षा तथा फाइल की गई रिटर्न के अधधीन उद्घोषकों को लाभ प्रदान करना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125(1)(एफ)(i) के अनुसार, यदि उद्घोषक वस्तु/सेवाओं के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 अथवा वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V या दोनों, जिसके लिए उद्घोषणा की गई है, के तहत किसी पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा के अधीन है और उसने रिटर्न फाइल की है, तो वह 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पात्र नहीं होगा।

➤ 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत कुल 23,868 उद्घोषणाओं में से हमने 1,454 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत 11 कमिश्नरियों³⁴ में ₹ 7.01 करोड़ की देय कर राशि वाली ऐसी 21 उद्घोषणाओं (1.44 प्रतिशत) को संसाधित किया था, जहां उद्घोषक ने ऐसी वस्तु/सेवाओं के संबंध में उद्घोषणा फाइल की थी जिसके लिए उद्घोषक पहले से पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा के अधीन था और रिटर्न फाइल किया गया था। इन उद्घोषणाओं को संसाधित करने के परिणामस्वरूप 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की श्रेणी के तहत स्वीकृति दी गई जो नहीं दी जानी चाहिए थी, अतः 'योजना' के तहत अनुचित लाभ दिया गया।

³⁴ कोलकाता उत्तर, हल्दिया, गांधीनगर, जोधपुर, चेन्नई दक्षिण, लुधियाना, रायगढ़, कानपुर, नोएडा, चेन्नई उत्तर और कोझिकोड

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने आठ मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) किया और आठ मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले में, आवेदनों को पात्रता के निर्धारण की सहायता लिए बिना स्वीकृत किया जाना था, क्योंकि 'योजना' झूठी उद्घोषणा के मामले में उचित कार्यवाही के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और इसलिए, उद्घोषणाओं को उसी प्रकार स्वीकार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125(1)(एफ) किसी भी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के अधीन होने पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने पर रोक लगाती है। पांच मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

➤ एक उद्घोषक ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत हल्दिया कमिश्नरी में उद्घोषणा फाइल (19 दिसंबर 2019) की थी, जिसमें 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 0.55 करोड़ के शुल्क की उद्घोषणा की गई थी। हमने पाया कि करदाता जून 2017 तक की अवधि के लिए वस्तु/सेवाओं या दोनों के संबंध में अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा के अधीन था। अतः, उक्त प्रावधान के अनुसार, करदाता 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत आगे की कार्रवाई हेतु पात्र नहीं था। तथापि, मामले को संसाधित किया गया था और निर्वहन प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि रेंज अधीक्षक द्वारा संबंधित करदाता को आवश्यक सत्यापन हेतु एक पत्र जारी किया गया है।

➤ चेन्नई दक्षिण कमिश्नरी के तहत, एक उद्घोषक ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत 01 अप्रैल से 30 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 3 करोड़ की देय कर राशि वाली उद्घोषणा फाइल (30 दिसंबर 2019) की थी। विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा को संसाधित किया और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी (2 मार्च 2020) किया। हमने पाया कि उद्घोषक ने कथित अवधि के लिए पहले से एसटी-3 रिटर्न फाइल कर दिया था और इस प्रकार, इस उद्घोषणा को संसाधित किया जाना कथित प्रावधान का उल्लंघन था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2021) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2021) किया और कहा कि कार्यवाही वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 129 के अनुसार प्रारंभ की जाएगी।

3.8 पात्र उद्घोषणाओं को अस्वीकृत करना

'योजना' का उद्देश्य विभिन्न विधिक मंचों पर लंबित विरासत मामलों का निपटान करना है। इसलिए, उद्घोषणाओं के अस्वीकरण से 'योजना' के तहत लंबित मामलों का निपटान असंभव हो जाता है। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों और 'योजना' के लिए जारी किए गए नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र 'योजना' के तहत उद्घोषणाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के मानदंडों को निर्धारित करते हैं।

कुल 29,167 'अस्वीकृत' उद्घोषणाओं में से, हमने 1,477 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि 7 कमिश्नरियों³⁵ में ₹ 29.51 करोड़ की देय कर राशि वाली 14 पात्र उद्घोषणाओं (1.08 प्रतिशत) को विभिन्न आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि भी हुई। उद्घोषणाओं के अस्वीकरण का विवरण आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

3.8.1 विभाग के आंतरिक मामलो के आधार पर अस्वीकृत

हमने पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने कोलकाता उत्तर कमिश्नरी में ₹ 0.40 करोड़ की देय कर राशि वाली दो उद्घोषणाओं को अस्वीकृत कर दिया, जिसका कारण विनिर्दिष्ट समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा ईसीसी संख्या (उत्पादक शुल्क नियंत्रण कोड) का आशोधन नहीं किया जाना था और संबंधित डिविजन से सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होना था, जो विभाग के लिए आंतरिक थी और जिसमें उद्घोषक की कोई गलती नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.09 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि उद्घोषणाओं को सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होने और ईसीसी संख्या का आशोधन नहीं किए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

3.8.2 उद्घोषणाओं का सत्यापन नहीं करने के साथ-साथ उद्घोषकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान नहीं करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6(1) के अनुसार वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125 के तहत की गई उद्घोषणा को उद्घोषक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना था, सिवाय जब यह शुल्क की राशि के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले से संबंधित हो। इसके अलावा, एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 का नियम 6(3) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करता है।

हमने पाया कि गुवाहाटी कमिश्नरी के तहत ₹ 2.73 करोड़ की देय कर राशि वाली दो उद्घोषणाओं को विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के ब्यौरे को सत्यापित किए बिना और उद्घोषकों की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किए बिना अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.25 करोड़ के राजस्व की भी हानि हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि विनिर्दिष्ट समिति ने 'योजना' के प्रावधानों के आधार पर उद्घोषणाओं का सत्यापन किया था और शास्ति राशि का उल्लेख नहीं किए जाने या लंबित अदालती मामलों के प्रति पूर्व-जमा/अन्य जमा की गलत उद्घोषणा पाए जाने पर उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकरण के कारण को उद्घोषकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया गया था।

³⁵ कोलकाता उत्तर, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु पूर्व, भुवनेश्वर, बेलगावी और जी बी नगर

तथापि, तथ्य यह रहा कि उद्घोषणा का अस्वीकरण उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए उद्घोषकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा रूप से किया गया। एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है:-

➤ एक उद्घोषक ने ₹ 5.87 करोड़ की देय कर राशि वाली 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत उद्घोषणा फाइल (30 दिसंबर 2019) की। लेखापरीक्षा ने पाया कि विनिर्दिष्ट समिति ने इस आधार पर उद्घोषणा को अस्वीकृत (29 फरवरी 2020) कर दिया कि उद्घोषणा में शास्ति की राशि का उल्लेख नहीं किया गया था और इस प्रकार यह गलत उद्घोषणा थी। इसलिए, उद्घोषणा को एकतरफा रूप से उद्घोषक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किए बिना अस्वीकृत कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि उसी कमिश्नरी में एक अन्य विनिर्दिष्ट समिति ने एक मामले (एआरएन एलडी0412190000488) को संसाधित किया जहां उद्घोषणा को शास्ति राशि का उल्लेख किए बिना फाइल किया गया था।

3.8.3 गलत आधारों पर उद्घोषणाओं का अस्वीकरण

वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125(1)(ई) के अनुसार वह उद्घोषक, जो किसी पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा के अधीन है और कथित पूछताछ या जांच अथवा लेखापरीक्षा में शुल्क की राशि को 30 जून 2019 को या उसके पहले परिमाणित नहीं किया गया है, 'योजना' के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 का नियम 6(1) यह निर्धारित करता है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125 के तहत की गई उद्घोषणा का सत्यापन शुल्क की राशि के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले से संबंधित के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट समिति द्वारा उद्घोषक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा।

हमने पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने ₹ 20.34 करोड़ की देय कर राशि वाली तीन उद्घोषणाओं को खारिज कर दिया, हालांकि देय कर राशि को 30 जून 2019 से पहले परिमाणित किया गया था, ₹ 0.06 करोड़ की देय कर राशि वाली तीन उद्घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि ब्याज में राहत उपलब्ध थी और ₹ 0.35 करोड़ की देय कर राशि वाली एक उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि किसी अलग उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, ₹ 1.50 करोड़ की देय कर राशि से संबंधित तीन कमिश्नरियों में तीन उद्घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया गया था, जहां विनिर्दिष्ट समितियों ने विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के साथ उद्घोषणाओं के ब्यौरे को सत्यापित नहीं किया था और उद्घोषणाओं की श्रेणी में संशोधन नहीं किया था। इसके अलावा, एक उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने उद्घोषणा में परिशोधन की अनुमति नहीं दी थी। ब्यौरे नीचे तालिका IX में दिए गए हैं-

तालिका IX

(₹ करोड़ में)

गलत आधारों पर अस्वीकृति						
क्र.सं.	कमिश्नरी	श्रेणी	एआरएन	देय कर राशि	संभावित हानि	अस्वीकृति के लिए आधार
1	कोलकाता उत्तर	जांच	एलडी2812190004500	19.38	5.05	मामलों को इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि "मांग" का परिमाणीकरण 30 जून 2019 को या उससे पहले नहीं किया गया था।
2	भुवनेश्वर	जांच	एलडी1101200001045	0.60	0.1	
3	भुवनेश्वर	बकाया	एलडी1410190000122	0.35	0.14	किसी अलग उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं थी; हालांकि उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था।
4	बेलगावी	बकाया	एलडी3012190003591	0.06	0.03	उद्घोषणा को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि इस मामले में कोई शुल्क / ब्याज की मांग लंबित नहीं थी, यद्यपि ब्याज की मांग लंबित थी।
5	बेलगावी	मुकदमेबाजी	एलडी2312190004309	0	0	
6	जयपुर	मुकदमेबाजी	एलडी2912190000775	0	0	यद्यपि ब्याज को 'योजना' के तहत शामिल किया गया था, लेकिन उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया था।
		कुल		20.39	5.32	
श्रेणी का संशोधन न होना						
7	बेंगलुरु पूर्व	मुकदमेबाजी	एलडी2712190008143	1.36	0.81	श्रेणी विनिर्दिष्ट समिति द्वारा संशोधित नहीं की गई।
8	जी बी नगर	मुकदमेबाजी	एलडी1911190000452	0.03	0.004	
9	भुवनेश्वर	बकाया	एलडी0611190000003	0.11	0.04	
		कुल		1.49	0.9	
परिशोधन की अनुमति नहीं है						
10	कोलकाता उत्तर	मुकदमेबाजी	एलडी1112190001696	4.48	2.24	विनिर्दिष्ट समिति मामले को संसाधित करने के लिए उद्घोषणा में ओआईओ संख्या को संशोधित करने में असमर्थ थी और उद्घोषणा को अस्वीकार कर दिया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), अभ्युक्ति को देय कर राशि के परिमाणीकरण के संबंध में, मंत्रालय ने एक मामले में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)। यह कहते हुए अस्वीकार किए जाने के बारे में कि कोई शुल्क/ब्याज की मांग लंबित नहीं थी, मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि उद्घोषक नई उद्घोषणाएं फाइल कर सकते थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनिर्दिष्ट समिति विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर और व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर उद्घोषणाओं के ब्यौरे को बदल सकती थी। एक मामले में जहां मंत्रालय ने इस आधार पर अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की थी कि उद्घोषणा केवल ब्याज राशि के लिए फाइल की गई थी, जिसे 'योजना' के दायरे में शामिल नहीं किया गया था और पैरा 2(v) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां पहले से जमा किए गए शुल्क के विनियोग और लागू ब्याज की मांग करने के लिए एससीएन जारी किया जाता है।

मौजूदा मामले में, एससीएन केवल ब्याज की मांग के लिए जारी किया गया था। जमा की गई राशि के विनियोग का कोई उल्लेख नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज की मांग के लिए एससीएन केवल वहां जारी किया जा सकता है जहां निर्धारिती द्वारा शुल्क राशि जमा की गई है क्योंकि विभाग को एक शुल्क राशि की आवश्यकता होती है जिस पर ब्याज की गणना की जा सकती है; दूसरे शब्दों में, बिना किसी शुल्क राशि के ब्याज की गणना नहीं की जा सकती।

एक मामले में मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि दिनांक 25 सितंबर, 2019 के सीबीआईसी परिपत्र 1072/05/2019-सीएक्स के पैरा संख्या 2 (ii) में निर्धारित किया गया है कि अलग-अलग रिटर्न अवधि के लिए अलग-अलग आवेदन फाइल किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीबीआईसी के परिपत्र 1073 (2) (iv) दिनांक 29 अक्टूबर 2019 के संदर्भ में किसी अलग उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं थी।

श्रेणी में संशोधन नहीं करने के संदर्भ में, एक मामले में मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि 30 जून, 2019 तक कोई बकाया या देय कर राशि लंबित नहीं थी क्योंकि बाद में अपील फाइल की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपील की अवधि समाप्त नहीं हुई थी और 'योजना' के तहत किसी मामले को बकाया के रूप में मानने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा, विनिर्दिष्ट समिति द्वारा उद्घोषक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणों के साथ-साथ विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता था। एक मामले में, मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि सही श्रेणी के तहत उद्घोषणा फाइल करना उद्घोषक की जिम्मेदारी थी और विनिर्दिष्ट समिति के लिए उद्घोषणा की श्रेणी को स्वयं ही किसी अन्य श्रेणी में बदलना उचित नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्तर कोलकाता कमिश्नरी में इसी तरह के एक मामले (एलडी2712190005198) में, विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा की श्रेणी में बदलाव किया और मामले को संसाधित किया।

उद्घोषणा में परिशोधन न करने के बारे में, मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021) कि एसवीएलडीआरएस -1 फाइल करने के बाद, प्रणाली को उद्घोषणा में किसी भी संशोधन/परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था और इस तरह, इस मामले में विनिर्दिष्ट समिति, मामले को संसाधित करने के लिए उद्घोषणा में ओआईओ संख्या को संशोधित करने में असमर्थ थी और इसलिए मामले को अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उद्घोषणा को संसाधित किया गया होता, तो ₹ 2.24 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी; साथ ही एक लंबित विरासत मामले के निपटान का अवसर खो दिया।

3.9 गलत संसाधन और राहत की गलत गणना

3.9.1 अलग-अलग उद्घोषणाओं को फाइल नहीं करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 3 (2) के अनुसार, प्रत्येक मामले के लिए एक अलग उद्घोषणा फाइल की जानी थी और इस नियम के उद्देश्य के लिए, एक "मामले" का अर्थ है - (क) एक एससीएन, या इस तरह के नोटिस से उत्पन्न होने वाली एक या अधिक अपील

जो 30 जून 2019 को लंबित है। इस प्रकार एक ही एससीएन में उल्लिखित मामलों के लिए अलग-अलग उद्घोषणाएं फाइल करने की अनुमति इस 'योजना' में नहीं दी गई थी।

'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत कुल 9,714 उद्घोषणाओं में से, हमने 1,746 उद्घोषणाओं की जांच की और देखा कि नोएडा कमिश्नरी के तहत एक उद्घोषक ने (27 दिसंबर 2019) दो उद्घोषणाएं फाइल की थीं, जिनमें एक एससीएन दिनांक 13 नवंबर 2019 के प्रति ₹ 0.19 करोड़ की देय कर राशि शामिल थी। हालांकि, विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणाओं को संसाधित किया और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए (3 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2020)। एक एससीएन मामले के प्रति दो उद्घोषणाओं का यह संसाधन उपर्युक्त नियम के अनुरूप नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.19 करोड़ के अपात्र उद्घोषक को लाभ प्रदान किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि उद्घोषक द्वारा फाइल अलग-अलग एआरएन को स्वीकार किया गया था क्योंकि इसका राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं था और वे पूरी तरह से 'योजना' की विचारधारा के पक्ष में थे। तथ्य यह रहा कि उपर्युक्त नियम प्रावधान का उल्लंघन करते हुए उद्घोषणाओं को संसाधित किया गया था।

3.9.2 मामलों का अनुचित वर्गीकरण

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 3 के तहत फॉर्म एसवीएलडीआरएस -1 के साथ पठित वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अनुसार, अपील फाइल नहीं करने या अंतिम रूप दी गई अपील से संबंधित मामले पर विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा 'बकाया' श्रेणी के तहत और एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 3 के तहत फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 के साथ पठित वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 की धारा 125 के अनुसार विचार किया जाना था। 30 जून 2019 को लंबित अपील और 30 जून 2019 से पहले अंतिम सुनवाई न किए गए एक संबंधित मामले पर विनिर्दिष्ट समिति द्वारा 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत विचार किया जाना था।

3.9.2.1 'मुकदमेबाजी/जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत 'बकाया' मामलों का संसाधन

'मुकदमेबाजी/जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत कुल 69,840 उद्घोषणाओं में से, हमने 11,648 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि ₹ 23.33 करोड़ की देय कर राशि वाली 12 कमिश्नरियों³⁶ में 17 उद्घोषणाओं को 'बकाया' श्रेणी के बजाय विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा 'मुकदमेबाजी/जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत माना गया था, हालांकि उद्घोषणाएं अपील फाइल नहीं करने या अपील को अंतिम रूप देने से संबंधित थीं या उद्घोषकों ने 30 जून 2019 को ओआईओ के प्रति अपील फाइल नहीं की थी या उद्घोषक ने एसटी-3 रिटर्न में देयताएं घोषित की थी लेकिन भुगतान नहीं किया। इससे ₹ 5.1 करोड़ की अतिरिक्त राहत मिली क्योंकि 'बकाया' मामलों में 'मुकदमेबाजी/जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' मामलों की तुलना में कम राहत मिलती है।

³⁶ बेंगलुरु दक्षिण, भुवनेश्वर, गुंटूर, बेलगावी, चेन्नई दक्षिण, कोच्चि, बेलपुर, गोवा, नोएडा, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम और कोझिकोड

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने पांच मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और 11 मामलों के संबंध में यह कहते हुए अभ्युक्ति को अस्वीकृत किया कि उद्घोषणाओं को सही श्रेणी के तहत संसाधित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्घोषणाओं को सही श्रेणी के तहत संसाधित नहीं किया गया था। एक मामले के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है-

➤ गुटूर कमिश्नरी में, एक उद्घोषक ने 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत उद्घोषणा फाइल की (30 दिसंबर 2019) जिसमें ₹ 3.03 करोड़ की देय कर राशि, ₹ 4 करोड़ की शास्ति और ₹ 3.03 करोड़ की पूर्व-जमा के साथ 'शून्य' देय राशि शामिल थी। विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया और निर्वहन प्रमाण पत्र (11 नवंबर 2020) जारी किया। हमने इस मामले में देखा कि अपील 30 जून 2019 तक लंबित नहीं थी क्योंकि विभाग ने 11 जुलाई 2019 को 21 अप्रैल 2019 के सीईएसटीएटी के अंतिम आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी और इसलिए यह 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत अयोग्य था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने (मार्च 2021) कहा कि सीईएसटीएटी आदेश 16 जनवरी 2019 को प्राप्त हुआ था। विभाग ने 11 जुलाई 2019 को आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की है। तथ्य यह रहा कि 30 जून तक, अपील लंबित नहीं थी।

➤ चेन्नई दक्षिण कमिश्नरी में, 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत एक उद्घोषणा (31 दिसंबर 2019) फाइल की गई थी, जिसमें ₹ 2.99 करोड़ की देय कर राशि शामिल थी। हमने देखा कि मौजूदा मामले में, एससीएन पर फरवरी 2019 में फैसला दिया गया था और 30 जून 2019 को या उससे पहले कोई अपील फाइल नहीं की गई थी, जबकि मामले को 'बकाया' श्रेणी के बजाय 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत संसाधित किया गया था, हालांकि 30 जून 2019 तक कोई अपील लंबित नहीं थी। मामले के इस अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ की अतिरिक्त राहत दी गई थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि देय कर राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

3.9.2.2 'बकाया' श्रेणी के तहत 'मुकदमेबाजी' मामलों का संसाधन

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणियों के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि पांच कमिश्नरियों³⁷ में ₹ 2.76 करोड़ की देय कर राशि वाली 16 उद्घोषणाओं, को विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के बजाय 'बकाया' श्रेणी के तहत माना गया था, हालांकि उद्घोषणाएं 30 जून 2019 तक लंबित अपीलों से संबंधित थीं, या 30 जून 2019 से पहले अंतिम सुनवाई नहीं हुई थी। इस प्रकार 'बकाया' श्रेणी के तहत 'मुकदमेबाजी' मामलों के संसाधन के कारण ₹ 0.54 करोड़ की कम राहत मिली क्योंकि 'मुकदमेबाजी' मामलों को 'बकाया' मामलों की तुलना में अधिक राहत मिलती है।

³⁷ नोएडा, कानपुर, बेलगावी, गांधीनगर और दमन

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने सभी 16 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि उद्घोषणाओं को उद्घोषकों द्वारा उल्लिखित श्रेणी के तहत संसाधित किया गया था और राजकोष को कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी और आवेदकों ने देयता का विरोध नहीं किया था।

तथ्य यह है कि उद्घोषणा को गलत श्रेणी के तहत संसाधित किया गया था।

3.9.3 देय कर राशियों का गलत निर्धारण

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 (ए) (i) के अनुसार, 'देय कर राशि' का अर्थ है "एक आदेश से सृजित होने वाली एकल अपील³⁸ अपीलीय मंच के समक्ष जून 2019 के 30 वें दिन तक लंबित है, शुल्क की कुल राशि जो उक्त अपील में विवादित हो रही है"। इसके अलावा बकाया मामलों में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 के अनुसार, पूर्व-जमा राशि को समायोजित करने के बाद राहत की गणना की जाती है, लेकिन मुकदमेबाजी के मामलों में, राहत की गणना पहले देय कर राशि पर की जाती है और उसके बाद पूर्व-जमा राशि को समायोजित किया जाता है।

इस प्रकार आदेश पारित करने के बाद यदि कोई निर्धारिती परिवर्तित/विवादित राशि के साथ आदेश के विरुद्ध अपील के लिए जाता है, तो 'योजना' के तहत देय कर राशि परिवर्तित/विवादित राशि होगी, न कि आदेश में उल्लिखित राशि। हमने पाया कि विनिर्दिष्ट समिति ने आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में दिखाई गई परिवर्तित/विवादित राशि पर विचार नहीं किया था। परिवर्तित राशि पर विचार न करने से कुछ मामलों में कम/अधिक देय राशि का निर्धारण हुआ, जैसा कि नीचे वर्णित है –

3.9.3.1 देय कर राशि के गलत निर्धारण के कारण कम देय राशि का निर्धारण हुआ

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि आठ कमिश्नरियों³⁹ में दस उद्घोषणाओं के संबंध में, 'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत, ₹ 13.61 करोड़ की देय कर राशि को शामिल करते हुए, देय कर राशि का गलत निर्धारण किया गया था क्योंकि विनिर्दिष्ट समितियों ने अपीलीय मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित आदेश से सृजित देय कर राशि पर विचार नहीं किया था अर्थात् अपील को परिवर्तित राशि के साथ फाइल किया गया था मूल राशि के साथ नहीं। हमने देखा कि विनिर्दिष्ट समिति ने परिवर्तित अपील राशि को ध्यान में रखते हुए मामलों को संसाधित नहीं किया था, जिसके कारण ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त राहत मिली।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने तीन मामलों के संबंध में अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)। तथापि, मंत्रालय ने छह मामलों के संबंध में यह कहते हुए इस अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया था कि पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद देय कर राशियों पर सही ढंग से निर्णय लिया गया था।

³⁸ यदि निर्धारिती या विभाग अपील के लिए जाता है तो यह एकल अपील होगी, यदि निर्धारिती और विभाग दोनों अपील के लिए जाते हैं तो यह अपील दोनों पक्षों से होगी अर्थात् एक मामले के लिए दो अपील।

³⁹ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, बेंगलुरु पूर्व, चंडीगढ़, गुंटूर, मेडचल, मुंबई सेंट्रल और जयपुर

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देय कर राशि का सही निर्धारण नहीं किया गया था। एक मामले के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है -

➤ एक उद्घोषक ने बंगलुरु पूर्व कमिश्नरी में 'मुकदमेबाजी' की श्रेणी और 'लंबित अपील' की उप-श्रेणी के तहत एक उद्घोषणा (अक्टूबर 2019) फाइल की थी, जिसमें ₹ 1.60 करोड़ की देय कर राशि थी।

हमने देखा कि सेटलमेंट कमीशन ने आदेश के 30 दिनों के भीतर देय ₹ 0.13 करोड़ के लागू ब्याज और शास्ति सहित ₹ 1.60 करोड़ की मांग की पुष्टि की थी (नवंबर 2011)। चूंकि निर्धारिती ने देय राशि का भुगतान नहीं किया, विभाग ने वसूली के लिए प्रतिरोधी उपाय शुरू किए (फरवरी 2016) और बाद में सेटलमेंट कमीशन द्वारा पहले निपटाए गए एससीएन पर अधिनिर्णयन किया (मार्च 2018) और शास्ति को, ₹ 0.13 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 1.60 करोड़ कर दिया। अधिनिर्णयन आदेश से व्यथित, निर्धारिती ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील फाइल की (02 जुलाई 2018)।

विनिर्दिष्ट समिति, ने 'योजना' के तहत उद्घोषणा की प्राप्ति पर, शुरू में इसे सही ढंग से खारिज कर दिया (नवंबर 2019) और साथ ही निर्धारिती को इस आधार पर 'बकाया' श्रेणी के तहत नया आवेदन फाइल करने की सूचना दी कि सेटलमेंट कमीशन द्वारा जारी किए गए आदेश निर्णायक हैं और वसूली के लिए देय हैं। हालांकि, जब निर्धारिती ने उसी देय कर राशि के साथ उसी श्रेणी के तहत एक और उद्घोषणा (जनवरी 2020) फाइल की, तो विनिर्दिष्ट समिति ने व्यक्तिगत सुनवाई के बाद उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया और ₹ 0.9 करोड़ के पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत शून्य के रूप में देय राशि के साथ, एसवीएलडीआरएस -3 जारी किया (06 मार्च 2020) और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया (मार्च 2020)।

चूंकि सेटलमेंट कमीशन का आदेश निर्णायक और विभाग के साथ-साथ निर्धारिती पर बाध्यकारी था, इसलिए सेटलमेंट कमीशन के आदेश के तहत निर्धारिती द्वारा देय राशियों को बकाया के रूप में माना जाना चाहिए था। उद्घोषणा को स्वीकार करने और 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि ट्रिब्यूनल के समक्ष 30 जून 2019 तक लंबित पार्टी से अपील की विषय वस्तु सेटलमेंट कमीशन द्वारा पारित निपटान आदेश की शर्तों के निर्धारिती द्वारा गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा शुरू की गई अधिनिर्णयन की कार्यवाही से उत्पन्न हुई थी। निपटान की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विवादित कर राशि की वसूली नहीं हुई थी क्योंकि पार्टी ने अंतिम आदेश का पालन नहीं किया था और सेटलमेंट कमीशन द्वारा पारित आदेश के अनुसार मामले को निपटाने का अधिकार खो दिया था। एससीएन पर बाद में निर्णय दिया गया और निर्धारिती ने इसके विरुद्ध सीईएसटीएटी में अपील फाइल की (02 जुलाई 2018)। इसलिए 30 जून 2019 तक, मामला सीईएसटीएटी के समक्ष लंबित था। इसलिए, विषय की उद्घोषणा पर विनिर्दिष्ट समिति द्वारा सही ढंग से विचार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा कर (मामलों का निपटान) नियमावली, 2012 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 एम में यह निर्धारित किया गया है कि सेटलमेंट

कमीशन के आदेश निर्णायक हैं और इन्हें फिर से खोला नहीं जा सकता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32एन के अनुसार, सेटलमेंट कमीशन द्वारा निर्धारित राशियों की वसूली की जानी चाहिए और ऐसी राशियों के भुगतान में चूक के लिए शास्ति लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी केवल आयोग द्वारा तय की गई राशि के भुगतान में निर्धारिती द्वारा चूक के कारण किसी मामले को फिर से नहीं खोल सकता है। चूक के मामले में, चूक राशि की वसूली की जानी चाहिए और केवल इस तरह की चूक पर शास्ति लगाने के लिए अधिनिर्णयन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इस प्रकार विनिर्दिष्ट समिति ने 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत उद्घोषणा को गलत तरीके से लिया।

➤ कोलकाता उत्तरी कमिश्नरी में, 'मुकदमेबाजी (लंबित अपील)' श्रेणी के तहत एक उद्घोषणा (13 जनवरी 2020) फाइल की गई थी, जिसमें ₹ 1.12 करोड़ की पूर्व-जमा के साथ ₹ 2.03 करोड़ का कर बकाया शामिल था। विनिर्दिष्ट समिति ने पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद शून्य देय राशि के साथ निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया (27 अप्रैल 2020)।

हमने देखा कि विभाग ने निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ के विरुद्ध ₹ 1.46 करोड़ और ₹ 0.83 करोड़ के सेवा कर के कम भुगतान/गैर-भुगतान के लिए एससीएन जारी किया (26 मई 2017)। दिनांक 24 जनवरी 2018 के ओआईओ ने ₹ 1.20 करोड़ की सेवा कर की मांग की पुष्टि की और ₹ 0.26 करोड़ की मांग को छोड़ दिया। सेवा कर की ₹ 1.20 करोड़ की मांग में से ₹ 1.05 करोड़ के विनियोग के लिए आदेश दिया गया था। इसके अलावा, शास्ति और ब्याज सहित गलत सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के कारण ₹ 0.83 करोड़ की वसूली का भी आदेश दिया गया था। हमने पाया कि आदेश के विरुद्ध करदाता ने 24 मई 2018 को सीईएसटीएटी को ₹ 0.07 करोड़ की पूर्व-जमा के साथ ₹ 0.98 करोड़ की शेष विवादित राशि के लिए अपील फाइल की थी। इस प्रकार, कर-देयों की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, इस मामले में, 'देय कर राशि' और 'पूर्व-जमा' क्रमशः ₹ 2.03 करोड़ और ₹ 1.12 करोड़ के बजाय ₹ 0.98 करोड़ और ₹ 0.07 करोड़ होंगे। इस प्रकार, 'देय कर राशि' और 'पूर्व जमा' पर गलत विचार करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.42 करोड़⁴⁰ की अतिरिक्त राहत दी गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (मार्च 2022) और कहा कि 'योजना' में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 'योजना' के लिए आवेदन करने के लिए फाइल की गई किसी भी अपील को वापस लेने की आवश्यकता है। दिनांक 24 जनवरी 2018 के ओआईओ ने ₹ 1.20 करोड़ की सेवा कर मांग की पुष्टि की और आगे ₹ 0.83 करोड़ की वसूली का आदेश दिया जिसे विनिर्दिष्ट समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। चूंकि करदाता ने पहले ही ₹ 1.05 करोड़ जमा कर दिए हैं जिसे उपर्युक्त आदेश में विनियोग के लिए आदेश दिया गया है और पूर्व जमा के रूप में ₹ 0.07 करोड़ की राशि भी जमा की गई है, इसलिए जमा की गई कुल राशि ₹ 1.13 करोड़ है जो 'योजना' के अनुसार भुगतान की जाने वाली

⁴⁰ (अपील राशि *राहत) घटा (पूर्व-जमा) अर्थात् (₹ 0.98 करोड़ *0.5) घटा ₹ 0.07 करोड़

आवश्यक राशि से अधिक है और इसलिए करदाता की उद्घोषणा स्वीकार की गई थी और शून्य देय राशि के साथ निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में विवादित राशि ₹ 0.98 करोड़ की अपील राशि है, न कि ओआईओ राशि क्योंकि उद्घोषक ने ओआईओ में विनियोजित राशि को स्वीकार कर लिया था और शेष राशि के लिए अपील फाइल की थी। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 (ए)(i) ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि "देय कर राशि" का अर्थ है 'शुल्क की कुल राशि जो अपीलीय मंच के समक्ष 30 जून 2019 को लंबित आदेश से सृजित उक्त अपील में विवादित हो रही है'। इस मामले में, करदाता ने सीईएसटीएटी को ₹ 0.98 करोड़ (अर्थात् ₹ 0.15 करोड़ (सेवा कर) और ₹ 0.83 करोड़ (गलत तरीके से प्राप्त सेनवेट क्रेडिट) के लिए पूर्व-जमा ₹ 0.07 करोड़ के साथ अपील फाइल की। इस प्रकार, गलत 'देय कर राशि' और 'पूर्व-जमा' पर विचार करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.42 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

3.9.3.2 देय कर राशि के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त देय राशि का निर्धारण हुआ

'मुकदमेबाजी/बकाया/जांच' श्रेणी के तहत कुल 1,36,613 उद्घोषणाओं में से हमने 16,670 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि तीन कमिश्नरियों⁴¹ में, सात मामलों में विनिर्दिष्ट समितियों ने 'देय कर राशियों' को ओआईओ या ओआईए (अपील में आदेश) में उल्लिखित पूरी राशि के बजाय ओआईओ में विनियोजित राशि की कटौती के बाद प्राप्त राशि के रूप में माना था। यह ऊपर दिये गए प्रावधान उपबंध में दी गई 'देय कर राशि' की परिभाषा के अनुसार नहीं था। परिणामस्वरूप, 'योजना' के तहत देय के रूप में निर्धारित राशि सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी। इन सात मामलों में, ₹ 0.34 करोड़ की अतिरिक्त राशि को गलत तरीके से देय के रूप में निर्धारित किया गया था और उद्घोषकों द्वारा भुगतान किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने पांच मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)। एक मामले में, मंत्रालय ने कहा कि विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषक द्वारा उल्लिखित श्रेणी के अनुसार उद्घोषणा को संसाधित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6 (1) के अनुसार, विनिर्दिष्ट समिति को विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्रेणी को संशोधित करना था। एक मामले के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

➤ डिब्रूगढ़ कमिश्नरी के तहत एक उद्घोषक ने श्रेणी 'मुकदमेबाजी-लंबित अपील' के तहत एक उद्घोषणा फाइल की थी - जिसे 10 अगस्त 2012 को ओआईओ जारी किया गया था, जिसमें ₹ 1.71 करोड़ की राशि की पुष्टि की गई थी। इस ओआईओ में, उद्घोषक द्वारा किए गए ₹ 0.23 करोड़ के भुगतान को विनियोजित करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, उद्घोषक ओआईओ में उल्लिखित पूरी पुष्टि की गई राशि के विरुद्ध सीईएसटीएटी में अपील में गया था। इसलिए, इस मामले में देय कर राशि, विनियोजित राशि की कटौती के बाद विनिर्दिष्ट समिति द्वारा

⁴¹ डिब्रूगढ़, दमन और रंगारेड्डी

निर्धारित ₹ 1.48 करोड़ के स्थान पर ₹ 1.71 करोड़ होनी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, 'योजना' के तहत देय के रूप में ₹ 0.12 करोड़⁴² की एक अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई थी, जो गलत थी। हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)।

3.9.3.3 'बकाया' श्रेणी के तहत देय कर राशि का गलत निर्धारण

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 (ई) के अनुसार, "देय कर राशि" का अर्थ है कि उद्घोषक से संबंधित बकाया राशि देय है। इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124 (2) 'योजना' के तहत राहत प्रदान करते हुए, जांच के दौरान जमा राशि के समायोजन का प्रावधान करती है। इसके अलावा, दिनांक 25 सितंबर 2019 के सीबीआईसी परिपत्र संख्या 1072/05/2019-सीएक्स के बिंदु संख्या IV में कहा गया है कि 'बकाया' मामलों के लिए देय कर राशि उस शुल्क की राशि है जो उद्घोषक के विरुद्ध बकाया है। यह निवल राशि है जो उसके द्वारा पहले ही भुगतान कर दी गई देय राशि की कटौती करने के बाद शेष रही। इस तरह का भुगतान करदाता द्वारा बकाया राशि के प्रति विनियोजित पूर्व जमा या बाद में स्वेच्छा से भुगतान के रूप में हो सकता है। इस प्रकार, 'बकाया' मामलों में, पूर्व-जमा राशि को समायोजित करने के बाद राहत की गणना की जानी थी और 'मुकदमेबाजी' मामलों में, राहत की गणना पहले देय कर राशि पर की जानी थी और उसके बाद पूर्व-जमा राशि को समायोजित किया जाना था, जो कतिपय मामलों में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा नहीं किया गया था।

'बकाया' मामलों में देय कर के रूप में बकाया राशि पर विचार न करने के कारण देय कर राशि पर अतिरिक्त/कम राहत दी गई, जैसा कि नीचे दिया गया है –

(I) उद्घोषकों को दी गई अतिरिक्त राहत

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि सात कमिश्नरियों⁴³ में दस उद्घोषणाओं में, ₹ 21.13 करोड़ की देय कर राशि उद्घोषकों से बकाया थी। तथापि, विनिर्दिष्ट समितियों ने उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए देय कर राशियों का समुचित रूप से सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.95 करोड़ की अतिरिक्त राहत दी गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने पांच मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022), पांच मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

- एक उद्घोषक ने बेंगलुरु दक्षिण कमिश्नरी में ₹ 17.96 करोड़ की देय कर राशि के साथ 'मुकदमेबाजी' की श्रेणी और 'अपील लंबित' की उप-श्रेणी के तहत (दिसंबर 2019) उद्घोषणा इस

⁴² {विभाग ने गणना की है (₹ 1.71 करोड़ कम विनियोजित राशि ₹ 0.23 करोड़) अर्थात् ₹ 1.48 करोड़*0.4} - {होनी चाहिए थी (₹ 1.71 करोड़*0.5) - (प्री-डिपॉजिट ₹ 0.38 करोड़ घटा कर)}

⁴³ कोलकाता उत्तर, हल्दिया, गुवाहाटी, कोलकाता दक्षिण, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम और बेलगावी

आधार पर फाइल की थी कि अपील सीईएसटीएटी के समक्ष लंबित थी। ₹ 17.48 करोड़ के पूर्व जमा को समायोजित करने के बाद, विनिर्दिष्ट समिति ने शून्य देय राशि के लिए मामले को संसाधित किया और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया (फरवरी 2020)। मामले के सत्यापन पर, हमने देखा कि सीईएसटीएटी के समक्ष निर्धारिती की अपील केवल उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट के लिए ₹ 0.50 करोड़ और प्रासंगिक अधिनिर्णयन आदेश (अप्रैल 2016) द्वारा पुष्टि की गई शास्ति के प्रति ₹ 0.01 करोड़ की मांग के विरुद्ध थी, न कि एससीएन में मांग किए गए ₹ 17.96 करोड़ के विरुद्ध। इसलिए, इस मामले के उद्देश्य के लिए देय कर राशि ₹ 0.50 करोड़ थी और निर्धारिती पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद एसवीएलडीआरएस के तहत ₹ 0.22 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार, विनिर्दिष्ट समिति द्वारा देय कर राशि की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 0.22 करोड़ की अपात्र कर राहत और राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि प्रधान आयुक्त ने ₹ 17.43 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को समायोजित करने के बाद ₹ 17.96 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया (अप्रैल 2016)। हालांकि, निर्धारिती ने 'योजना' के तहत ₹ 17.96 करोड़ की राशि के लिए फाइल किया था क्योंकि राशि सीईएसटीएटी के समक्ष विवादित थी। इसके अलावा, उद्घोषक ने स्वीकार किया कि उनके अधिवक्ता ने गलत तरीके से विवादित राशि को ₹ 17.96 करोड़ के बजाय अपील फॉर्म में ₹ 0.5 करोड़ के रूप में इंगित किया था। विनिर्दिष्ट समिति ₹ 17.47 करोड़ की सेनवेट क्रेडिट की पात्र राशि पर पहुंची, जो निर्धारिती के तर्क के अनुसार सही राशि थी और तदनुसार शून्य देयताओं के साथ एसवीएलडीआरएस -3/4 जारी किया। निर्धारिती द्वारा फाइल अपील में अपील राशि का उल्लेख ₹ 0.5 करोड़ के रूप में किया गया है और अपील को पहले ही सीईएसटीएटी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय का यह दावा संधारणीय नहीं है कि यह निर्धारिती के अधिवक्ता द्वारा की गई गलती थी।

(II) उद्घोषक को दी गई कम राहत

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि नागपुर-II, गोवा और जमशेदपुर कमिश्नरी में चार उद्घोषणाओं में ₹ 2.26 करोड़ की देय कर राशि उद्घोषकों के प्रति बकाया थी। तथापि, विनिर्दिष्ट समितियों ने उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए देय कर राशि का समुचित रूप से सत्यापन नहीं किया जिसके कारण करदाताओं को ₹ 0.32 करोड़ की कम राहत प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने तीन मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और एक मामले में यह कहते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने अधिनियम के अनुसार निवल बकाया राशि को कर राहत देने के बाद देय राशि की सही गणना की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लागू राहत 40 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत होगी क्योंकि बकाया श्रेणी के तहत कर देय राशि ₹50 लाख से कम थी।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

➤ गोवा कमिश्नरी में, एक उद्घोषक ने 'बकाया' श्रेणी के तहत ₹ 0.64 करोड़ की देय कर राशि और ₹ 0.30 करोड़ की पूर्व-जमा राशि के साथ उद्घोषणा फाइल की थी। एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने गलत तरीके से ₹ 0.20 करोड़ की देय राशि की गणना की {अर्थात् ₹ 0.34 करोड़ (₹ 0.64 करोड़ - ₹ 0.30 करोड़)} की निवल राशि का 60 प्रतिशत जबकि देय सही राशि ₹ 0.14 करोड़ (अर्थात् ₹ 0.34 करोड़ की निवल राशि का 40 प्रतिशत) होनी चाहिए। हालांकि, विभाग ने परिशोधन पर विचार नहीं किया और उच्च देय राशि अर्थात् ₹ 0.20 करोड़ की मांग की और करदाता द्वारा इसका भुगतान (24 जनवरी 2020) किया गया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि देय कर राशि की गणना शुल्क की कुल राशि से पूर्व-जमा की गई राशि को घटाकर की जाती है। इस मामले में, देय कर राशि ₹ 0.34 करोड़ (₹ 0.64 करोड़ - ₹ 0.30 करोड़) है; इस राशि पर 40 प्रतिशत की राहत देते हुए (₹ 0.14 करोड़) एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा सही ढंग से गणना की गई निवल देय राशि ₹ 0.20 करोड़ हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भले ही एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने एक गलत देय राशि की गणना की थी, एसवीएलडीआरएस नियम 6(1) के तहत विनिर्दिष्ट समिति को राहत को सही ढंग से सत्यापित करना चाहिए था जो 40 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत था, क्योंकि देय राशि का बकाया ₹ 50 लाख से कम था।

3.9.3.4 जांच/पूछताछ/लेखापरीक्षा श्रेणी के तहत देय कर राशियों का ठीक से सत्यापन नहीं किया गया

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123 (सी) में कहा गया है कि जहां उद्घोषक के विरुद्ध जांच या पूछताछ या लेखापरीक्षा लंबित है, वहां किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत देय शुल्क की राशि, जिसे 30 जून 2019 को या उससे पहले परिमाणित किया गया है, 'पूछताछ, जांच या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत देय कर राशि होगी।

इसके अलावा, सीबीआईसी द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 45 में कहा गया है कि पूछताछ, जांच या लेखापरीक्षा के तहत मामलों के संबंध में, परिमाणित राशि का अर्थ है पूछताछ, जांच या लेखापरीक्षा या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि के दौरान व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए जांच शुल्क/कर देयता।

'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत कुल 9,714 उद्घोषणाओं में से, हमने 1,746 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि जोधपुर, चेन्नई दक्षिण और पालघर कमिश्नरी में तीन उद्घोषणाओं में देय कर राशि ₹ 2.06 करोड़ शामिल हैं, विनिर्दिष्ट समितियों ने उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा के दौरान व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई देय कर राशियों पर विचार नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ की अतिरिक्त राहत मिली थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने सभी तीन मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए नहीं स्वीकार किया (मार्च 2022) कि राशि 30 जून 2019 से पहले सूचित नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि 30 जून 2019 से पहले परिभाषित और सूचित की गई थी।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है -

एक उद्घोषक ने चेन्नई दक्षिण कमिश्नरी में 'जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' की श्रेणी के तहत ₹ 1.52 करोड़ की देय कर राशि के साथ एक उद्घोषणा फाइल की थी (दिसंबर 2019)। हमने देखा कि डीजीजीआई, मदुरै द्वारा 2015-16 से 2017-18 (जून 2017 तक) की अवधि के लिए करदाता द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। करदाता ने 2015-16 से 2017-2018 (जून 2017 तक) की अवधि के लिए कर देयता ₹ 1.52 करोड़ के रूप में स्वीकार की थी (15 फरवरी 2019)। विभाग द्वारा 15 फरवरी 2019 के करदाता के पत्र की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण, विभाग द्वारा ₹ 1.52 करोड़ की कर देयता पर विचार नहीं किया गया था और देय कर राशि को 2015-16 की आंशिक अवधि के लिए केवल ₹ 0.61 करोड़ के रूप में लिया गया था, न कि 2015-16 से 2017-18 की पूरी अवधि के लिए। यद्यपि डीजीजीआई द्वारा शुरू की गई जांच में उल्लिखित आंशिक कर अवधि के लिए 'योजना' के तहत लाभ को विभाजित करने या दावा करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन विभाग ने आंशिक अवधि के लिए दावे को संसाधित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.9 करोड़ की देय कर राशि का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि विभाग ने एससीएन जारी किया था (13 नवंबर 2019), जिसमें ₹ 4.65 करोड़ के सेवा कर की मांग की गई थी। ₹ 0.91 करोड़⁴⁴ की राशि, जिसे विनिर्दिष्ट समिति द्वारा देय कर राशि के रूप में नहीं माना गया था, एससीएन की राशि में शामिल की गयी थी और एससीएन को ओआईओ दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा अधिनिर्णीत किया गया था।

तथ्य यह रहा कि विनिर्दिष्ट समिति ने आंशिक अवधि के लिए मामले को संसाधित किया और ओआईओ लेखापरीक्षा के कहने पर जारी किया गया था। ओआईओ में उल्लिखित राशि उद्घोषक द्वारा जमा नहीं की गई है।

3.9.3.5 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत अधिक राहत की अनुमति

आवेदन की श्रेणी	विवरण	₹ 50 लाख या उससे कम की देय कर राशि	₹ 50 लाख से अधिक की देय कर राशि
मुकदमेबाजी	एससीएन/एक या एक से अधिक अपील जो 30 जून 2019 को लंबित है	70 प्रतिशत	50 प्रतिशत

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124 के अनुसार, 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत, एक उद्घोषक को उपलब्ध राहत की गणना निम्नानुसार की जाएगी:—

(क) जहां देय कर राशि एक एससीएन या ऐसे नोटिस से सृजित एक या एक से अधिक अपीलों से संबंधित हैं जो 30 जून 2019 को लंबित है, और यदि शुल्क की राशि है, - (i) पचास लाख

⁴⁴ (₹ 1.52 करोड़ - ₹ 0.61 करोड़)

या उससे कम, तब, देय कर राशि का सत्तर प्रतिशत; (ii) पचास लाख से अधिक, होने पर, देय कर राशि का पचास प्रतिशत और

(ख) जहां देय कर राशि केवल विलंब शुल्क या शास्ति के लिए एससीएन से संबंधित हैं, और उक्त नोटिस में शुल्क की राशि का भुगतान किया गया है या 'शून्य' है, तो, विलंब शुल्क या शास्ति की पूरी राशि।

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 76,487 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि कोलकाता दक्षिण और गांधीनगर कमिश्नरी के तहत ₹ 1.17 करोड़ की देय कर राशि से संबंधित दो उद्घोषणाओं में, उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा राहत पर गलत तरीके से विचार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर राहत की अतिरिक्त अनुमति दी गई जो, ₹ 0.23 करोड़ थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और कहा कि ब्याज के साथ शेष राशि बहुत जल्द वसूल की जाएगी।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

➤ एक उद्घोषक ने कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में 'मुकदमेबाजी- लंबित अपील' श्रेणी के तहत उद्घोषणा फाइल की (25 नवंबर 2019), जिसमें अपीलीय मंच के तहत विवादित राशि के रूप में ₹ 0.34 करोड़ की उद्घोषणा की गई। तदनुसार, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने कुल देय कर राशि पर 70 प्रतिशत की दर से कर राहत प्रदान करने के बाद ₹ 0.10 करोड़ की देय राशि की गणना की। विनिर्दिष्ट समिति ने दावे की सटीकता का सत्यापन किया और पाया कि अपील के तहत विवादित राशि ₹ 0.34 करोड़ के बजाय ₹ 0.57 करोड़ थी, जो ₹ 50 लाख से अधिक थी। तथापि, विनिर्दिष्ट समिति ने उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए 50 प्रतिशत की दर की बजाय 70 प्रतिशत की दर से कर राहत की गणना करते हुए एसवीएलडीआरएस-2 जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.11 करोड़ की अतिरिक्त कर राहत प्रदान की गई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और ₹ 0.11 करोड़ के बकाया शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की।

3.10 पूर्व-जमा/जमा के साक्ष्य का अनुचित सत्यापन

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124 में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत गणना की गई राहत इस शर्त के अधीन होगी कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियमन के तहत अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में पूर्व-जमा के रूप में या पूछताछ, जांच या लेखापरीक्षा के दौरान जमा के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि की, उद्घोषक द्वारा देय राशि को इंगित करते हुए विवरण जारी करते समय, कटौती की जाएगी।

'मुकदमेबाजी/बकाया/जांच' श्रेणी के अंतर्गत कुल 1,36,613 उद्घोषणाओं में से, हमने 16,670 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि, 23 कमिश्नरियों⁴⁵ में 65 उद्घोषणाओं में, जिसमें ₹ 90.51 करोड़ की देय कर राशि शामिल हैं, संबंधित मामलों के साथ उचित लिंक करने के बाद, पूर्व-जमा/जमा के साक्ष्य को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 22 कमिश्नरियों में 57 मामलों में ₹ 21.59 करोड़ की पूर्व-जमा राशि का अतिरिक्त समायोजन और कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और दमन कमिश्नरी में तीन मामलों में ₹ 0.17 करोड़ की पूर्व-जमा राशि का कम समायोजन हुआ। इसके अलावा, तीन कमिश्नरियों⁴⁶ में पांच मामलों में, हम सहायक दस्तावेजों के अभाव में ₹ 0.52 करोड़ की पूर्व-जमा राशि को सत्यापित नहीं कर सके।

हमने देखा कि पूर्व-जमा को 'योजना' में गलत तरीके से समायोजित किया गया था -

- पूर्व-जमा चालान की स्वीकृति जहां निर्धारिती की पंजीकरण संख्या मुकदमेबाजी मामले में उल्लिखित पंजीकरण संख्या के अलावा अन्य था,
- पूर्व-जमा का समायोजन जो ओआईओ में विनियोजित नहीं किया गया था,
- पूर्व-जमाओं की गलत राशि पर विचार करना जो उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खाती,
- पूर्व-जमा चालान उस सेवा से संबंधित नहीं हैं जिसके प्रति मामला संबंधित था,
- उद्घोषक पूर्व-जमाओं को अस्वीकार करने में सहमत हो गया, लेकिन बाद में विनिर्दिष्ट समिति ने फिर भी इसकी अनुमति दी,
- संबंधित बीजक के साथ पूर्व-जमा की पात्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकी,
- पूर्व-जमा के भुगतान के साक्ष्य गायब हैं लेकिन मामले में स्वीकार किए गए हैं,
- मामले में सटीकता का सत्यापन किए बिना पूर्व-जमाओं का समायोजन आदि।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने पूर्व-जमा के अतिरिक्त समायोजन के बारे में, नौ मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)। 37 मामलों में मंत्रालय ने यह कहते हुए इस अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि पूर्व-जमाओं को 'योजना' के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व-जमाओं का ठीक से सत्यापन नहीं किया गया था और मंत्रालय ने ऐसे ही मामलों में सुसंगत रुख नहीं अपनाया है। शेष 11 मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

पूर्व जमा के कम समायोजन के संबंध में, मंत्रालय ने सभी तीन मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि विनिर्दिष्ट समिति द्वारा इसकी अनदेखी की गई थी क्योंकि करदाता ने एसवीएलडीआरएस-3 को स्वीकार कर लिया था और भुगतान किया था।

⁴⁵ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दमन, अहमदाबाद दक्षिण, अहमदाबाद उत्तर, वडोदरा-II, गांधीनगर, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु पश्चिम, बेलगावी, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, जमशेदपुर, लखनऊ, मुंबई पश्चिम, नागपुर-II, बेलापुर, चेन्नई उत्तर, चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला और फरीदाबाद

⁴⁶ गुंटूर, मेडचल और रंगारेड्डी

तीन मामलों के संबंध में पूर्व-जमा/जमा के साक्ष्य के अनुचित सत्यापन के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि पूर्व-जमा के साक्ष्य को ठीक से सत्यापित किया गया था; तथ्य यह रहा कि पूर्व-जमा का प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। दो मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

पूर्व-जमा के अधिक समायोजन से संबंधित एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

➤ एक उद्घोषक ने कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी के तहत 'बकाया' श्रेणी के तहत उद्घोषणा फाइल की थी (जनवरी 2020), जिसमें ₹ 1.83 करोड़ की पूर्व-जमा के साथ ₹ 4.98 करोड़ की देय कर राशि की उद्घोषणा की गई थी। विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा को संसाधित किया और उद्घोषक ने ₹ 1.89 करोड़ की देय राशि जमा की (20 मार्च 2020), तदनुसार विनिर्दिष्ट समिति ने निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया (30 जून 2020)।

हमने देखा कि एससीएन को ₹ 5.89 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए उद्घोषक को जारी किया गया था (22 अप्रैल 2019) और एससीएन राशि से ₹ 0.9 करोड़ की मांग को छोड़ने के बाद ₹ 4.98 करोड़ की पुष्टि की गई मांग पर दिनांक 30 दिसंबर 2019 को ओआईओ द्वारा इसका अधिनिर्णयन किया गया था। हमने पाया कि विनिर्दिष्ट समिति ने मार्च 2014 से सितंबर 2018 तक की अवधि से संबंधित ₹ 1.83 करोड़ की पूर्व-जमा राशि को समायोजित किया, जिसे ओआईओ में विनियोजित नहीं किया गया था। चूंकि पहले से ही भुगतान की गई राशि ओआईओ में विनियोजित की जाती है, जबकि तत्काल मामले में, ओआईओ में ₹ 1.83 करोड़ को विनियोजित नहीं किया गया था, जिसके कारण ₹ 1.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि उद्घोषणा में उल्लिखित ₹ 1.83 करोड़ की पूर्व-जमा राशि को डिवीजन कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया था और नियमानुसार पाया गया था, तदनुसार विनिर्दिष्ट समिति ने मामले को संसाधित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर ने पूर्व-जमा के समायोजन के मुद्दे का समाधान नहीं किया था जिसे ओआईओ में विनियोजित नहीं किया गया था।

3.11 गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों का उपयोग करके किया गया भुगतान

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 7 में कहा गया है कि प्रत्येक उद्घोषक इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा जारी फॉर्म एसवीएलडीआरएस -3 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, सीबीआईसी द्वारा जारी करदाता उपयोगकर्ता नियम पुस्तक में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि करदाता एसवीएलडीआरएस -3 फॉर्म विवरण से सहमत होता है, तो करदाता द्वारा चालान बनाया जाएगा और वह एनईएफटी/आरटीजीएस विकल्पों के माध्यम से आइसगेट भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम होगा। इस प्रकार, एसवीएलडीआरएस-3 विवरण जारी करने के बाद केवल एसवीएलडीआरएस चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक था।

कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं, जहां निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, में से हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि 18 कमिश्नरियों⁴⁷ के तहत ₹ 162.05 करोड़ की देय कर राशि वाले 152 मामलों (1.24 प्रतिशत) में, ₹ 64.23 करोड़ की कुल देय राशि, जैसा कि एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया है, का गैर-एसवीएलडीआरएस चालान के माध्यम से भुगतान किया गया था, अर्थात् विशिष्ट एसवीएलडीआरएस पोर्टल से सृजित चालानों के माध्यम से नहीं। इसने उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन का संकेत दिया। पारंपरिक चालानों के माध्यम से 'योजना' के तहत भुगतान पूर्व जमा, अन्य भुगतान आदि के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, और इस तरह के दुरुपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 146 मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और गैर-एसवीएलडीआरएस चालान के माध्यम से भुगतान के लिए तकनीकी गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय ने आगे कहा कि गैर-निर्धारित मोड का उपयोग करके करदाताओं द्वारा किए गए भुगतान को स्वीकार करने के लिए उचित लिंकिंग के बाद सीबीआईसी के निर्देशों के अनुसार भुगतान किया गया था। इस त्रुटि के लिए उद्घोषकों की जानकारी की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। तथापि, विभाग ने भविष्य में चालानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डीजी (सिस्टम्स) के अनुदेशों के अनुसार सभी गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों को संबंधित एसवीएलडीआर-3 के साथ जोड़ा है।

मंत्रालय के उत्तर में इस बात की पुष्टि की गई कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल को केवल एसवीएलडीआर-3 से सृजित चालानों को स्वीकार करने के समनुरूप नहीं बनाया गया था, और न ही इसमें भविष्य में चालानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई अंतर्निहित विश्वसनीय तंत्र था। छह मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12 विवरणों/निर्वहन प्रमाण पत्रों में कमियां

3.12.1 एसवीएलडीआरएस-2 जारी न करना

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 (2) के अनुसार, उन मामलों में जहां उद्घोषकों द्वारा देय होने की अनुमानित राशि, जैसा कि विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा अनुमानित किया गया है, उद्घोषकों द्वारा उद्घोषित राशि से अधिक है, तो विनिर्दिष्ट समितियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (एसवीएलडीआरएस -2) में उद्घोषणा की प्राप्ति की तारीख के तीस दिनों के भीतर उद्घोषक द्वारा देय राशि का अनुमान जारी करेंगी।

'मुकदमेबाजी/बकाया/जांच, पूछताछ या लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत कुल 1,36,613 उद्घोषणाओं में से, हमने 16,670 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि हल्दिया कमिश्नरी में, ₹ 0.71 करोड़ की देय राशि वाले पांच मामलों में, विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणाओं में दर्शाए गए अनुसार राशि को संशोधित (बढ़ाया) किया। हालांकि, इन मामलों में, विनिर्दिष्ट समिति ने एसवीएलडीआरएस -2 जारी करने के बजाय सीधे एसवीएलडीआरएस -3 जारी किया; जो उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन

⁴⁷ कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, नोएडा, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई बाहरी, कोयंबटूर, दिल्ली पूर्व, बेलापुर, मुंबई पश्चिम, मुंबई पूर्व, मुंबई सेंट्रल, कोल्हापुर, गोवा, नागपुर II, बेंगलुरु पश्चिम, लुधियाना और बेंगलुरु पूर्व

है। इन मामलों में, उद्घोषकों ने एसवीएलडीआरएस-3 में उल्लिखित राशि का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने सभी मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) और कहा कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक चूक थी। लेकिन तथ्य यह रहा कि विनिर्दिष्ट समिति की ओर से की गई चूकों ने उद्घोषक को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया।

3.12.2 फॉर्म एसवीएलडीआरएस 3 में कमियां

3.12.2.1 फॉर्म एसवीएलडीआरएस -3 जारी करने में विलंब

सीबीआईसी के दिनांक 27 अगस्त 2019 के परिपत्र संख्या 1071/4/2019-सीएक्स-8 के अनुसार, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामलों में, एसवीएलडीआरएस -3 को उद्घोषणा फाइल करने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना था।

कुल 23,868 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं में से, हमने 1,454 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि 39 कमिश्नरियों⁴⁸ के तहत, ₹ 109.01 करोड़ की देय कर राशि 501 उद्घोषणाओं (34.46 प्रतिशत) में, एसवीएलडीआरएस -3 को जारी करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एसवीएलडीआरएस -3 को 20.84⁴⁹ दिनों के औसत विलंब के साथ एक से 120 दिनों तक के विलंब से जारी किया गया था, जैसा कि **तालिका-X** में दिखाया गया है। इसके अलावा, अखिल भारतीय भुगतान डेटा के अनुसार, 147 मामलों में केवल ₹ 24.76 करोड़ की वसूली गयी थी, जिससे 354 उद्घोषणाओं के प्रति ₹ 84.89 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी, जहां विलंब 01 से 120 दिनों तक था।

तालिका-X

दिनों में देरी	1 से 30 दिन	31 से 60 दिन	61 से 90 दिन	91 से 120 दिन	कुल मामले
मामलों की संख्या	402	86	7	6	501

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 489 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि विलंब मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों जैसे कि कार्य की अधिक मात्रा और तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। 12 मामलों के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था।

3.12.2.2 एसवीएलडीआरएस-3 के परिशोधन में विलम्ब

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 128 में प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट समिति द्वारा देय राशि को इंगित करते हुए एक विवरण जारी करने के तीस दिनों के भीतर अपने आदेश को केवल अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए संशोधित कर सकती है, जैसा कि

⁴⁸ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, जी.बी नगर, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, भुवनेश्वर, गुंटूर, मेडचल, रंगा रेड्डी, विशाखापत्तनम, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई आउटर, कोयंबटूर, कोझिकोड, कोच्चि, अहमदाबाद दक्षिण, दमन, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली पूर्व, इंदौर, रायपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, बेलापुर, औरंगाबाद, मुंबई पश्चिम, मुंबई सेंट्रल, मुंबई पूर्व, कोल्हापुर, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बेंगलुरु पूर्व, बेलगावी, नागपुर-II और पालघर

⁴⁹ कुल दिन 10,443/कुल मामले 501 = 20.84 दिन

रिकार्ड से दृष्टिगत है, या इस तरह की त्रुटि को उद्घोषक द्वारा इंगित किए जाने पर या विनिर्दिष्ट समिति द्वारा स्वविवेक द्वारा इंगित किये जाने पर।

'मुकदमेबाजी/बकाया/जांच, पूछताछ या लेखा परीक्षा' श्रेणी के तहत कुल 1,36,613 उद्घोषणाओं में से, हमने 16,670 उद्घोषणाओं की जांच की और देखा कि लुधियाना कमिश्नरी के तहत ₹0.92 करोड़ के देय वाली छह उद्घोषणाओं में परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 (17 जून से 30 जून 2020 तक) 'योजना' के अंत/अंतिम तिथि⁵⁰ पर जारी किए गए थे और एक मामले में भुगतान की निर्धारित तिथि के बाद परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया गया था (15 जुलाई 2020), जो उद्घोषकों द्वारा देय राशि का भुगतान न करने का कारण हो सकता है। इस प्रकार, यदि विभाग ने समय पर फॉर्म एसवीएलडीआरएस 3 में सुधार किया होता, तो न केवल इन मामलों का समाधान किया जा सकता था, बल्कि ₹0.22 करोड़ के राजस्व की भी वसूली की जा सकती थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि इन सभी मामलों में उद्घोषणा को शुल्क/पूर्व-जमा के अंतर को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। उद्घोषक, कोविड -19 महामारी के कारण या तो जवाब नहीं दे पाया या जवाब फाइल करने के लिए और समय मांगा। इसके परिणामस्वरूप इन मामलों में परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 को विलम्ब से जारी किया गया।

3.12.2.3 'शून्य' देय राशि उद्घोषणा के साथ एसवीएलडीआरएस-3 जारी करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6 (2) के अनुसार, यदि देय राशि 'शून्य' के रूप में निर्धारित की जाती है, तो फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में कोई विवरण जारी नहीं किया जाना है। ऐसे सभी मामलों में एसवीएलडीआरएस-4 में निर्वहन प्रमाणपत्र उद्घोषणा फाइल करने के तीस दिनों के भीतर जारी किया जाना था। इसलिए, यदि देय राशि 'शून्य' थी, तो कोई अनुमान जारी नहीं किया जाना था।

कुल 53,397 उद्घोषणाओं में से, जहां एसवीएलडीआरएस-4 'शून्य' देय राशि के साथ जारी किया गया था, हमने 5,208 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि 383 मामलों (7.35 प्रतिशत) में, आठ कमिश्नरियों⁵¹ में, विनिर्दिष्ट समितियों ने एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने के बाद एसवीएलडीआरएस-4 जारी किया था जहां देयता 'शून्य' के रूप में दर्शाई गयी थी। यह उपरोक्त नियम के प्रावधान के उल्लंघन को दर्शाता है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने 320 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल में सीधे एसवीएलडीआरएस-4 जारी करने का विकल्प नहीं दिखा रहा था, जिसके कारण फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 उद्घोषकों को 'शून्य' देय राशि उद्घोषणाओं के साथ जारी किया गया और

⁵⁰ भुगतान की निर्धारित तिथि 30 जून 2020 थी

⁵¹ हल्दिया, बेंगलुरु पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलाँग, इंदौर और बेलगावी

यह प्रक्रियात्मक चूक के कारण भी था। 63 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.2.4 संशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी न करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली 2019 के नियम 6(6) में कहा गया कि फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने के बाद, विनिर्दिष्ट समिति अपने आदेश को केवल अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए संशोधित कर सकती है, जो रिकार्ड पर दृष्टिगत है, एवं उद्घोषक द्वारा इंगित किए जाने पर या स्वतः संज्ञान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी करके की जा रही है।

'बकाया' श्रेणी के तहत कुल 66,773 उद्घोषणाओं में से, हमने 5,022 उद्घोषणाओं की जाँच की और देखा कि चंडीगढ़ कमिश्नरी में, एक उद्घोषक ने 'बकाया' श्रेणी के तहत तीन उद्घोषणाएँ फाइल कीं, जिसमें दो उद्घोषणाओं में देय कर को 'शून्य' और तीसरी उद्घोषणा में ₹ 0.007 करोड़ उद्घोषित किया गया। उद्घोषक द्वारा घोषित पूर्व-जमा के संबंध में विभाग की सत्यापन रिपोर्ट के बाद, सभी मामलों में एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया गया (28 दिसंबर 2019, 15 जनवरी 2020) जहां दो मामलों में देय राशि 'शून्य' के रूप में और तीसरे मामले में ₹ 0.02 करोड़ थी। बाद में, दो मामलों में 'शून्य' राशि वाले एसवीएलडीआरएस-3 फॉर्म को विनिर्दिष्ट समिति द्वारा परिशोधित किया गया था और प्रत्येक मामले में ₹ 0.02 करोड़ देय दिखाया गया था। पूर्व जमा के संबंध में उद्घोषक के दावे को खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद उद्घोषक ने मामले की फिर से जांच करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया क्योंकि सभी तीनों मामलों में अंतिम देयता सही ढंग से निर्धारित नहीं की गयी थी, क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई (27 दिसंबर 2019) के दौरान उसने सभी प्रासंगिक सेवा कर भुगतान चालानों की प्रतियां प्रस्तुत की थीं और उन्हें एसवीएलडीआरएस-2 की प्रतिक्रिया में अपलोड किया था। विभाग द्वारा पूर्व में अस्वीकृत सभी पूर्व-जमा चालानों का सत्यापन 14 फरवरी 2020 को किया गया था, लेकिन समयावधि समाप्त होने के कारण संशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं किया जा सका। इसके बाद, उद्घोषक ने इन मामलों में सही एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की। इस प्रकार, यदि विभाग ने संशोधित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 समय पर जारी किया होता, तो इन उद्घोषणाओं को अंतिम रूप दिया जा सकता था और मुकदमे से बचा जा सकता था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि कमिश्नरी ने दोनों मामलों में देय कर को परिशोधित करने के बाद दो मामलों में परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया था और एक मामले में संशोधित एसवीएलडीआरएस-3 की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सत्यापन स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण था और विनिर्दिष्ट समिति समय पर संशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं कर सकी जिसके कारण न केवल मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका बल्कि मुकदमेबाजी भी हुई।

3.12.3 निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने में कमियां

3.12.3.1 'शून्य' देय राशि वाले निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6(2) के अनुसार, यदि देय राशि को 'शून्य' के रूप में निर्धारित किया गया था, तो फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में कोई विवरण जारी नहीं किया जाना था। ऐसे सभी मामलों में, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-4 में निर्वहन प्रमाणपत्र उद्घोषणा फाइल करने के तीस दिनों के भीतर जारी किया जाना था। इसलिए जहां उद्घोषक को 'शून्य' देय राशि होने के कारण अनुमान जारी नहीं किया जाता है, वहाँ उद्घोषणा फाइल करने के 30 दिनों के भीतर सीधे निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

'शून्य' देय राशि वाले कुल 53,397 निर्वहन प्रमाणपत्रों में से, हमने 5,308 निर्वहन प्रमाणपत्रों की जांच की और पाया कि 250 मामलों (4.71 प्रतिशत) में, 11 कमिश्नरियों⁵² में, जहां देय राशि 'शून्य' के रूप में निर्धारित की गई थी, वहां निर्वहन प्रमाणपत्र उद्घोषणा फाइल करने के तीस दिनों के भीतर जारी नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 54 दिनों⁵³ के औसत विलंब के साथ एक से 328 दिनों तक का विलंब हुआ था। विलंब का विवरण **तालिका-XI** में दिखाया गया है।

तालिका-XI

दिनों में देरी	1 से 120 दिन	121 से 240 दिन	241 से 328 दिन	कुल मामले
मामलों की संख्या	204	35	11	250

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 162 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि यह विलंब उच्च कार्य भार और तकनीकी मुद्दों जैसे पार्टी द्वारा जमा राशि एसवीएलडीआरएस पोर्टल में प्रदर्शित नहीं थी, के कारण हुआ था। 88 मामलों के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.3.2 देय राशि वाले निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अनुसार, विवरण (एसवीएलडीआरएस-3) में दर्शायी गई राशि के भुगतान पर और अपील वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जो लागू हो, विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा, उक्त भुगतान के तीस दिनों के भीतर और प्रमाण पेश करने पर, निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

देय राशि वाले कुल 78,259 निर्वहन प्रमाणपत्र में से, हमने 7,028 निर्वहन प्रमाणपत्रों की जांच की और पाया कि 38 कमिश्नरियों⁵⁴ में 1,158 उद्घोषणाओं (16.48 प्रतिशत) में, विनिर्दिष्ट समितियों ने, भुगतान किए जाने के तीस दिनों के भीतर और प्रमाण प्रस्तुत करने पर, निर्वहन प्रमाणपत्र जारी

⁵² कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलांग, दमन, अहमदाबाद उत्तर, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, बेंगलुरु दक्षिण और बेंगलुरु पश्चिम

⁵³ कुल दिन 13,668/ कुल मामले 250 = 54 दिन

⁵⁴ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इंफाल, शिलांग, जीबी नगर, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गुंटूर, मेडचल, विशाखापत्तनम, चेन्नई उत्तर, चेन्नई बाहरी, चेन्नई दक्षिण, कोयंबटूर, कोच्चि, कोझीकोड, गांधीनगर, दमन, वडोदरा-II, जयपुर, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला, फरीदाबाद, बेलापुर, औरंगाबाद, मुंबई पश्चिम, मुंबई पूर्व, पालघर, नागपुर II, रायगढ़ और बेलगावी।

नहीं किया था। निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब एक से 423 दिनों का था, जिसमें औसतन 76 दिनों⁵⁵ का विलम्ब था। विलंब का विवरण **तालिका-XII** में दिखाया गया है।

तालिका-XII

दिनों में देरी	1 से 120 दिन	121 से 180 दिन	181 से 240 दिन	241 से 365 दिन	365 दिनों से ऊपर	कुल मामले
मामलों की संख्या	921	143	69	24	1	1158

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 875 मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि विलंब उच्च कार्यभार और पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों/खराबियों के कारण था। हालांकि, 43 मामलों में मंत्रालय ने कहा कि एसवीएलडीआरएस-4 को 30 जून 2020 से पहले जारी किया गया है और इसलिए इसे जारी करने में कोई वास्तविक विलंब नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के तहत भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी न कि एसवीएलडीआरएस-4 जारी करने की अंतिम तिथि जो 30 दिनों के भीतर जारी की जानी थी। 240 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.3.3 गलत देय कर राशि के प्रति निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 9 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के तहत देय कर राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए उद्घोषणा की कर देयताओं का उल्लेख करते हुए निर्वहन प्रमाणपत्र निर्धारित किया गया था।

देय कर राशि, शास्ति, विलंब शुल्क और ब्याज के प्रति राहत दी जानी थी; इसलिए, राहत और देय कर राशि के घटक को सही ढंग से दर्शाते हुए तदनुसार निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किया जाना था।

कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं, जहाँ निर्वहन पत्र जारी किए गए थे, में से हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि नागपुर-II कमिश्नरी में एक मामले में, एक उद्घोषक ने 'लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत ₹ 0.78 करोड़ की शुल्क राशि उद्घोषित की (18 अक्टूबर 2019)। उद्घोषक ₹ 0.001 करोड़ के ब्याज को छोड़ने के प्रति मामले को निपटाना चाहता था लेकिन उद्घोषणा में उसने मामले के निपटान के लिए ₹ 0.78 करोड़ की राशि की उद्घोषणा की थी। हालांकि, विनिर्दिष्ट समिति ने ब्याज राशि के निपटान के लिए उद्घोषणा को संसाधित किया था लेकिन ₹ 0.001 करोड़ की ब्याज राशि के बजाय ₹ 0.78 करोड़ की देय कर राशि के निपटान को दर्शाते हुए निर्वहन पत्र जारी किया था।

इसके परिणामस्वरूप न केवल उद्घोषणा का गलत संसाधन हुआ बल्कि अनियमित निर्वहन प्रमाणपत्र भी जारी किया गया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस-4 जारी करने के दौरान एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा ₹ 0.78 करोड़ की पूर्व-जमा राशि स्वचालित रूप से पहले से भरी गई थी और सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट समिति को कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया था।

⁵⁵ कुल दिन 87,913/कुल मामले 1,158 = 75.91 दिन

इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019, जो पार्टि को संपूर्ण ब्याज की छूट देता है, की धारा 123 और 124 के तहत उनके द्वारा 'योजना' के अंतर्गत कोई ब्याज देय नहीं था। कोई राजस्व हानि नहीं हुई और यह एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 एक ही मामले के प्रति दो निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान नहीं करता है।

कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं, जहां निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, में से हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि जोधपुर कमिश्नरी में ₹ 0.47 करोड़ की देय कर राशि वाले तीन मामलों में ₹ 0.17 करोड़ की देय राशि के लिए एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया गया था (20 दिसंबर 2019, 23 नवंबर 2019 और 30 दिसंबर 2019), लेकिन विनिर्दिष्ट समिति ने शून्य राशि के लिए (19, 29 और 30 जून 2020) निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 0.17 करोड़ की हानि हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने तर्क दिया (मार्च 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तीन मामले ऐसे मामले हैं जिनमें उद्घोषक ने एक मामले के लिए प्रतिरूप उद्घोषणाए फाइल की थीं। हालांकि प्रत्येक उद्घोषक द्वारा दो उद्घोषणाए फाइल की गई थीं, फिर भी उन मामलों में एसवीएलडीआरएस-4 जारी किया गया था जहां भुगतान किया गया था। दूसरी उद्घोषणा के मामले में विलंब को दूर करने के लिए शून्य राशि के लिए एसवीएलडीआरएस -4 भी जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर में उल्लिखित तथ्यों से संकेत मिलता है कि एक ही मामले में गलत देय कर राशि के प्रति प्रतिरूप निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

3.12.3.4 अपील वापस लेने का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करना

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127(7) के अनुसार, भुगतान का प्रमाण प्राप्त करने और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से अपील/रिट याचिका/संदर्भ को वापस लेने, यदि कोई हो, का प्रमाण प्राप्त करने के बाद निर्वहन पत्र जारी किया जाना था।

'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत कुल 60,126 उद्घोषणाओं में से, हमने 9,902 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि छह कमिश्नरियों⁵⁶ के तहत 11 मामलों में, जिसमें ₹ 26.60 करोड़ की देय कर राशि शामिल थी, विनिर्दिष्ट समितियों ने उपरोक्त कानूनी मंच से वापसी का प्रमाण प्राप्त किए बिना उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि सभी मामलों में अपील वापस लेने के प्रमाण की प्राप्ति से पहले निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे क्योंकि उद्घोषणा ने अपील वापस लेने का मौखिक आश्वासन दिया था, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील को वापस लेने के लिए शपथ पत्र/पत्र उपलब्ध कराया था जिसे निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए साक्ष्य के रूप में लिया गया था; इसके अलावा, करदाता एसवीएलडीआरएस पोर्टल में वापसी के उक्त प्रमाण को अपलोड करने में असमर्थ थे। मंत्रालय ने

⁵⁶ कोलकाता दक्षिण, गुवाहाटी, जोधपुर, बेलापुर, औरंगाबाद और चेन्नई दक्षिण

यह भी कहा कि उन उद्घोषकों को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया जहां देय कर राशि 'शून्य' थी।

तथ्य यह रहा कि उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, अपील वापस लेने का प्रमाण प्राप्त किए बिना ही निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

एक मामला नीचे दिखाया गया है:-

➤ चेन्नई दक्षिण कमिश्नरी में, तीन उद्घोषकों ने 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत ₹ 15.09 करोड़ की देय कर राशि के लिए उद्घोषणा (18 अक्टूबर 2019 - 13 जनवरी 2020) फाइल की थी। हमने देखा कि विनिर्दिष्ट समितियों ने माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से अपील वापस लेने का प्रमाण प्राप्त किए बिना ही निर्वहन प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2021) कि उद्घोषक ने इस संबंध में एक वचन दिया था और निर्वहन प्रमाणपत्र गलती से जारी कर दिया गया था।

3.12.3.5 'श्रेणी' और 'शामिल मुद्दे' का उल्लेख किए बिना निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 9 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के तहत देय कर राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए निर्वहन प्रमाण पत्र में उद्घोषणा की श्रेणी और 'शामिल मुद्दे' यथा सेवा कर, प्रतिलोम प्रभार, सेवा का वर्गीकरण, अपात्र सेनवेट क्रेडिट, मूल्य निर्धारण, मामलों की विषय वस्तु या मुद्दे वाले किसी भी एससीएन/आदेश का उल्लेख करना निर्धारित है। मामले की 'विषय वस्तु' और 'श्रेणी' के उल्लेख के लिए निर्वहन प्रमाण पत्र प्रोफार्मा में प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार, निर्वहन प्रमाणपत्र उचित 'श्रेणी' और 'शामिल मुद्दे' के साथ जारी किए जाने चाहिए।

कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं में से, जहां निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जाँच की और पाया कि 14 कमिश्नरियों⁵⁷ में 2,728 उद्घोषणाओं⁵⁸ (22.40 प्रतिशत) में, ₹ 3,172.46 करोड़ की देय कर राशि शामिल थी, विनिर्दिष्ट समितियों ने इस मामले में उद्घोषणा की श्रेणी और 'शामिल मुद्दों' का उल्लेख किए बिना निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 2,158 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि निरीक्षण के अभाव के कारण कुछ विवरण निर्वहन प्रमाणपत्र में शामिल नहीं किए गए होंगे और शामिल मुद्दे का उल्लेख करने हेतु एसवीएलडीआरएस-4 में विशिष्ट कॉलम दिया गया था, लेकिन यह डेटा फ़्रील्ड अनिवार्य नहीं था। शामिल मुद्दों का विवरण फाइल न करने का प्राथमिक कारण समय की कमी थी और कई बार इसमें शामिल मुद्दे प्रकृति में अधिक समय लेने वाले थे। तथापि, तथ्य यह रहा कि निर्वहन प्रमाणपत्र

⁵⁷ कोलकाता उत्तर, दमन, वडोदरा-II, अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, जयपुर, जोधपुर, कोच्चि, कोझिकोड, कोलकाता दक्षिण, चेन्नई उत्तर, चेन्नई आउटर, कोयंबटूर और गांधीनगर

⁵⁸ 1,865 मामलों (₹1,853.12 करोड़) में 'मुद्दों शामिल' का उल्लेख नहीं है और 863 मामलों में 'श्रेणी' का उल्लेख नहीं है (₹1,319.34 करोड़)

पूर्ण विवरण के साथ जारी नहीं किए गए थे। 570 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.3.6 गलत श्रेणी के प्रति निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करना

कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं, जहां निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, में से हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि सात कमिश्नरियों⁵⁹ के तहत ₹ 12.72 करोड़ की देय कर राशि वाले 15 मामलों में, विनिर्दिष्ट समितियों ने उद्घोषणा में गलत श्रेणी का उल्लेख करते हुए निर्वहन प्रमाणपत्र (एसवीएलडीआरएस-4) जारी किया।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 12 मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि यह एसवीएलडीआरएस पोर्टल में एक गड़बड़ी थी और यह चूक तकनीकी प्रकृति की थी जिसमें कोई राजस्व शामिल नहीं था। मंत्रालय ने दो मामलों के संबंध में अभ्युक्ति को यह बताते हुए स्वीकार नहीं किया कि अंतर केवल तकनीकी प्रकृति का है और सभी उद्घोषणाओं को एसवीएलडीआरएस-2/3/4 जारी करने के चरण के दौरान, सही राशि के लिए सही श्रेणी के तहत देय राशि एकत्र करके सत्यापित और परिशोधित किया गया था।

तथ्य यह रहा कि निर्वहन प्रमाण पत्र गलत विवरणों के साथ जारी किए गए थे जिसने विषय वस्तु को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। एक मामले के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.3.7 जीएसटी अवधि से संबंधित निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करना

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 122 के अनुसार, 'योजना' केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V और उसके तहत बनाए गए नियमों पर लागू थी। अतः, निर्वहन प्रमाणपत्र में जीएसटी अवधि अर्थात् 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद की अवधि शामिल नहीं होनी चाहिए।

कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से 1,31,656 उद्घोषणाओं में निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और पाया कि 12 कमिश्नरियों⁶⁰ में ₹ 393.08 करोड़ की देय कर राशि वाले 625 मामलों (5.10 प्रतिशत) में विनिर्दिष्ट समितियों ने जीएसटी अवधि अर्थात् 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद की अवधि को शामिल करते हुए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए थे। इससे निर्वहन प्रमाणपत्रों को गलत रूप से जारी करने का पता चला, क्योंकि यह 'योजना' के दायरे से बाहर था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने 479 मामलों में विसंगति को स्वीकार किया (मार्च 2022) लेकिन कहा कि एसवीएलडीआरएस-4 जारी किए गए हैं, जो निर्धारिती के एआरएन को दर्शाता है और इस प्रकार, समयावधि आसानी से सहसंबद्ध है। कुछ मामलों में समयावधि के गलत उल्लेख से इस तथ्य के मद्देनजर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एसवीएलडीआरएस-4, एसवीएलडीआरएस-1 के एआरएन को दर्शा रहा है जो स्पष्ट रूप से समय

⁵⁹ कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, गुंटूर, मेडचल, विशाखापत्तनम, कोच्चि और बेलगावी

⁶⁰ कोलकाता उत्तर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इम्फाल, शिलांग, गांधीनगर, दमन, वडोदरा-II, अहमदाबाद उत्तर, अहमदाबाद दक्षिण, जयपुर और जोधपुर

अवधि को दर्शाता है और एसवीएलडीआरएस-1 को आसानी से निर्वहन प्रमाणपत्र के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है। तथ्य यह रहा कि एसवीएलडीआरएस फॉर्म के प्रासंगिक फील्ड में सही डेटा का उचित और अनिवार्य उल्लेख उन विसंगतियों को रोक सकता है जिनका भविष्य में लाभ उठाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त 114 मामलों में, मंत्रालय ने यह कहते हुए विसंगति को स्वीकार नहीं किया कि ऐसे सभी मामले विरासत मामलों से संबंधित हैं। निर्वहन प्रमाणपत्रों में दर्शाई गई समय अवधि ओआईओ जारी करने की तिथि है; हालांकि, शुल्क की मांग की अवधि 30 जून 2017 से पहले की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटी अवधि से संबंधित निर्वहन प्रमाणपत्र गलत विवरण के साथ जारी किए गए थे, जिसने विषय वस्तु को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। 32 मामलों के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.12.3.8 निर्वहन प्रमाणपत्र जारी न करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 9 में प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट समिति संतुष्ट होने पर कि उद्घोषक ने उसके द्वारा निर्धारित और फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाई गई राशि का पूरा भुगतान किया है और नियम 8 में संदर्भित अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, यदि कोई हो और उक्त भुगतान, जो भी बाद में हो, के तीस दिनों के भीतर उक्त प्रमाण के प्रस्तुतिकरण पर वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (8) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म एसवीएलडीआरएस-4 में एक निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करेगी। प्रावधान किया गया कि ऐसे मामले में, जहां नियम 6 के उप-नियम (2) के परंतुक के आधार पर विनिर्दिष्ट समिति द्वारा फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं किया गया है, वहां नियम 3 के उप-नियम (1) में संदर्भित उद्घोषणा पत्र फाइल करने के तीस दिनों के भीतर निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

'मुकदमेबाजी/बकाया' श्रेणी के तहत कुल 1,26,899 उद्घोषणाओं में से, हमने 14,924 उद्घोषणाओं की जाँच की और पाया कि लुधियाना, बंगलुरु पश्चिम और रायपुर कमिश्नरियों में ₹ 10.33 करोड़ की देय कर राशि वाले दस मामलों में विनिर्दिष्ट समितियों ने उद्घोषणाओं को संसाधित किया था लेकिन 'योजना' के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निर्वहन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने तीन मामलों में स्वीकार किया (मार्च 2022) कि तकनीकी खराबी के कारण निर्वहन प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा सके क्योंकि एसवीएलडीआरएस पोर्टल में भुगतान दिखाई नहीं दे रहा था। सात मामलों के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

एक कमिश्नरी के मामले नीचे दिए गए हैं:-

➤ लुधियाना कमिश्नरी में, हमने देखा कि ₹ 0.85 करोड़ की देय कर राशि वाले तीन मामलों में, विनिर्दिष्ट समिति ने ₹ 0.32 करोड़ की राशि के साथ एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया था लेकिन निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि तकनीकी खराबी के कारण इस मामले में निर्वहन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था क्योंकि संबंधित तीनों मामलों में भुगतान किए गए चालान विनिर्दिष्ट समिति के पोर्टल में नहीं दिख रहे थे। हालांकि, जब उक्त चालान पोर्टल में परिलक्षित हुआ, तो विनिर्दिष्ट समिति ने इन सभी मामलों में निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया। तथापि, लेखापरीक्षा को अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.12.3.9 निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उद्घोषणा की अस्वीकृति

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 129 के अनुसार, 'योजना' के तहत देय राशि के संबंध में धारा 126 के तहत जारी किया गया प्रत्येक निर्वहन प्रमाण पत्र उसमें बताए गए मामले और समय अवधि के संदर्भ में निर्णायक होगा और ऐसी उद्घोषणा द्वारा शामिल किए गए किसी मुद्दे और समयावधि को अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत किसी अन्य कार्यवाही में फिर से खोला नहीं जाएगा।

निर्वहन प्रमाण पत्र जारी की गई कुल 1,31,656 उद्घोषणाओं में से हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जांच की और देखा कि गोवा और मुंबई पश्चिम कमिश्नरियों में ₹ 0.41 करोड़ की देय कर राशि वाले दो मामलों में विनिर्दिष्ट समितियों ने उद्घोषणाओं को संसाधित किया और निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया और बाद में उन्हें या तो (जांच लंबित/सीमा शुल्क अधिनियम से संबंधित) अपात्र के रूप में या चयनित मुद्दों के लिए उद्घोषणा फाइल की गई थी, जबकि एससीएन में कई मुद्दों को शामिल किया गया था, 'योजना' के तहत अस्वीकार कर दिया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने दोनों मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)।

एक मामला नीचे दिखाया गया है:-

एक उद्घोषक ने मुंबई पश्चिम कमिश्नरी के तहत 'जांच' श्रेणी में एक उद्घोषणा फाइल की थी (13 जनवरी 2020) जिसमें देय कर राशि ₹ 0.35 करोड़ थी। विनिर्दिष्ट समिति ने उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया और अंतिम रूप दिया। इसके अलावा, संयुक्त कमिश्नर लेखापरीक्षा-III, सीजीएसटी मुंबई ने विभाग को बताया कि निर्धारिती के साथ पहला संप्रेषण 23 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसके बाद 30 दिसंबर 2019 को अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। 'योजना' के दिशानिर्देशों के अनुसार, उद्घोषक अपात्र था क्योंकि राशि की मात्रा का निर्धारण 30 जून 2019 की निर्धारित अंतिम तिथि से बाद का था। पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2019 के आधार पर, उक्त आवेदन को ऑफ़लाइन अस्वीकार कर दिया गया था और निर्धारिती को दिनांक 30 जुलाई 2020 को सूचित किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस-3 (4 मार्च 2020) और एसवीएलडीआरएस-4 (17 मार्च 2020) गलती से जारी किए गए थे। एसवीएलडीआरएस पोर्टल पर गलती से निर्वहन प्रमाणपत्र जारी होने की स्थिति में संशोधन/परिशोधन करने के लिए कोई मॉड्यूल/उपयोगी सेवा उपलब्ध नहीं थी; इसलिए इसे ऑफ़लाइन करना पड़ा। सीजीएसटी, लेखापरीक्षा-III कमिश्नरी से प्राप्त सूचना के बाद, विनिर्दिष्ट समिति ने एसवीएलडीआरएस-3 और

एसवीएलडीआरएस-4 को अस्वीकृत कर दिया (30 जुलाई 2020) क्योंकि आवेदक 'योजना' का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं था।

3.13 एसवीएलडीआरएस पोर्टल संबंधी निष्कर्ष

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 और एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के प्रावधान के अनुसार 'योजना' को पूरी तरह से स्वचालित किया जाना था, उद्घोषणा के इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन फाइलिंग और अंतिम निर्णय के संप्रेषण के लिए। इसे निर्णय लेने में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था।

हमने उद्घोषणाओं को स्वीकार करते समय और विवरण/निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करते समय एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा प्रावधानों के अनुपालन की जांच की और विभिन्न अवसरों पर 'योजना' के प्रावधानों में कुछ कमियां/अननुपालन पाया गया जिसे आगामी पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

3.13.1 एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण उद्घोषणाओं की स्वीकृति

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 3 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 में 'योजना' के तहत उद्घोषणा को ऑनलाइन फाइल करने के लिए एक प्रारूप (फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1) निर्धारित किया गया है। उद्घोषक को उद्घोषणा में ऑनलाइन विवरण/सूचना यर्थात्, उद्घोषक का नाम, पंजीकरण विवरण, पात्रता मानदंड, एससीएन/ओआईओ विवरण आदि भरने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

3.13.1.1 कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से, हमने 19,603 उद्घोषणाओं की जाँच की और कोलकाता उत्तर कमिश्नरी में ₹ 509.56 करोड़ की देय राशि वाली 382 उद्घोषणाओं (1.95 प्रतिशत) में सूचना के विभिन्न तत्व, जैसा कि नीचे वर्णित है, एसवीएलडीआरएस-1 में उपलब्ध नहीं थे।

➤ "क्या आपके पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर पंजीकरण है" की सूचना और "केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर पंजीकरण संख्या" एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 में निर्धारित एसवीएलडीआरएस-1 में भरना आवश्यक था। हालांकि, उक्त सूचना एसवीएलडीआरएस-1 अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

➤ एसवीएलडीआरएस-1 के सरल क्रमांक आठ के तहत भाग-बी में उद्घोषक की पात्रता के संबंध में दस प्रकार की जानकारी भरना आवश्यक था, जैसा कि एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 में निर्धारित था। हालांकि, उक्त सूचना एसवीएलडीआरएस-1 अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

विनिर्दिष्ट समिति द्वारा डाउनलोड की गई उद्घोषणाओं की कागजी प्रति, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी, में भी उपरोक्त जानकारी शामिल नहीं थी।

हमने आगे पाया कि विनिर्दिष्ट समिति एसवीएलडीआरएस पोर्टल में लॉग इन करते समय केवल एकल शीट एसवीएलडीआरएस-1 को पुनः प्राप्त और डाउनलोड कर सकी, जिसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। विनिर्दिष्ट समिति ने विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापन के दौरान भौतिक रूप से यह लुप्त सूचना प्राप्त की। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि 'योजना' पूरी तरह से ऑनलाइन थी, विनिर्दिष्ट समितियों ने मामलों की पात्रता तय करने के लिए विभाग से विभिन्न अंश प्राप्त किए। इससे 'योजना' को पूरी तरह ऑनलाइन रखने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने उन व्यक्तियों को स्वतः अनुमति नहीं दी, जो 'योजना' के तहत एक उद्घोषणा फाइल करने हेतु अपात्र थे। यदि विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किसी आवेदन को अस्वीकार या स्वीकार करते समय कोई त्रुटि हुई है, तो यह पूरी तरह से एसवीएलडीआरएस पोर्टल में कमी के कारण है। लेकिन इससे भी आवेदनों की गलत स्वीकृति नहीं होती, जो नियमों द्वारा वर्जित थे। अपूर्ण आवेदनों में केवल कुछ तकनीकी कमी थी, जिसके आधार पर विनिर्दिष्ट समिति ने केवल वास्तविक आवेदकों को 'योजना' की भावना को ध्यान में रखते हुए अनुमति देना उचित समझा। इस प्रकार, मंत्रालय के उत्तर ने स्वयं दर्शाया कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने कुछ मामलों में अपूर्ण उद्घोषणाओं को स्वीकार किया था।

3.13.1.2 कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से हमने 19,603 उद्घोषणाओं की जाँच की और हमने पाया कि चार कमिश्नरियों⁶¹ के तहत छह उद्घोषणाओं में ₹ 2.20 करोड़ की देय कर राशि शामिल थी, जिसमें उद्घोषकों के नाम एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा सृजित एसवीएलडीआरएस-1 में नहीं पाए गए थे। एसवीएलडीआरएस पोर्टल को उद्घोषकों के नाम के बिना ऐसी उद्घोषणाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

हमने यह भी देखा कि गुवाहाटी कमिश्नरी में, एक उद्घोषणा को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि उद्घोषक का नाम उद्घोषणा में शामिल नहीं था। हालांकि, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया और डिब्रूगढ़ कमिश्नरियों में अन्य पांच उद्घोषणाओं को संसाधित किया गया था। इस प्रकार, कमिश्नरियों में उद्घोषणाओं को संसाधित करने में एकरूपता का अभाव था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने पांच मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022) कि त्रुटि तकनीकी प्रकृति की प्रतीत होती है। एक मामले के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.13.2 एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने समान मामलों के लिए प्रतिरूप/एकाधिक उद्घोषणाओं को स्वीकार किया

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 3 के अनुसार, जब उद्घोषक एक ऑनलाइन उद्घोषणा फाइल करता है, तो एसवीएलडीआरएस पोर्टल उद्घोषक के साथ-साथ विनिर्दिष्ट समिति के संदर्भ में उस उद्घोषणा के प्रति एक विशिष्ट एआरएन आवंटित करता है और प्रत्येक मामले के लिए उद्घोषणा अलग से फाइल की जानी थी।

⁶¹ कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़

कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से हमने 19,603 उद्घोषणाओं की जाँच की और देखा कि 25 कमिश्नरियों⁶² में ₹ 273.53 करोड़ की देय कर राशि वाले 208 मामलों (1.06 प्रतिशत) में एक ही मामलों में एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा कई उद्घोषणाएँ स्वीकार की गईं (एक ही उद्घोषक/देय कर राशि/एससीएन/ओआईओ) और इन मामलों को एसवीएलडीआरएस-3/4 जारी करने के चरण तक संसाधित किया गया था। इससे एसवीएलडीआरएस पोर्टल में संभावित कमी का संकेत मिलता है, जिसके कारण विभाग को उन्हीं मामलों को फिर से संसाधित करना पड़ा।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2022) मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि चूंकि उद्घोषणा फाइल करते समय की गई त्रुटि के मामले में करदाता द्वारा फाइल उद्घोषणा में संशोधन/आशोधन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए, ऐसे मामले जहां करदाता ने उद्घोषणा के मुख्य फील्ड में गलत विवरण दर्ज किया था, एकमात्र उपाय सही विवरण के साथ एक दूसरा आवेदन फाइल करना था। इसके अलावा, इसे इस तथ्य के मद्देनजर यह देखा जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया थी और सॉफ्टवेयर डिजाइन करते समय, डेवलपर के पास सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को समय-समय पर संशोधित/आशोधित करने का लचीलापन नहीं होता है। साथ ही उन मामलों में भी जहां प्रतिरूप/तीन प्रतियों में उद्घोषणाएँ फाइल की गई थीं, वहां सरकारी राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है या करदाता को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ है। यह दोहराव एसवीएलडीआरएस पोर्टल का एक मुद्दा था।

पांच मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:-

चण्डीगढ़ कमिश्नरी में ₹ 0.08 करोड़ की देय कर राशि वाले पांच मामलों में देय राशि को उद्घोषकों द्वारा दो बार जमा किया गया था। हमने पाया कि प्रतिरूप उद्घोषणा और भुगतान का कारण यह था कि शुरू से ही, एसवीएलडीआरएस पोर्टल पर कई तकनीकी त्रुटियां/खामियां थीं, जिससे एसवीएलडीआरएस पोर्टल विनिर्दिष्ट समिति द्वारा जारी विवरणों (फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3) के प्रति उद्घोषकों द्वारा किए गए भुगतान की स्थिति को अपडेट नहीं करेगा। इसके अलावा, विभिन्न उद्घोषकों द्वारा यह बताया गया था कि वे उद्घोषणाओं के संबंध में चालान सृजित करने में असमर्थ थे या उन्होंने गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों के माध्यम से संबंधित उद्घोषणाओं के प्रति भुगतान किया था, जो पोर्टल पर उचित माध्यम से भुगतान के रूप में प्रतिबिंबित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा कुछ उद्घोषणाओं के लिए, संबंधित उद्घोषकों ने इस मुद्दे को महानिदेशक (सिस्टम) के समक्ष उठाया; हालांकि, 'योजना' के तहत उद्घोषणा फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी और इन तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी भी नुकसान से बचने के लिए संबंधित उद्घोषकों ने 'योजना' के तहत राहत मांगने के लिए कई/प्रतिरूप उद्घोषणाएँ फाइल कीं, जिन्हें 2019 के वित्त अधिनियम (संख्या 2) (संशोधित) के तहत निर्धारित यथावत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संसाधित किया गया।

⁶² कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, गुंटूर, मेडचल, रंगा रेड्डी, विशाखापत्तनम, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद दक्षिण, दमन, वडोदरा-II, गांधीनगर, अहमदाबाद उत्तर, इंदौर, चंडीगढ़, पंचकुला, लुधियाना, नागपुर-II, चेन्नई आउटर और चेन्नई उत्तर

एक ही मामले के लिए दो बार प्राप्त भुगतान के संबंध में (लेकिन प्रतिरूप एआरएन में), उसी उद्घोषक ने, तीन मामलों के प्रति इस प्रकार किए गए प्रतिरूप भुगतानों की वापसी के लिए आवेदन किया था। एसवीएलडीआरएस पोर्टल पर ऐसी किसी भी उद्घोषणा को अस्वीकार करने के विकल्प की अनुपलब्धता के कारण, जहां भुगतान किया गया है, मामले को स्पष्टीकरण के लिए सीबीआईसी को भेजा गया था, जो अभी भी प्रतीक्षित था (मार्च 2022)। इस तरह के एक अन्य उद्घोषक द्वारा फाइल प्रतिदाय को पहले ही 4 अगस्त 2020 के आदेश के तहत मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि, शेष मामलों के लिए प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा एक ही मामले में कई उद्घोषणाएँ स्वीकार की गई हों। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में एससीएन/ओआईओ/ओआईए/सीईएसटीएटी आदेश आदि हस्त्य रूप से जारी किए गए हैं और प्रत्येक मामले को आवंटित विशिष्ट संख्या की कोई अखिल भारतीय एकीकृत प्रणाली नहीं है। तदनुसार, प्रणाली/एसवीएलडीआरएस पोर्टल में ऐसी कार्यात्मकता विकसित करना संभव नहीं हो सकता। आगे यह कहा गया है कि उसी एससीएन/ओआईओ के लिए उसी उद्घोषक द्वारा एक और उद्घोषणा फाइल करने की आवश्यकता, उद्घोषक द्वारा त्रुटियों के परिशोधन के लिए उत्पन्न हुई, ताकि वे 'योजना' के तहत एक नई उद्घोषणा फाइल कर सकें और विरासत करों के अपने विवादों को समाप्त कर सकें जो 'योजना' के उद्देश्यों में से एक था।

हम मंत्रालय की अभ्युक्ति को स्वीकार करते हैं कि प्रतिरूप उद्घोषणाओं को रोकने का कोई साधन नहीं है, लेकिन प्रतिरूप उद्घोषणाओं की पहचान करने के लिए एमआईएस रिपोर्ट का एक तंत्र होना चाहिए। यह एकाधिक भुगतान और प्रतिदाय के मामलों को रोकेगा।

3.13.3 उचित विनिर्दिष्ट समितियों को नहीं सौंपी गई उद्घोषणाएँ

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 5 और सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स 8 दिनांक 27 अगस्त 2019 ने निर्धारित किया कि ₹ 50 लाख से अधिक की देय कर राशि वाले मामलों का सत्यापन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर (समिति-1) की अध्यक्षता वाली एक विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाना चाहिए और ₹ 50 लाख या उससे कम की राशि वाले मामलों का सत्यापन अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर (समिति-2) की अध्यक्षता वाली एक विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से हमने 19,603 उद्घोषणाओं की जाँच की और पाया कि भुवनेश्वर, जोधपुर और बेंगलुरु पश्चिम कमिश्नरियों के तहत ₹ 5.86 करोड़ की देय कर राशि वाले तीन मामलों में, एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने उचित विनिर्दिष्ट समितियों को उद्घोषणाओं को स्वचालित रूप से नहीं सौंपा था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि दो मामलों में एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कुछ उद्घोषणाओं को गलत विनिर्दिष्ट समिति को स्वचालित रूप से प्रेषित कर दिया। चूंकि स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी को ठीक नहीं किया जा सका, इसलिए शुल्क राशि के अनुसार उचित राहत गणना सुनिश्चित करके

विभिन्न विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा उद्घोषणा को संसाधित करने का निर्णय लिया गया। एक मामले में, देय राशि "शून्य" थी, इसलिए, अवर समिति द्वारा निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

तथ्य यह रहा कि इन मामलों को एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा देय कर राशि की मात्रा के आधार पर सौंपा जाना था, न कि देय राशि के आधार पर।

3.13.4 एसवीएलडीआरएस पोर्टल तक पहुंच की अनुपलब्धता के कारण विवरणों को ऑफलाइन जमा करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6(4) के अनुसार, यदि उद्घोषक उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अनुमान के साथ सहमति या असहमति का संकेत देना चाहता है या लिखित बयान देना चाहता है या व्यक्तिगत सुनवाई को छोड़ना या स्थगन की मांग करना चाहता है, तो उक्त को दर्शाते हुए उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2ए फाइल करना होगा।

कुल 1,36,613 'मुकदमेबाजी/बकाया/जांच' उद्घोषणाओं में से हमने 16,670 उद्घोषणाओं की जांच की और देखा कि कोलकाता उत्तर कमिश्नरी में, एक उद्घोषक ने ₹ 0.36 करोड़ की शुल्क देयता के लिए 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत एसवीएलडीआरएस-1 फाइल किया था (30 दिसंबर 2019)। विनिर्दिष्ट समिति ने ₹ 0.24 करोड़ की पूर्व-जमा राशि की अनुमति नहीं दी और फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2 जारी किया था (5 मार्च 2020)। यह देखा गया कि उद्घोषक अपनी असहमति दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसवीएलडीआरएस-2ए प्रस्तुत करने में असमर्थ था। यद्यपि सभी संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने थे, फिर भी विभाग ने ऑफलाइन प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लिया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2022) मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि उद्घोषक एसवीएलडीआरएस-2ए जारी करने के लिए एसवीएलडीआरएस पोर्टल तक नहीं पहुंच सका और तकनीकी खराबी के कारण स्थगन के लिए एक हस्त्य रूप से अनुरोध प्रस्तुत किया और विनिर्दिष्ट समिति द्वारा भी इसकी अनुमति दी गई थी।

तथापि, तथ्य यह रहा कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल 'पूरी तरह से स्वचालित' नहीं था और हस्त्य रूप से पत्राचार स्वीकार कर लिया गया था।

3.13.5 एसवीएलडीआरएस पोर्टल द्वारा अपील को अपलोड करने की अनुमति न देने के कारण अपील/रिट याचिका/संदर्भ को वापस लेने के प्रमाण का ऑफलाइन प्रस्तुतीकरण

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6(8) के अनुसार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, उद्घोषक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना था।

कुल 60,126 'मुकदमेबाजी' श्रेणी की उद्घोषणाओं में से हमने 9,902 उद्घोषणाओं की जाँच की और पाया कि छह कमिश्नरियों⁶³ में, 17 मामलों में, जिनमें ₹ 7.52 करोड़ की देय कर राशि थी, उच्च न्यायालय से अपील वापस लेने का प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने सभी मामलों में अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया (मार्च 2022) कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने वापसी के प्रमाण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करने की अनुमति नहीं दी; साथ ही, मामूली प्रक्रियात्मक उल्लंघन के कारण लाभ से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, तथ्य यह है कि एसवीएलडीआरएस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.13.6 एसवीएलडीआरएस पोर्टल की विफलता के कारण उद्घोषणाओं की ऑफ़लाइन अस्वीकृति

सीबीआईसी के परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 के अनुसार, 'योजना' को पूरी तरह से स्वचालित किया जाना था, उद्घोषणा के इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन फाइलिंग और अंतिम निर्णय की संप्रेषण के लिए।

कुल 29,167 अस्वीकृत उद्घोषणाओं में से, हमने 1,477 उद्घोषणाओं की जाँच की और पाया कि विनिर्दिष्ट समितियों ने 16 कमिश्नरियों⁶⁴ में 72 उद्घोषणाओं (5.01 प्रतिशत) को ऑफ़लाइन अस्वीकार कर दिया था, जिसमें ₹ 167.12 करोड़ की देय कर राशि थी। यह उपरोक्त प्रावधान का पालन करने में विफलता को दर्शाता है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2021), मंत्रालय ने 42 मामलों में अभ्युक्ति को अस्वीकृति के समय एसवीएलडीआरएस पोर्टल की विफलता बताते हुए स्वीकार किया (मार्च 2022)। हालांकि; सीबीआईसी द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऑफ़लाइन अस्वीकृति दी गई थी। 30 मामलों के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

3.13.7 परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 के माध्यम से चालान का सृजन न करना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 7 के अनुसार, एसवीएलडीआरएस-3 विवरण जारी होने के बाद केवल एसवीएलडीआरएस चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक था। इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 128 के अनुसार, केवल अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए, उद्घोषक द्वारा देय राशि को दर्शाते हुए परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया जाना था जो उद्घोषक या स्वविवेक द्वारा इंगित की गई ऐसी त्रुटि पर अभिलेख द्वारा स्पष्ट हो। हालांकि, हमने एक मामले में पाया कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने के मामले में, एसवीएलडीआरएस चालान सृजित करने के लिए नहीं बनाया गया था।

⁶³ कोलकाता दक्षिण, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, चंडीगढ़ और कोझिकोड

⁶⁴ कोलकाता दक्षिण, डिब्रूगढ़, नोएडा, गुंटूर, मेडचल, रंगा रेड्डी, विशाखापत्तनम, चेन्नई उत्तर, चेन्नई बाहरी, चेन्नई दक्षिण, कोच्चि, रायगढ़, पालघर, मुंबई पूर्व, बेंगलुरु पश्चिम और लुधियाना

गांधीनगर कमिश्नरी में, ₹ 0.46 करोड़ की देय कर राशि वाली एक उद्घोषणा को 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत फाइल किया गया था (27 दिसम्बर 2019)। हालांकि, इसे 'बकाया' श्रेणी के तहत गलत तरीके से संसाधित किया गया था और ₹ 0.17 करोड़ की भुगतान योग्य राशि के लिए एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया गया था (7 जनवरी 2020)। जब उद्घोषक ने 'बकाया' श्रेणी पर विचार किए जाने की गलती को इंगित किया तो विनिर्दिष्ट समिति ने 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 को जारी किया (5 फरवरी 2020)। हालांकि, उद्घोषक ने यह सूचना दी कि परिसंशोधित एसवीएलडीआरएस-3 के माध्यम से चालान सृजित करने का कोई विकल्प नहीं था और विनिर्दिष्ट समिति के साथ-साथ 'सीबीआईसी मित्रा' भी चालान सृजन के लिए एसवीएलडीआरएस-3 को संशोधित करने में असमर्थ था। इस प्रकार, निर्धारित भुगतान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.09 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि भी हुई।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021), मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि निर्धारित, निधि की कमी के कारण चालान सृजित नहीं कर सका जैसा कि उनके द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया था, क्योंकि वह दो एआरएन के संबंध में राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं था जहाँ एसवीएलडीआरएस जारी किए गए थे। एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने परिशोधित एसवीएलडीआरएस-3 के आधार पर एसवीएलडीआरएस चालान के सृजन के लिए अनुमति प्रदान की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि इस मामले में उद्घोषक ने मामले को सुलझाने का अनुरोध किया (18 फरवरी 2020) ताकि उसे 'योजना' के तहत भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके और विनिर्दिष्ट समिति के साथ-साथ 'सीबीआईसी मित्रा', चालान सृजन के साथ एसवीएलडीआरएस-3 को संशोधित करने में असमर्थ था।

3.13.8 ऑनलाइन व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रावधान न होना

एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के नियम 6(3) के अनुसार जहाँ उद्घोषक द्वारा भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि उद्घोषक द्वारा उद्घोषित राशि से अधिक होती है, तब विनिर्दिष्ट समिति को, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2 में, जोकि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर के नोटिस सहित उद्घोषक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का एक अनुमान है, नियम 3 के उप-नियम(1) के तहत उद्घोषणा की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी करना होता है।

हमने यह पाया कि यद्यपि 'योजना' पूरी तरह स्वचालित थी लेकिन प्रावधानों में व्यक्तिगत सुनवाई को ऑफलाइन रखा गया था। इस प्रकार, 'योजना' के प्रावधानों को बनाते समय पूर्णतः स्वचालित करने की अवधारणा को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी (मार्च 2022)।

3.13.9 उद्घोषणाओं और निर्वहन प्रमाण पत्र में कमियाँ

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 123(बी) के संदर्भ में, जहाँ उद्घोषक द्वारा 30 जून 2019 को या उससे पहले किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एक एससीएन प्राप्त किया गया हो, तब उक्त नोटिस में उद्घोषक द्वारा भुगतान के लिए कही गई शुल्क राशि को 'योजना' के तहत देय

कर राशि माना जाएगा। इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124(1)(बी) यह निर्धारित करती है कि विलंब फीस या शास्ति के लिए संपूर्ण राहत प्रदान की जाएगी। एसवीएलडीआरएस नियमावली, 2019 के तहत निर्धारित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में विलंब फीस और शास्ति के बारे में सूचना शामिल है, लेकिन फॉर्म एसवीएलडीआरएस-4 में केवल देय कर राशि के बारे में सूचना शामिल है। सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स-8 दिनांक 27 अगस्त 2019 के अनुसार ब्याज के लिए भी संपूर्ण राहत दी जानी थी।

हालांकि, हमने पाया कि ब्याज राशि को दर्शाने के लिए फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि फॉर्म एसवीएलडीआरएस-4 में ब्याज/शास्ति/विलंब फीस के लिए राहत की राशि को कॉलम 'देय कर राशि' में उल्लिखित किया गया था, जहाँ देय कर राशि 'शून्य' थी और उद्घोषणा में केवल शास्ति/ब्याज राशि शामिल थी। लेकिन विनिर्दिष्ट समिति ने न केवल भुगतान प्रमाण पत्र (एसवीएलडीआरएस-3) जारी किए बल्कि 'ब्याज/शास्ति/विलंब फीस के लिए राहत' को उल्लिखित करने के बजाय देय कर राशि के प्रति राहत के लिए निर्वहन प्रमाण पत्र भी जारी किए। चूंकि, ब्याज/शास्ति/विलंब फीस, 'देय कर राशि' से अलग होती है, इसलिए देय कर राशि के पक्ष में विवरण जारी करना 'योजना' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, उद्घोषणा प्रारूप दोषपूर्ण था जहाँ ब्याज राशि को अलग से नहीं दर्शाया गया था और निर्वहन प्रमाण पत्र दोषपूर्ण था जहाँ शास्ति/विलंब फीस/ब्याज को अलग से नहीं दर्शाया जा सकता।

योजना के तहत फाइल की गई कुल 1,89,648 उद्घोषणाओं में से 1,31,656 उद्घोषणाओं में निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, हमने 12,236 उद्घोषणाओं की जाँच की और यह पाया कि कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मुम्बई पूर्व कमिश्नरियों में ₹ 8.36 करोड़ की ब्याज राहत वाले 12 मामलों में निर्वहन प्रमाण पत्र 'शून्य' देय कर राशि के लिए जारी किए गए थे और न की ब्याज राशि के लिए।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2022) कि ब्याज के लिए भी संपूर्ण राहत प्रदान की जाएगी लेकिन ब्याज राशि को दर्शाने के लिए फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। एसवीएलडीआरएस फॉर्म में ब्याज राशि का उल्लेख करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह एसवीएलडीआरएस पोर्टल के डिजाइन में कमियों को दर्शाता है।

3.14 समान मामलों के निपटान में असंगति

'योजना' के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी कमिश्नरियों में समान मामलों के निपटान के संबंध में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा स्टैंड/निर्णय लेने में संगति लाए जाने की आवश्यकता है।

हालांकि, हमने कुछ उदाहरणों में समान मामलों के निपटान में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा स्टैंड/निर्णय लेने में असंगति को पाया जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अधिक/कम राहत प्रदान की गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

3.14.1 ब्याज राशि के निपटान में असंगति

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 124(2), अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत अपीलीय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर पूर्व-जमा के रूप में या पूछताछ, जाँच या लेखापरीक्षा के दौरान

जमा के रूप में भुगतान की गई किसी राशि के समायोजन के बाद 'योजना' के तहत राहत के प्रावधानों को निर्धारित करती है।

कुल 60,831 उद्घोषणाओं में से जहाँ पूर्व-जमा का समायोजन किया गया था, हमने 10,501 उद्घोषणाओं की जाँच की और यह पाया कि पाँच कमिश्नरियों⁶⁵ में, 44 मामलों में से पाँच मामलों में ₹ 0.24 करोड़ की ब्याज/शास्ति की राशि को 'पूर्व-जमा' के रूप में अननुमत किया गया था, जबकि शेष मामलों में उक्त⁶⁶ को 'पूर्व-जमा' के रूप में अनुमत किया गया था। यह समान मामलों पर विभिन्न विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा निर्णय लेने में असंगति को दर्शाता है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021), मंत्रालय ने 24 मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2022) और यह कहा कि एसवीएलडीआरएस को अंतिम रूप देते समय पूर्व-जमा/किसी अन्य जमा के संबंध में कोई निर्देश/स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था और प्रावधानों की व्याख्या में भिन्नता के कारण दो अलग-अलग विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा निर्णय लिए गए थे। तदनुसार, ब्याज के भुगतान को भिन्न समितियों द्वारा अलग-अलग तरीके से निपटाया गया था।

हालांकि, दस मामलों में मंत्रालय ने यह कहते हुए अभ्युक्ति पर प्रतिवाद किया कि कमिश्नरी में गठित दो विनिर्दिष्ट समितियों में अलग-अलग सदस्य शामिल थे और प्रत्येक समिति ने स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लिया। इसलिए, दोनों विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है और भिन्न निर्णयों को एक दूसरे से असंगति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रावधान निश्चित और विधिपूर्वक होते हैं और इसलिए दोनों विनिर्दिष्ट समितियों को समान मामलों पर अलग-अलग निर्णय नहीं लेना चाहिये। विभाग ने कमिश्नरी या विभिन्न कमिश्नरियों के मध्य ब्याज के निपटान की असंगति का भी संदर्भ नहीं लिया और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया।

अध्याय 3 पर निष्कर्ष

'योजना' को विरासत मामलों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के समाधान और निपटान के लिए शुरू किया गया था। यद्यपि विरासत मामलों के निपटान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, हमने पाया कि 'योजना' के तहत पर्याप्त करदाताओं (संख्या में 79 प्रतिशत और कुल विवादित राशि का 23 प्रतिशत शामिल करने वाले) ने आवेदन किया।

अखिल भारतीय "एसवीएलडीआरएस फॉर्म-1 एमआईएस रिपोर्ट" के विश्लेषण से पता चला कि 76,801 मामलों में रिपोर्ट में भुगतान न की गई उद्घोषणाओं के प्रति निर्वहन प्रमाण पत्रों के जारी होने को गलती से दर्शाया गया था।

एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने गलती से जीएसटी अवधि को शामिल करने वाली 669 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं और शून्य देय राशि वाली 2,080 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं को स्वीकार किया। 17,938 मामलों में एसवीएलडीआरएस पोर्टल ने ₹ 10,595.19 करोड़ की देय

⁶⁵ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, विशाखापट्टनम, कोच्चि और नागपुर-॥

⁶⁶ ₹34.92 करोड़

कर राशि वाली गलत भुगतान राशि की संगणना की। यह दर्शाता है कि एसवीएलडीआरएस पोर्टल के माध्यम से 'योजना' का स्वचालन पूरी तरह 'योजना' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

हमने लेखापरीक्षा नमूना में आने वाले कई मामलों में एसवीएलडीआरएस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर भी कमियां देखी, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है।

11 मामलों में, उद्घोषणाओं की प्रमाणिकता का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया था।

हमने अपात्र उद्घोषणाओं को प्रदान किए गए अनुचित लाभ के मामलों को देखा। 28 उद्घोषणाओं में ₹ 109.81 करोड़ का लाभ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क माल को प्रदान किया गया था। वहाँ अपात्र लाभ के भी मामले देखे गए जहाँ देय कर राशि की मात्रा को 30 जून 2019 की निर्दिष्ट तिथि से पहले निर्धारित नहीं किया गया था।

21 उद्घोषणाओं में, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत ₹ 7.01 करोड़ के लाभ को गलत तरीके से उन उद्घोषणाओं को दिया गया था जो 'जाँच/पूछताछ/लेखापरीक्षा' के अधीन थे और जिन्होंने रिटर्न भी फाइल किए थे। हमने यह पाया कि 14 पात्र मामलों को गलत आधार पर अस्वीकार किया गया था।

हमने कुछ मामलों के अनुचित वर्गीकरण को पाया। 'बकाया' श्रेणी के तहत ₹ 23.33 करोड़ की देय कर राशि वाली 17 उद्घोषणाओं को 'मुकदमेबाजी/जाँच' श्रेणी के तहत संसाधित किया गया था और 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत ₹ 2.76 करोड़ की देय कर राशि वाली 16 उद्घोषणाओं को 'बकाया' श्रेणी में संसाधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 'योजना' के तहत गलत राहत प्रदान की गई।

हमने यह पाया कि 'मुकदमेबाजी' श्रेणी में दस उद्घोषणाओं में देय कर राशियों को गलत तरीके से निर्धारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अधिक राहत दी गई। दस उद्घोषणाओं में ₹ 0.95 करोड़ की अधिक राहत और चार उद्घोषणाओं में ₹ 0.32 करोड़ की कम राहत को देय कर राशि के अनुचित सत्यापन के कारण 'बकाया' श्रेणी में प्रदान किया गया था। इसी प्रकार, 'जाँच/पूछताछ/लेखापरीक्षा' श्रेणी के तहत तीन उद्घोषणाओं में और 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत दो उद्घोषणाओं में देय कर राशि के अनुचित सत्यापन के कारण ₹ 1.07 करोड़ और ₹ 0.23 करोड़ की अधिक राहत प्रदान की गई थी।

हमने यह देखा कि पूर्व-जमाओं/जमाओं के साक्ष्य का सही तरीके से सत्यापन और संबंधित मामलों के साथ जुड़ाव, नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 57 मामलों में ₹ 21.59 करोड़ का अधिक समायोजन हुआ। इसके अलावा, हमने यह पाया कि ₹ 64.23 करोड़ की कुल भुगतान योग्य राशि वाले 152 मामलों में राशि का भुगतान गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों के माध्यम से किया गया था।

हमने एसवीएलडीआरएस-3 और निर्वहन प्रमाण पत्रों को जारी करने में विलंब को पाया। 501 मामलों में हमने एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने में 21 दिनों के औसत विलंब को पाया और 1,408 मामलों में निर्वहन प्रमाण पत्रों को जारी करने में 72 दिनों के औसत विलंब को पाया।

हमने पाया कि ₹ 26.60 करोड़ की देय कर राशि वाले 11 मामलों में निर्वहन प्रमाण पत्रों को विधिक मंच से अपील को वापस लेने के साक्ष्य के प्राप्त किए बिना जारी किया गया था; ₹ 3,172.46 करोड़ की देय कर राशि वाली 2,728 उद्घोषणाओं में निर्वहन प्रमाण पत्रों को उद्घोषणाओं और शामिल मामलों की श्रेणी का उल्लेख किए बिना जारी किया गया था; 15 उद्घोषणाओं में निर्वहन प्रमाण पत्रों में गलत श्रेणी का उल्लेख किया गया था; और ₹ 393.08 करोड़ की देय कर राशि वाली 625 उद्घोषणाओं में विनिर्दिष्ट समिति ने जीएसटी अवधि को शामिल करते हुए गलत निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए थे।

हमने विनिर्दिष्ट समितियों द्वारा विवरणों को ऑफलाइन प्रस्तुत करने, अपील को वापस लेने के साक्ष्य को ऑफलाइन प्रस्तुत करने और आवेदनों को ऑफलाइन अस्वीकार करने के मामलों को भी पाया, जब 'योजना' का एक पूर्णतः स्वचालित तरीके से कार्य करना अपेक्षित था।

अध्याय 3 पर सिफारिशें

- 1) विभाग उन मामलों को समयबद्ध तरीके से प्रवृत्त करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है जो 'योजना' के तहत खारिज कर दिए गए थे और साथ ही 28,825 मामले जिनके लिए निर्वहन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका, विशेष रूप से अनुमानित भुगतान योग्य राशि के भुगतान न करने के कारण। विशेष रूप से, 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले जहां देयता का निर्वहन नहीं किया गया था, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए शक्तिपूर्ण अनुसरण किया जाना चाहिए। बकाया पुष्ट मांग हैं और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है और यह संभव है कि कई उद्घोषक करदाता के रूप में जीएसटी व्यवस्था में चले गए हों, और इसलिए वसूली की कार्रवाई संभव है।

(पैराग्राफ 3.1 एवम् 4.2)

- 2) विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में गलत समायोजित पूर्व जमाराशियों के पुनर्मिलान के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है।

(पैराग्राफ 3.10)

- 3) विभाग को यह सत्यापित करना होगा कि एसवीएलडीआरएस निपटान के लिए उपयोग किए गए गैर-एसवीएलडीआरएस चालानों का उपयोग पहले से अतीत में नहीं किया गया है, और भविष्य में उनके दुबारा उपयोग को रोकने के लिए उपयोग किये जा चुके एसवीएलडीआरएस चालानों की निगरानी सूची बनानी चाहियें।

(पैराग्राफ 3.11)

- 4) विभाग एसवीएलडीआरएस पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि
 - (क) पहले से जारी किए गए निर्वहन प्रमाण पत्र में विसंगति को ठीक किया गया और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।

- (ख) निर्वहन प्रमाण पत्र जो जारी नहीं किया जा सका था, जबकि निर्धारिती ने सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं और समय पर भुगतान कर दिया था, अब जारी किए गए हैं और निर्धारिती को अधिसूचित किया जाए।
- (ग) विभाग को निर्वहन प्रमाण पत्र को भी सही करना चाहिए जहां निर्वहन प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या एससीएन/ओआईओ में उल्लेखित पंजीकरण संख्या से मेल नहीं खाती हैं, और निर्धारिती को अधिसूचित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.12.3.5 से पैराग्राफ 3.12.3.8 और पैराग्राफ 3.6.2)

अध्याय 4 : निगरानी और समीक्षा

4.1 225 मामलों में 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की गई

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' के मामले में जहाँ निर्वहन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उद्घोषणा में प्रस्तुत किया गया कोई महत्वपूर्ण विवरण बाद में गलत पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि उद्घोषणा कभी की ही नहीं गई थी और लागू अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थापित की जाएगी।

कुल 23,868 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं में से हमने 1,454 उद्घोषणाओं की जाँच की और यह पाया कि 12 कमिश्नरियों⁶⁷ के तहत ₹ 85.55 करोड़ की देय कर राशि वाले 225 संसाधित मामलों (14.47 प्रतिशत) में विभाग द्वारा दिसम्बर 2020 तक प्रकटीकरणों की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए कोई जाँच आरंभ नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि कोलकाता उत्तर, चेन्नई दक्षिण और कोच्चि कमिश्नरियों के तहत 51 मामलों में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, गुवाहाटी कमिश्नरी के 20 मामलों में कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई है, कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी के तहत 18 मामलों में पत्रों को जारी किया गया था (नवम्बर 2020) और जीबी नगर कमिश्नरी के तहत 24 मामलों में मामले को क्षेत्राधिकार डिवीजन को अग्रेषित किया गया था और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। हालांकि, 24 मामलों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लखनऊ और कोझिकोड़ कमिश्नरी के तहत 42 मामलों में, मंत्रालय ने अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि यदि कोई गलत विवरण संज्ञान में आते हैं तो कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। चूंकि इन मामलों में गलत उद्घोषणा का ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है इसलिए कोई जाँच नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह रहा कि विभाग ने 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत उद्घोषणाओं के कम से कम नमूने के सत्यापन के लिए अभी तक कोई विधिवत प्रक्रिया आरंभ नहीं की है। विभाग में, वित्त अधिनियम 2019 की धारा 129(2)(ग) की अनुपालना में उद्घोषणाओं के जोखिम आधारित नमूने में प्रस्तुत किए गए विवरणों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए ऐसे एक समीक्षा तंत्र की आवश्यकता होगी। 70 मामलों में, मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2022)।

⁶⁷ कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, गुवाहाटी, जी.बी. नगर, नोएडा, लखनऊ, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई बाहरी, कोझिकोड़, कोच्चि और इंदौर।

4.2 स्वैच्छिक उद्घोषणाओं में स्वीकार की गई देयता के प्रति कार्रवाई आरंभ न करना

सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 यह निर्धारित करता है कि यदि उद्घोषक किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं करता है तो उद्घोषणा को समाप्त माना जाएगा। इसके अलावा, सीबीआईसी मुख्य परिपत्र दिनांक 19 जनवरी 2017 यह निर्धारित करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत माँग जारी की जा सकती है जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क के किसी शुल्क का उदग्रहण या भुगतान नहीं किया जाता है या कम उदग्रहण किया जाता है या कम भुगतान किया जाता है या किसी कारणवश कोई शुल्क गलत तरीके से प्रतिदाय किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11(घ) के संदर्भ में उदग्रहण के प्राधिकार के बिना एकत्रित शुल्क या उदग्रहण से अधिक एकत्रित करना, लेकिन उसके विभाग के पास जमा न करने के आधार पर शुल्क की माँग उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, एससीएन जारी करके निर्धारिती से शुल्क की माँग की जा सकती है जिसमें कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के प्रभारों को दर्शाया जाएगा और निर्धारिती को यह बतलाना आवश्यक होगा कि अनुद्गृहीत/भुगतान न किया गया या कम उदग्रहण/कम भुगतान किया गया शुल्क नोटिस पाने वाले व्यक्ति से ब्याज और शास्ति के साथ, यदि कोई लागू हो, की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए। सेवा कर अधिनियम की धारा 73 के तहत समान प्रक्रिया की व्याख्या की गई है।

कुल 23,868 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' उद्घोषणाओं में से हमने 1,454 उद्घोषणाओं की जाँच की और यह पाया कि 18 कमिश्नरियों⁶⁸ में ₹ 54.22 करोड़ की देय कर राशि वाली 264 उद्घोषणाओं (18.36 प्रतिशत) में विनिर्दिष्ट समिति ने मामलों को संसाधित किया और फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी किया लेकिन उद्घोषकों ने निर्धारित अवधि के भीतर देय कर राशि का भुगतान नहीं किया था। हालांकि, विभाग ने उद्घोषकों से घोषित की गई देयताओं की वसूली के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि 51 मामलों में कार्रवाई आरंभ की गई थी। 59 मामलों के संबंध में उत्तर, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से संबंधित नहीं था। 154 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2022)।

4.3 निर्वहन प्रमाणपत्र जारी होने के बाद भी विधिक मंच पर 'लंबित' के रूप में दर्शाए गए मामले

सीबीआईसी परिपत्र सं. 1071/4/2019-सीएक्स.8 दिनांक 27 अगस्त 2019 यह कहता है कि 'योजना' को विरासत करों अर्थात केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर जिन्हें जीएसटी के तहत सम्मिलित

⁶⁸ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, जमशेदपुर, नोएडा, लखनऊ, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई उत्तर, चेन्नई बाहरी, कोच्चि, कोझिकोड़, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदाबाद, पंचकुला, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पूर्व और बेलगावी

किया जा चुका है, से संबंधित बोझ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कारोबार को एक नई शुरूआत करने की और जीएसटी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करती है। इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127(6) में यह कहा गया है कि जहाँ उद्घोषक ने, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एक अपीलीय मंच के समक्ष देय कर राशि को बढ़ाने वाले आदेश या नोटिस के विरुद्ध एक अपील या एक संदर्भ या एससीएन पर उत्तर फाइल किया है, तो लागू होने के समय किसी कानून के किसी अन्य प्रावधानों में कुछ होते हुए भी ऐसी अपील या संदर्भ या उत्तर को वापस लिया हुआ माना जाएगा।

'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत कुल 60,126 उद्घोषणाओं में से हमने 9,902 उद्घोषणाओं की जाँच की और यह पाया कि 13 कमिश्नरियों⁶⁹ में ₹ 761.35 करोड़ की देय कर राशि वाले 638 मामलों (6.44 प्रतिशत) में जहाँ अपील सीईएसटीएटी में लंबित थी, वहाँ सीईएसटीएटी वेबसाइट, मामलों की स्थिति को इस तथ्य के बावजूद 'लंबित' दर्शा रही थी (मार्च 2021) कि संबंधित उद्घोषकों को निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2022) और कहा कि 361 मामलों में इस मामले को अनुपालना हेतु सीईएसटीएटी को सूचित किया गया था। 277 मामलों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2022)।

इसके अतिरिक्त, हमने यह पाया कि कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में 'अपील लंबित' श्रेणी के तहत फाइल की गई 58 उद्घोषणाओं में से ₹ 15.51 करोड़ की देय कर राशि वाली 36 उद्घोषणाओं में विनिर्दिष्ट समिति ने निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किए थे। इस तथ्य के बावजूद, ऐसे मामले कमिश्नर (अपील) के समक्ष लंबित थे (मार्च 2021), जो अंतर विभागीय तालमेल की कमी को दर्शाता है।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021) मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि निर्वहन प्रमाण पत्र को कमिश्नर (अपील) को पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है। विभाग 'योजना' के तहत निपटान किए गए मामले के समायोजन और कमिश्नर (अपील) के पास लंबित अपीलों के निपटान पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, अंतर विभागीय समन्वय की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आवश्यक सूचना पहले ही कमिश्नरी (अपील) को भेजी जा चुकी है। तथ्य यह रहा कि मामले, विभाग से निर्वहन प्रमाणपत्र जारी होने के बाद भी कमिश्नरी (अपील) के पास लंबित बने रहे। विभाग द्वारा ऐसी सभी मामलों का पता लगाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सभी मामले संबंधित विधि/ अपीलीय मंच से वापस लिए गए दर्शाए गए हैं।

⁶⁹ कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हल्दिया, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई बाहरी, कोयंबटूर, कोझिकोड़, कोच्चि, वडोदरा-II, अहमदाबाद दक्षिण, जयपुर और बेलगावी।

4.4 अप्राप्य करदाताओं द्वारा 'योजना' का लाभ लेना

वित्त मंत्रालय के पत्र एफ सं. 13011/3/2004-सी.भु.(एस) दिनांक 12 अगस्त 2005 के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर के बकाये की वसूली के संबंध में चूककर्ताओं की संपत्ति के चूककर्ता विवरणों का पता लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाँए।

इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बकाया, जो अवसूली योग्य हो गए है, उसे सीबीआईसी के परिपत्र सं. एफ सं. 290/7/76/सीएक्स.9 दिनांक 22 जून 1976, एफ सं. 290/4/85-सीएक्स.9 दिनांक 22 मार्च 1985, एफ सं. 290/20/90-सीएक्स.9 दिनांक 21 सितम्बर 1990 और एफ सं. 946/7/2011-सीएक्स दिनांक 1 जून 2011 द्वारा निर्धारित निर्देशों और प्रक्रिया की अनुपालना में बट्टे खाते में डाला जा सकता है। इस प्रकार, पहले की/विरासत व्यवस्था में अप्राप्य निर्धारिती 'योजना' के तहत लाभ लेने के लिए अपेक्षित/कल्पित नहीं है।

हमने पाया कि बैंगलुरु पूर्व और गांधीनगर कमिश्नरियों में ₹ 2.89 करोड़ की देय कर राशि वाले दो मामलों में जहाँ विभाग ने पहले स्पष्ट किया था कि उद्घोषक अप्राप्य थे, वहाँ उद्घोषकों ने 'मुकदमेबाजी' श्रेणी के तहत 'योजना' के लाभ लिए थे और ₹ 0.62 करोड़ की राहत राशि प्राप्त की थी।

हमारे द्वारा इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2021), मंत्रालय ने कहा कि पुष्टिकृत कर माँग की वसूली के लिए प्रयास किए गए थे। तत्कालीन समय पर निर्धारिती का वर्गीकरण सही था। हालांकि, 'योजना' के तहत, सही तरीके से प्रदान किए गए 'योजना' के लाभ लेने के लिए देय कर राशि के भुगतान करने योग्य किसी भी व्यक्ति पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई गई थी।

तथ्य यह रहा कि अब तक अप्राप्य माना जाने वाला एक निर्धारिती 'योजना' के लाभ लेने के लिए प्राप्य हो गया।

अध्याय 4 पर निष्कर्ष


हमने पाया कि कुछ कमिश्नरियों में स्वैच्छिक प्रकटीकरण के जोखिम आधारित नमूने के सत्यापन के लिए कोई प्रणालीगत तंत्र मौजूद नहीं था।

हमने पाया कि ₹ 54.22 करोड़ की देय कर राशि वाले 264 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' मामलों में जहाँ एसवीएलडीआरएस-3 जारी किए गए थे, वहाँ उद्घोषकों ने देय कर राशि का भुगतान नहीं किया था और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया था। विभाग ने भी उद्घोषित देयताओं की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की थी।

अध्याय 4 पर सिफारिशें

- 5) विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी कानूनी मामले, जहाँ निर्धारिती द्वारा निकासी के लिए आवेदन दिए गये हैं और 'योजना' के तहत इन आवेदनों का सफलता पूर्वक निपटारा किया गया है, को विभिन्न कानूनी मंचों की लंबित सूची से हटा दिया गया है। ऐसे लंबित मामलों की सूची का रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि उनकी पूर्ण निकासी सुनिश्चित की जा सके।


(पैराग्राफ 3.12.3.4 एवम् 4.3)



नई दिल्ली
दिनांक : 27.07.2022

(सिद्धार्थ बोन्दाडे)
प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर -I)

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक : 27.07.2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I (संदर्भ पैरा 2.3)

नमूना चयन के विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	कमिश्नरी	अभिलेखों की संख्या	नमूना चयन (चयनित मामले)	लेखापरीक्षित मामले
1	अहमदाबाद	गांधीनगर	1,146	400	400
2	अहमदाबाद	अहमदाबाद दक्षिण	1,408	400	400
3	अहमदाबाद	अहमदाबाद उत्तर	1,013	400	400
4	जयपुर	जोधपुर	2,290	400	400
5	जयपुर	जयपुर	4,231	400	400
6	वडोदरा	वडोदरा II	2,567	400	400
7	वडोदरा	दमन	1,615	387	387
8	बेंगलुरु	बेंगलुरु दक्षिण	2,165	400	400
9	बेंगलुरु	बेंगलुरु पूर्व	1,751	400	399
10	बेंगलुरु	बेंगलुरु पश्चिम	1,330	400	402
11	बेंगलुरु	बेलगावी	2,389	400	400
12	चंडीगढ़	लुधियाना	3,224	400	310
13	चंडीगढ़	चंडीगढ़	687	400	383
14	पंचकुला	पंचकुला	916	400	400
15	पंचकुला	फरीदाबाद	1,238	400	387
16	चेन्नई	कोयंबटूर	3,607	400	400
17	चेन्नई	चेन्नई दक्षिण	1,690	400	400
18	चेन्नई	चेन्नई उत्तर	2,533	400	400
19	चेन्नई	चेन्नई बाहरी	1,974	400	400
20	तिरुवनंतपुरम	कोझिकोड	2,949	400	400
21	तिरुवनंतपुरम	कोच्चि	3,940	400	400
22	दिल्ली	दिल्ली उत्तर	673	400	400
23	दिल्ली	दिल्ली पूर्व	938	400	400
24	भोपाल	इंदौर	947	400	400
25	भोपाल	रायपुर	3,059	400	400
26	कोलकाता	कोलकाता दक्षिण	3,623	400	392
27	कोलकाता	हल्दिया	816	400	400
28	कोलकाता	कोलकाता उत्तर	1,907	400	382
29	गुवाहाटी	डिब्रूगढ़	554	380	380
30	गुवाहाटी	शिलांग	112	112	112
31	गुवाहाटी	इंफाल	29	29	29
32	गुवाहाटी	गुवाहाटी	740	400	400
33	लखनऊ	कानपुर	825	400	400
34	लखनऊ	लखनऊ	1,243	400	85

क्र. सं.	क्षेत्र	कमिश्नरी	अभिलेखों की संख्या	नमूना चयन (चयनित मामले)	लेखापरीक्षित मामले
35	मेरठ	गौतम बुद्ध नगर	415	355	355
36	मेरठ	नोएडा	624	400	400
37	रांची	जमशेदपुर	2,522	400	400
38	मुम्बई	पालघर	1,013	400	400
39	मुम्बई	रायगढ़	1,589	400	400
40	मुम्बई	बेलापुर	1,736	400	400
41	मुम्बई	मुंबई सेंट्रल	2,332	400	400
42	मुम्बई	मुंबई पूर्व	3,091	400	400
43	मुम्बई	मुंबई पश्चिम	2,516	400	400
44	नागपुर	औरंगाबाद	4,518	400	400
45	नागपुर	नागपुर II	860	400	400
46	पुणे	कोल्हापुर	3,056	400	400
47	पुणे	गोवा	801	400	400
48	विशाखापट्टनम-अमरावती	विशाखापत्तनम	5,256	400	400
49	विशाखापट्टनम-अमरावती	गुंटूर	1,695	400	400
50	हैदराबाद	मेडचल	1,959	400	400
51	हैदराबाद	रंगारेड्डी	1,735	400	400
52	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	2,581	400	400
				20,063	19,603

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in